


भारत के
नियंत्रक—महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन

31 मार्च 2006 को समाप्त वर्ष

(राजस्व प्राप्तियाँ)

मध्य प्रदेश सरकार



भारत के
नियंत्रक—महालेखापरीक्षक
का
प्रतिवेदन

31 मार्च 2007 को समाप्त वर्ष

(राजस्व प्राप्तियाँ)

मध्य प्रदेश सरकार

©

भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक

2006

मूल्य रुपये 65/-

<http://cagindia.org/states/madhyapradesh/2006>



लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियाँ) 31 मार्च 2005 को समाप्त वर्ष, मध्य प्रदेश सरकार

विषय सूची

कंडिका		पृष्ठ
	प्रस्तावना	v
	विहंगावलोकन	vii

अध्याय – 1 : सामान्य

1.1	राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति	1
1.2	बजट अनुमानों तथा वास्तविक राजस्व प्राप्तियों में भिन्नतायें	4
1.3	संग्रहण की लागत	5
1.4	प्रति निर्धारिती विक्रय कर का संग्रहण	6
1.5	बकाया राजस्व का विश्लेषण	6
1.6	निर्धारण का बकाया	7
1.7	कर अपवंचन	8
1.8	वापसियां	8
1.9	लेखा परीक्षा के परिणाम	9
1.10	उत्तर दायित्व के निर्वहन एवं शासकीय हितों की रक्षा न कर पाने में उच्चाधिकारियों की विफलता	9
1.11	प्रारूप लेखा परीक्षा कंडिकाओं पर विभागों के प्रत्युत्तर	10
1.12	लेखा परीक्षा प्रतिवेदन का अनुवर्तन	11
1.13	स्वीकार किये गए प्रकरणों में राजस्व की वसूली	11
	अध्याय – 2 : वाणिज्यिक कर	
2.1	लेखा परीक्षा के परिणाम	13
2.2	समीक्षा— नवीन उद्योगों को वाणिज्यिक कर प्रोत्साहन	14
2.3	कर की गलत दर का लागू किया जाना	28
2.4	गलत ढंग से कर मुक्त माने गए विक्रयों पर कर का अनारोपण	29
2.5	अनन्तिम पात्रता प्रमाण पत्रों पर कर के भुगतान से अनियमित छूट	30

कंडिका		पृष्ठ
2.6	शास्ति का अनाधिरोपण	31
2.7	कर प्रदत्त विक्रयों की गलत कटौती	31
2.8	मूल्य सवंधित कर का अनारोपण	33
2.9	प्रवेश कर का अनारोपण/कम आरोपण	34
2.10	गलत कटौती मान्य किये जाने के कारण कर का कम आरोपण	35
अध्याय – 3 : राज्य उत्पाद शुल्क		
3.1	लेखा परीक्षा के परिणाम	37
3.2	चूककर्ता अनुज्ञाप्तिधारियों से लायसेंस फीस की वसूली न होना	38
3.3	निर्यात की गई मदिरा के अभिस्थीकृति प्राप्त न होने पर आबकारी शुल्क की वसूली न होना	39
3.4	पुनर्आसवन में स्पिरिट हॉनि की गलत छूट	40
3.5	स्पिरिट की अमान्य हानि	40
3.6	शासन को देय धन की वसूली न करना	41
3.7	शासकीय स्थापना पर हुए व्यय की वसूली न होना	42
3.8	सम्पत्ति का विवरण प्राप्त करने हेतु प्रावधानों के अभाव होने के कारण आबकारी राजस्व की वसूली न होना	43
अध्याय – 4 : वाहनों पर कर		
4.1	लेखा परीक्षा के परिणाम	45
4.2	समीक्षा : परिवहन विभाग की प्राप्तियाँ	46
अध्याय – 5 : अन्य कर प्राप्तियाँ		
अ. मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस		
5.1	लेखा परीक्षा के परिणाम	65
5.2	सहकारी गृह निर्माण समितियों द्वारा/के पक्ष में निष्पादित विलेखों में राजस्व हानि	67
5.3	मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस की प्रतिपूर्ति न होना	68
5.4	कम मूल्यांकन/गलत दर लागू करने के कारण मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का कम आरोपण	68

	ब. मनोरंजन शुल्क	
5.5	सिनेमाघरों पर मनोरंजन शुल्क का अनारोपण	70
5.6	केवल ऑपरेटरों से मनोरंजन शुल्क की वसूली न करना	71
5.7	विज्ञापन कर का अनारोपण/वसूली न होना	71
	स. भू—राजस्व	
5.8	भूमि की प्रब्याजि एवं भू—भाटक की गलत दर लागू किये जाने के कारण राजस्व की हानि	72
5.9	प्रब्याजि तथा भू—भाटक की राशि में बिना किसी कारण का उल्लेख किए, कमी करने के कारण राजस्व की हानि	73
5.10	पट्टा विलेख का निष्पादन एवं पंजीयन न किया जाना	73
5.11	नजूल भूमि पर भवन के बैटवारा/उपहार विलेख पर मुद्रांक शुल्क का अनारोपण	74
5.12	नजूल भू—खण्डों के पट्टों का नवीनीकरण न होना	74
5.13	व्यपवर्तन लगान एवं प्रब्याजि का कम निर्धारण	75
5.14	व्यपवर्तन लगान, प्रब्याजि एवं अर्थदण्ड की मांग सृजित न करना	76
5.15	प्रक्रिया व्यय का अनारोपण/वसूली न होना	77
5.16	वसूली प्रभार की वसूली न होना	77
5.17	राजस्व वसूली प्रमाण पत्रों का पंजीयन न किया जाना	78
	अध्याय — 6 : वन प्राप्तियाँ	
6.1	लेखापरीक्षा के परिणाम	79
6.2	अभिवहन अनुज्ञापत्र शुल्क का कम आरोपण	80
	अध्याय — 7 : खनन प्राप्तियाँ	
7.1	लेखापरीक्षा के परिणाम	81
7.2	पट्टा विलेख का नवीनीकरण न किए जाने के कारण राजस्व की वसूली न होना	82
7.3	अनिवार्य किराये की कम वसूली	82
7.4	राज्यांश की वसूली न होना/कम वसूली होना	83
7.5	विवरणियों का प्रस्तुत न किया जाना	83
7.6	मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का कम वसूली होना	84
7.7	राज्यांशके विलंबित भुगतानों पर ब्याज की कम वसूली होना	85

अध्याय 8 : अन्य कर-मैन्ज प्राप्तियाँ		
8.1	लेखापरीक्षा के परिणाम	87
	(क) लोक निर्माण विभाग	
8.2	पथकर की वसूली करने के अधिकार की पुनर्नीलामी करने से राजस्व की हानि	90
8.3	निजी व्यक्तियों/संस्थाओं को किराये पर दिए गये शासकीय भवनों की लाइसेंस शुल्क की कम वसूली होना/न होना	91
	ख – जल संसाधन विभाग	
8.4	समुन्नति अंशदान का अनारोपण	91
	ग – विद्युत शुल्क	
8.5	शास्ति के आरोपण से राजस्व हानि	92
8.6	विद्युत शुल्क, उपकर तथा ब्याज की मांग सृजित न किया जाना	93
8.7	अतिरिक्त शुल्क की मांग सृजित न किया जाना	94
8.8	विद्युत संस्थापनाओं का निरीक्षण न किये जाने के कारण हानि	94

प्रस्तावना

31 मार्च 2006 को समाप्त वर्ष का यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151(2) के अन्तर्गत राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है ।

नियंत्रक—महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 16 के अन्तर्गत राज्य शासन की राजस्व प्राप्तियों की लेखा परीक्षा की जाती है । इस प्रतिवेदन में राज्य के वाणिज्यिक कर, राज्य उत्पाद शुल्क, वाहनों पर कर, भू—राजस्व, अन्य कर प्राप्तियां, वन प्राप्तियां, खनन प्राप्तियाँ तथा अन्य कर—भिन्न प्राप्तियों से संबंधित पर राजस्व प्राप्तियों के लेखा परीक्षा परिणाम प्रस्तुत किये गए हैं ।

इस प्रतिवेदन में वर्णित प्रकरण उनमें से हैं जो वर्ष 2005—06 की अवधि के मध्य नमूना लेखा परीक्षा के समय दृष्टिगत हुए अथवा पूर्व वर्षों में दृष्टिगत हुए परन्तु पूर्ववर्ती प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं हो सके थे ।

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में कर, ब्याज, शास्ति आदि के अनारोपण/कम आरोपण से संबंधित 85.85 करोड़ रुपये से अन्तर्निहित दो समीक्षाओं सहित 47 कंडिकायें सम्मिलित हैं। कुछ मुख्य निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं।

I. सामान्य

वर्ष 2005–2006 के दौरान मध्य प्रदेश शासन द्वारा 11,322.90 करोड़ रुपये का सकल राजस्व वसूल किया गया, जिसमें 9,114.70 करोड़ रुपये का कर – राजस्व और 2,208.20 करोड़ रुपये का कर–भिन्न राजस्व सम्मिलित है। शासन ने भारत सरकार से 6,341.35 करोड़ रुपये विभाज्य संघीय करों की शुद्ध प्राप्तियों के अंश तथा 2,932.54 करोड़ रुपये सहायक अनुदान के रूप में प्राप्त किए। इस प्रकार वर्ष के दौरान 20,596.79 करोड़ रुपये की कुल प्राप्तियां हुईं। वाणिज्यिक कर/केन्द्रीय विक्रय कर (4,508.42 करोड़ रुपये) कर राजस्व का मुख्य भाग (49.46 प्रतिशत) है। अलौह खनन एवं धातु कर्म उद्योग से प्राप्तियां (815.31 करोड़ रुपये) कर भिन्न राजस्व की 36.92 प्रतिशत लेखांकित हुईं।

(कंडिका 1.1.1 से 1.1.3)

विक्रय कर, राज्य उत्पाद शुल्क, मोटर वाहन कर, भू राजस्व मुद्रांक एवं पंजीयन फीस, अन्य कर प्राप्तियां, वन प्राप्तियां तथा अन्य कर–भिन्न प्राप्तियों के अभिलेखों की वर्ष 2005–06 के दौरान की गई नमूना जांच में 1,99,985 प्रकरणों में 1,284.61 करोड़ रुपये राजस्व का अवनिर्धारण/कम आरोपण/हानियां आदि पाई गई। वर्ष के दौरान विभागों ने वर्ष 2005–06 तथा पूर्ववर्ती वर्षों में इंगित किए गए 1,20,915 प्रकरणों में 548.59 करोड़ रुपये के अवनिर्धारण तथा अन्य हानियों को विभागों द्वारा स्वीकार किया गया।

(कंडिका 1.9)

II वाणिज्यिक कर

वाणिज्यिक कर “नवीन उद्योगों को वाणिज्यिक कर प्रोत्साहन” पर समीक्षा में निम्न तथ्य दृष्टिगत हुए :

- अर्हता प्रमाण पत्रों को गलत ढंग से जारी किए जाने के कारण 6.85 करोड़ रुपये के कर का कम आरोपण

(कंडिका 2.2.6)

- 12 प्रकरणों में अर्हता प्रमाण पत्र धारित औद्योगिक इकाईयों को उनके प्रमाण पत्र की वैद्यता के पूर्व अथवा अर्हता प्रमाण पत्र की वैद्यता समाप्ति के दिनांक से पांच वर्ष के भीतर बंद कर दिया गया ।

(कंडिका 2.2.7)

- 7 अपात्र इकाईओं को 9.92 करोड़ रुपये के कर की छूट/आस्थगान प्रदान किए जाने के परिणामस्वरूप कर की उपरोक्त राशि का कम आरोपण हुआ ।

(कंडिका 2.2.9)

- दो इकाईओं के अर्हता प्रमाण पत्रों में विनिर्दिष्ट न की गई वस्तुओं पर दी गई 50.83 लाख रुपये के कर की छूट गलत थी, जिसके परिणामस्वरूप उपरोक्त राजस्व की कम वसूली हुई ।

(कंडिका 2.2.11)

- कर की गलत दर लागू किए जाने के कारण छूट की सीमा के विरुद्ध 64.51 लाख रुपये के कर का कम समायोजन किया गया ।

(कंडिका 2.2.13)

- अनन्तिम प्रमाण पत्र पर कर के भुगतान से अनियमित छूट प्रदान किए जाने के परिणामस्वरूप 3.43 करोड़ रुपये के शासकीय राजस्व की प्राप्ति नहीं हुई ।

(कंडिका 2.5)

- सकल उत्पादन को छिपाने पर शास्ति के अनारोपण के परिणामस्वरूप 2.38 करोड़ रुपये के शासकीय राजस्व की प्राप्ति नहीं हुई ।

(कंडिका 2.6)

- प्रवेश कर के अनारोपण/कम आरोपण के परिणामस्वरूप 1.06 करोड़ रुपये के शासकीय राजस्व की वसूली नहीं हुई ।

(कंडिका 2.9)

III राज्य उत्पाद शुल्क

- चूककर्ता अनुज्ञाप्तिधारकों के विरुद्ध सामयिक कार्यवाही करने में विभाग की विफलता के कारण 1.96 करोड़ रुपये के शासकीय राजस्व की वसूली नहीं हुई।

(कंडिका 3.2)

- ऐसे अनुज्ञाप्तिधारकों से, जिनसे सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुए थे, उत्पाद शुल्क की वसूली करने में विभाग की विफलता के कारण 3.10 करोड़ रुपये के शासकीय राजस्व की प्राप्ति नहीं हुई।

(कंडिका 3.3)

- छीजन हानि पर गलत मोक देने के कारण 1.98 करोड़ रुपये का उत्पादन शुल्क प्राप्त नहीं हुआ।

(कंडिका 3.4)

IV वाहनों पर कर

“परिवहन विभाग से प्राप्तियाँ” पर समीक्षा में निम्नलिखित तथ्य दृष्टिगत हुए

- 1,770 वाहनों पर अप्रैल 2001 तथा मार्च 2005 के मध्य की अवधि से संबंधित 6.17 करोड़ रुपये के वाहन कर तथा 3.88 करोड़ रुपये की शास्ति का न तो वाहन स्वामियों द्वारा भुगतान किया गया और न ही कराधान प्राधिकारियों द्वारा मांग की गई।

(कंडिका 4.2.8)

- पारस्परिक परिवहन करार के अंतर्गत मध्य प्रदेश में संचालित किए जा रहे अन्य राज्यों के 149 मोटर वाहनों से संबंधित 37.01 लाख रुपये के वाहन कर एवं शास्ति की वसूली नहीं की गई।

(कंडिका 4.2.9)

- 92 वाहन मालिकों के विरुद्ध राजस्व वसूली प्रमाण पत्र जारी करने की कार्यवाही की पहल नहीं की गई। उसके परिणामस्वरूप 37.70 लाख रुपये के शासकीय राजस्व की वसूली नहीं हुई।

(कंडिका 4.2.10)

- अखिल भारतीय पर्यटक अनुज्ञापत्रों पर संचालित किये जा रहे मैकर्सी केब से जीवन काल कर एवं शास्ति की अवशेष राशि की वसूली करने में विभाग की विफलता के परिणामस्वरूप 39.49 लाख रुपये के जीवन काल कर एवं शास्ति का कम आरोपण हुआ।

(कंडिका 4.2.18)

V अन्य कर प्राप्तियां

मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस

- समितियों द्वारा निष्पादित विलेखों में छूट की शर्तों का उल्लंघन करने के लिए 79.36 लाख रुपये के शासकीय राजस्व की वसूली नहीं की गई।

(कंडिका 5.2)

भू—राजस्व

- नजूल भू—खण्डों के पट्टा विलेखों का नवीनीकरण न किए जाने के परिणामस्वरूप 2001—02 से 2005—06 तक की अवधि से संबंधित 3.08 की अवधि से संबंधित 43.08 करोड़ रुपये के राजस्व की हानि हुई।

(कंडिका 5.12)

VI वन प्राप्तियां

- अभिवहन शुल्क के कम आरोपण के परिणामस्वरूप 7 करोड़ रुपये के राजस्व की प्राप्ति नहीं हुई।

(कंडिका 6.2)

VII खनन प्राप्तियां

- खनन पट्टा विलेख का नवीनीकरण न किए जाने के परिणामस्वरूप 1.66 करोड़ रुपये के राजस्व की प्राप्ति नहीं हुई।

(कंडिका 7.2)

2.2 वाणिज्यिक कर विभाग में लंबित राजस्व वसूली प्रमाण—पत्रों की समीक्षा

विशेषताएँ

- 99 प्रकरणों में राजस्व वसूली प्रमाण—पत्र संस्थापित करने में 15 दिन से 34 माह तक विलम्ब ।
(कंडिका 2.2.10)
- विभाग द्वारा 71 प्रकरणों में कुर्क सम्पत्ति को निवर्तन न करने के फलस्वरूप शासकीय देय प्राप्त न होना ।
(कंडिका 2.2.13)
- शासकीय देय को प्राप्त करने हेतु एक सौ साठ राजस्व वसूली प्रमाण—पत्र राज्य के बाहर भेजे गये थे । उनमें उसकी वसूली हेतु कोई अनुवर्ती कार्यवाही नहीं की गई ।
(कंडिका 2.2.14)

2.2.1 प्रस्तावना

मध्य प्रदेश वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (अधिनियम) में उस व्यवसायी से जिसका वाणिज्यिक/क्रय का वार्षिक कारोबार निर्धारित सीमा को पार करता है, वाणिज्यिक कर/क्रय कर आरोपित/संग्रहण करने का प्रावधान है । पंजीकृत व्यवसायी स्व कर निर्धारण के बाद कर के भुगतान के प्रमाण पत्र सहित आवधिक विवरणियां निर्धारित तरीके से कर निर्धारण अधिकारी को प्रस्तुत करनी होती है । इसके पश्चात् प्रकरण में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कर निर्धारण अवधि की समाप्ति के दो कलैण्डर वर्ष के भीतर कर निर्धारण किया जाता है । कर की अतिरिक्त मांग राशि की मांग पत्र प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर जमा कराने के लिये फार्म 50 जारी किया जाता है । मांग पत्र की राशि जमा कराने में चूक होने की स्थिति में कर निर्धारण अधिकारी या ऐसा अन्य अधिकारी जिसके अधिकार क्षेत्र में वह व्यक्ति या व्यापारी आता है को यह शक्ति प्रत्यायोजित की गई है कि वह उस राशि की भू—राजस्व के बकाया की भाँति वसूली करेगा तथा इसके लिए वह व्यवसायी (चूककर्ता) के नाम, उनके निवास के पते तथा वसूली देयताओं का विवरण अंकित करते हुए राजस्व वसूली प्रमाण—पत्र जारी करेगा । ऐसी देयताओं को भू—राजस्व के बकाया राशि की तरह वसूल करने के लिये मांग पत्र में निश्चित तारीख तक भुगतान करने के लिये मध्य प्रदेश भू—राजस्व संहिता, 1959 एवं इसके तहत बनाये गये नियमों के अन्तर्गत प्रावधान है । चूक होने की स्थिति में, वसूली अधिकारी द्वारा सम्पत्ति कुर्क करने हेतु वारन्ट जारी किया जाता है ।

अधिनियम की धारा 32(13)(बी) में उप आयुक्त, सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर अधिकारी, सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी को यह शक्तियां प्रत्यायोजित की गयी है कि वे इस संहिता के तहत क्रमशः जिलाधीश, सहायक जिलाधीश या उप जिलाधीश एवं तहसीलदार की सभी शक्तियों और कर्तव्यों का निर्वहन कर सकेगा ।

2.2.2 सिफारिशें

यह सिफारिश की जाती है कि शासन विचार करें :

- बकाया/राजस्व वसूली प्रमाण पत्रों पर निगरानी हेतु सूचना तंत्र प्रबंधन को विकसित किया जाय ।
- यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि राजस्व वसूली प्रमाण—पत्र निर्धारित समय सीमा में जारी कर दिये गये हैं तथा बकाया राशि समयावधि में प्राप्ति हो गई है ।
- अतिरिक्त मांग की सूचना फार्म 50 में देने एवं निर्धारित अधिकारी द्वारा वसूली अधिकारी को भेजे जाने वाले राजस्व प्रमाण—पत्रों को भेजने की समय सीमा निश्चित की जाये ।

2.2.3 संगठनात्मक संरचना

शीर्ष स्तर पर प्रधान सचिव वाणिज्यिक कर विभाग का प्रशासकीय अधिकारी होता है एवं जिसकी सहायता, आयुक्त वाणिज्यिक कर (सी.सी.टी.) करता है जिसका मुख्यालय इन्दौर में है । इन्दौर, ग्वालियर, जबलपुर एवं भोपाल चार मण्डल हैं । अतिरिक्त आयुक्त इन मण्डल कार्यालयों के प्रमुख होते हैं । इसके अतिरिक्त 13 संभाग हैं जिनके प्रमुख उप आयुक्त होते हैं तथा 75 वृत्त हैं जिनके प्रमुख वाणिज्यिक कर अधिकारी होते हैं । विभाग में सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर अधिकारी एवं सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, कर निर्धारण प्राधिकारी हैं ।

2.2.4 लेखा परीक्षा का क्षेत्र

127 इकाइयों में से 44 इकाइयों के वर्ष 1999–2000 से 2003–04 के अभिलेखों की नमूना जांच जून 2004 एवं मई 2005 के मध्य की गई ।

2.2.5 लेखा परीक्षा के उद्देश्य

यह समीक्षा इस दृष्टिकोण को सुनिश्चित करने हेतु की गई है कि –

- बकाया राशि के संग्रहण हेतु प्रक्रिया/संहिता के प्रावधान और कार्यकारी निर्देशों का पालन का विस्तार ।
- राजस्व वसूली में रुकावट डालने वाले उत्तरदायी अधिनियमों/नियमों में कमी ।
- बकाया राशि की भू–राजस्व के बकाया की भांति पूर्ण क्षमता एवं प्रभावी तरीके से वसूली करने के प्रयास ।

2.2.6 आन्तरिक लेखा परीक्षा शाखा

आन्तरिक लेखा परीक्षा प्रभावी नियंत्रण रखने तथा विभिन्न आन्तरिक व्यवस्था संबंधी कार्यों का मूल्यांकन करने तथा उनकी कमज़ोरियों को पहचानने की प्रभावकारी पद्धति है । अतः विभाग की यह जिम्मेदारी है कि वह समय समय पर इसकी समीक्षा करें ताकि आन्तरिक नियंत्रण संरचना अद्यतन एवं प्रभावी बनी रहे । वाणिज्यिक कर विभाग में आन्तरिक लेखा परीक्षा शाखा वर्ष 1982 से स्थापित की गई थी ।

कुछ इकाइयों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी की नमूना लेखा परीक्षा से पता चला कि वर्ष 1999–2000 से 2003–04 के दौरान कोई भी आन्तरिक लेखा परीक्षा नहीं की गई है । आयुक्त वाणिज्यिक कर एवं शासन द्वारा जुलाई 2005 में अवगत कराया कि कर्मचारियों की स्थापना न होने के कारण आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा कार्यरत नहीं है ।

2.2.7 अधिनियम/नियमों में कमियाँ

मध्य प्रदेश वाणिज्यिक कर नियम 1995, के अंतर्गत कर निर्धारण प्राधिकारी व्यवसायी को कर निर्धारण आदेश की अधिकृत प्रति एवं फार्म 50 में मांग सूचना जिसमें यदि कोई राशि अधिनियम एवं नियमों के तहत भुगतान हेतु उसके द्वारा देय है, तामील करायेगा। तथापि फार्म 50 में नोटिस तामील करवाने की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

इन्दौर एवं जबलपुर के दो सहायक आयुक्तों के कार्यालयों एवं पांच वृत्त कार्यालयों¹ के अभिलेखों की सितम्बर 2004 एवं अप्रैल 2005 के मध्य नमूना जांच में यह पाया गया कि 112 प्रकरणों में जिनमें 4.04 करोड़ रुपये की राशि सन्तुष्टि थी, का मांग पत्र फार्म 50 एवं कर निर्धारण आदेश के निवर्तन होने के एक से 10 माह के विलम्ब से तामील किये गये।

नियमों में व्यवसायी को मांग पत्र के तामील होने की समय सीमा का प्रावधान न होने के कारण वसूली प्रक्रिया प्रारम्भ करने में विलम्ब हुआ।

आगे, अधिनियम के प्रावधानों के तहत यदि कोई कर की राशि या अन्य कोई राशि भुगतान मांग पत्र 50 में निर्धारित अवधि समाप्त के बाद अदत्त रहती है तो व्यवसायी भुगतान न करने के लिये चूक कर्ता माना जायेगा। बकाया राशि की वसूली म.प्र. भू राजस्व संहिता के प्रावधानों के तहत भू-राजस्व के बकाया की भांति की जावेगी। तथापि कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा तैयार किये गये राजस्व वसूली प्रमाण-पत्रों को वसूली अधिकारी को भेजने हेतु कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई थी।

सहायक आयुक्त भोपाल एवं दो वृत्त कार्यालयों इन्दौर एवं जबलपुर के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि 58 राजस्व वसूली प्रमाण-पत्र जिनमें 8.08 करोड़ रुपये की राशि सन्तुष्टि थी, संबंधित कर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा जनवरी 2001 से मार्च 2004 के मध्य तैयार होने के तीन सप्ताह से लेकर साड़े चार माह के विलम्ब से वसूली अधिकारी को भेजे गये।

राजस्व वसूली प्रमाण-पत्रों को वसूली अधिकारी को भेजने की समय सीमा निर्धारित न होने के कारण वसूली की प्रक्रिया संस्थापित करने में विलम्ब हुआ।

¹ वृत्त 2 भोपाल, वृत्त 1, 2, 3 एवं 4 जबलपुर

2.2.8 बकाया की स्थिति

प्रत्येक सम्भाग द्वारा वर्ष की लंबित बकाया की वसूली, बकाया में वृद्धि आदि की सूचना वाणिज्यिक कर आयुक्त कार्यालय में “वसूली की प्रगति” नामक प्रपत्र में संकलित की जाती है। प्रत्येक प्रपत्र में पिछले तीन साल के विस्तृत विवरण होते हैं। वर्ष 2000–01 से 2003–04 के दौरान प्रपत्रों के अनुसार बकाया की लंबित राशि का संग्रहण 196.23 करोड़ रुपये से 646.47 करोड़ रुपये हो गया। पिछले पांच वर्षों के दौरान संग्रहण हेतु लंबित बकाया की स्थिति निम्नानुसार है :—

वर्ष ¹	प्रारम्भिक शेष ²	राशि में जोड़	योग	वसूली की गई राशि	शेष	वसूली का प्रतिशत कालम 5को 4 से
1	2	3	4	5	6	7
1999–2000	197.13	531.38	728.51	439.41	289.10	60.32
2000–2001	196.23 ²	523.16	719.39	492.53	225.79	68.46
2001–2002	225.79	1,007.07	1,232.86	362.99	869.87	29.44
2002–2003	869.87	684.96	1,554.83	901.56	653.27	57.98
2003–2004	653.27	473.69	1,126.96	480.49	646.47	42.63

सम्भाग वार आंकड़ों के विश्लेषण में पाया गया कि आठ संभागों में वर्ष 2001–02 में “बकाया में वृद्धि” एवं “वसूली की राशि” अगले वर्ष 2002–03 के तैयार पत्रकों में वर्ष 2001–02 के आंकड़े दर्शाये गये आंकड़ों से मेल नहीं खाते हैं। इसी प्रकार नौ संभागों, वर्ष 2002–03 में ‘बकाया में वृद्धि’ ‘वसूली की राशि’ अगले वर्ष 2003–04 के पत्रक में 2002–03 के दर्शाये आंकड़ों से मेल नहीं खाते हैं।

इस प्रकार यह देखा गया कि विभाग के उपलब्ध बकाया की स्थिति विश्वसनीय नहीं है, संबंधित संभागों से सत्यापन/पुनर्मिलान की आवश्यकता है।

²

छत्तीसगढ़ राज्य के आंकड़ों को छोड़कर

विभिन्न स्तरों पर लंबित बकाया की स्थिति निम्नानुसार है:-

		(करोड़ रूपये में)
●	न्यायालयीन स्थगन के तहत राशि	56.74
●	अतिरिक्त आयुक्त एवं उप आयुक्त के पास पुर्नवलोकन हेतु लंबित (प्रकरणों में) सन्निहित राशि	9.04
●	बी.आई.एफ.आर. में सन्निहित बीमार मिलों की लंबित राशि	103.12
●	किस्तों में सन्निहित राशि	9.01
●	राजस्व वसूली प्रमाण—पत्रों में सन्निहित राशि राज्य के बाहर	50.41
●	राज्य के भीतर	112.26
●	ऐसे प्रकरण जिनमें चूक कर्ता के अता—पता एवं उन की सम्पत्ति जांच के अधीन है, सन्निहित राशि	120.76
●	चल एवं अचल कुर्क सम्पत्ति में सन्निहित राशि	56.66
●	अपलेखन करने हेतु प्रस्तावित राशि	9.05
●	सामान्य वसूली का योग	119.42
योग		646.47

इस बकाया राशि का समयवार विश्लेषण आयुक्त वाणिज्यिक कर अथवा वृत्तों से उपलब्ध नहीं हुये ।

2.2.9 लक्ष्य से कम उपलब्धि

आयुक्त वाणिज्यिक कर द्वारा नवम्बर 2000, 2001 एवं 2004 में सभी वसूली अधिकारियों को जारी निर्देशों के अनुसार बकाया का अन्तिम शेष वर्ष 2000–01, 2001–02, 2003–04 के बकाया के प्रारम्भिक शेष के 10 प्रतिशत से कम सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया था जबकि वर्ष 2002–03 हेतु यह 25 प्रतिशत निर्धारित किया गया। प्रत्येक वृत्त का वाणिज्यिक कर अधिकारी इस उद्देश्य हेतु गठित अधिकारियों की टीम के सहयोग से प्रभावकारी वसूली हेतु जिम्मेदार था। उप आयुक्त वाणिज्यिक कर को इस हेतु प्रत्येक वृत्त से संबंधित बकाया की वसूली की प्रगति पर निरन्तर निगरानी रखी जाना चाहिये थी। उन्हें इसकी पार्श्वक जानकारी आयुक्त वाणिज्यिक कर को भी प्रस्तुत की जानी चाहिये थी।

विभाग द्वारा प्रदत्त जानकारी के अनुसार निर्धारित लक्ष्य एवं उपलब्धि की निकाली गई स्थिति निम्नानुसार है ।

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	अभियान की अवधि	अभियान के लिये निर्धारित लक्ष्य	बकाया का प्रारंभिक शेष	निर्धारित लक्ष्य के अनुसार अंतिम शेष	वास्तविक बकाया का अंतिम शेष	लक्ष्य राशि में कमी (प्रतिशत)
1	2	3	4	5	6	7
2000–2001	1 दिसम्बर 2000 से 31 मार्च 2001	अंतिम शेष बकाया के प्रारंभिक शेष से कम से कम 10 प्रतिशत कम होना चाहिये	196.23	176.61	225.79	49.18 (21.78)
2001–2002	1 दिसम्बर 2001 से 31 मार्च 2002	— तदैव —	225.79	203.21	869.87	666.66(76.64)
2002–2003	1 जनवरी 2003 से 31 मार्च 2003	अंतिम शेष बकाया के प्रारंभिक शेष से कम से कम 25 प्रतिशत कम होना चाहिये	869.87	652.40	653.27	0.87 (0.13)
2003–2004	15 जनवरी 2004 से 31 मार्च 2004	अंतिम शेष बकाया के प्रारंभिक शेष से कम से कम 10 प्रतिशत से कम होना चाहिये	653.27	587.94	646.47	58.53 (9.05)

उपरोक्तानुसार यह देखा गया कि वर्ष 2000–01 एवं 2001–02 में लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया गया । इन वर्षों के दौरान बकाया 22 प्रतिशत एवं 77 प्रतिशत की वृद्धि हुई ।

शासन द्वारा अपने उत्तर जुलाई 2005 में बताया कि बढ़ती जिम्मेदारियों एवं विभागीय अधिकारियों की निरन्तर कमी एवं संसाधनों की न्यूनता के कारण लक्ष्य प्राप्त नहीं किये जा सके ।

2.2.10 राजस्व वसूली प्रमाण–पत्रों के जारी करने एवं पंजीयन में विलम्ब

अधिनियम के प्रावधानों के तहत व्यवसायी को कर निर्धारण अधिकारी द्वारा निर्धारण के पश्चात् मांग पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अन्दर कर जमा कर दिया जाना चाहिये, इसमें असफल होने पर राशि की वसूली भू राजस्व के बकाया की भाँति की जावेगी । आगे आयुक्त वाणिज्यिक कर नवम्बर 1992 में जारी परिपत्र के तहत यदि राशि का भुगतान नहीं होता तो भुगतान तिथि के समाप्त होने के 30 दिन के अन्दर राजस्व वसूली प्रमाण–पत्र जारी करने हेतु प्रारम्भ की जावेगी ।

छ: वाणिज्यिक कर अधिकारियों³ के वृत्त कार्यालय एवं दो सहायक आयुक्तों⁴ के कार्यालयों की जून 2004 एवं अप्रैल 2005 के मध्य अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि 99 प्रकरणों में राजस्व वसूली प्रमाण—पत्र 15 दिन से 34 माह तक के विलम्ब से जारी किये गये।

कुछ उदाहरण नीचे दिये गये हैं।

क्र.	वा.क.अ./ स.आ. के नाम	प्रकरण क्र. एवं सन्धित राशि (रु. लाख में)	निर्धारण / मांग पत्र जारी करने का दिनांक	प्रमाण—पत्र प्रक्रिया संस्थापित करने की नियत तिथि	प्रमाण—पत्र प्रक्रिया का दिनांक	विलम्ब	
						माह	दिन
1	वा.क.अ. वृत्त—2 भोपाल	277/2000 2.07	5.6.03	4.8.03	19.8.03	—	15
2	वा.क.अ. वृत्त—15 इन्दौर	48/96 3.20	1.1.03	28.2.03	27.9.03	6	27
3	— तदैव —	46/96 0.96	— तदैव —	— तदैव —	— तदैव —	6	27
4.	वा.क.अ. वृत्त—1 जबलपुर	3/2000 1.18	17.1.01	16.3.01	29.1.04	34	—
5	स.आ. जबलपुर	22/2001 0.31	16.2.03	15.4.03	16.3.04	11	—

वाणिज्यिक कर आयुक्त द्वारा जारी निर्देशों (नवम्बर 1992) के तहत वसूली अधिकारी कर निर्धारण अधिकारी से प्राप्त राजस्व वसूली प्रमाण—पत्रों को वाणिज्यिक कर आयुक्त द्वारा निर्धारित पंजी में सात दिन के भीतर इनकी प्रविष्टि करेगा।

104 प्रकरणों में 5.24 करोड़ रुपये के राजस्व वसूली प्रमाण—पत्र दिसम्बर 1999 एवं सितम्बर 2003 के मध्य जारी किये गये थे, को सम्बद्ध पंजी में इन्द्राज नहीं किया गया।

इस ओर इंगित किये जाने के बाद वसूली अधिकारियों द्वारा प्रकरणों को सम्बद्ध पंजी में इन्द्राज किया गया तथा बताया गया कि आर.आर.सी. पुस्तिकाओं की अनुपलब्धता, कर्मचारियों की कमी तथा इनकी समय समय पर विभिन्न विभागों में ड्यूटी जैसे चुनाव, पल्स पोलियो एवं जन गणना आदि के कारण राजस्व वसूली प्रमाण—पत्र जारी करने एवं पंजीबद्ध करने में विलम्ब हुआ। शासन द्वारा जुलाई 2005 में उत्तर की पुष्टि की गई।

³ वृत्त 2 भोपाल, वृत्त 2 एवं 15 इन्दौर, वृत्त 1,3 एवं 4 जबलपुर

⁴ सहायक आयुक्त इन्दौर एवं जबलपुर

2.2.11 वसूली प्रमाण—पत्र जारी होने के बाद मांग पत्र जारी न करना/जारी करने में विलम्ब

अधिनियम तथा इसके अन्तर्गत नियमों एवं वाणिज्यिक कर आयुक्त द्वारा अक्टूबर 1978 एवं नवम्बर 1992 में जारी निर्देशों के अन्तर्गत, वसूली अधिकारी राजस्व वसूली प्रमाण—पत्र की प्राप्ति के सात दिन के अन्दर मांग पत्र जारी करेगा।

- सात वृत्त कार्यालयों⁵ के में अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि दिसम्बर 2000 एवं मार्च 2004 के मध्य पंजीकृत 35 प्रकरणों 96.78 लाख रुपये की राशि सन्निहित के मांगपत्र पांच माह से 42 माह की समाप्ति तक वसूली अधिकारी द्वारा जारी नहीं किये गये। इसके परिणामस्वरूप शासन को उस सीमा तक राजस्व की प्राप्ति नहीं हुई।
- आगे चार वृत्त कार्यालयों⁶ के 18 प्रकरण जनवरी 2002 एवं फरवरी 2004 के मध्य पंजीकृत किये गये थे। अभिलेखों की मार्च 2005 में नमूना जांच में पाया गया कि मांग पत्र जिनमें 1.03 करोड़ रुपये की राशि सन्निहित थी वसूली अधिकारी द्वारा एक माह से 22 माह के विलम्ब से जारी किये गये। इसके कुछ उदाहरण निम्न हैं :—

क्र. सं.	वा.कर.अ. का नाम	प्रकरण क्रमांक	आर.आर.सी. नम्बर एवं दिनांक	राशि (रुपये लाखों में)	मांगपत्र जारी करने का दिनांक	विलम्ब
1	वा.क.अ. भोपाल वृत्त 6	57/97	36644 X 4/7.2.04	20.43	2.8.2004	5 माह
2	— तदैव —	4/96	36644 X 7/7.2.04	13.33	2.8.2004	5 माह
3	— तदैव —	95/98	8232 X 54/7.01.02	14.23	20.11.2003	22 माह
4	— तदैव —	17/99	8234 X 34/1.11.02	15.33	21.01.2003	2 माह
5	— तदैव —	53/2000	7824 X 33/30.11.02	7.81	10.01.2003	1 माह

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने के बाद विभाग ने बताया गया कि मांगपत्र कार्य की अधिकता, कर्मचारियों की कमी तथा इनके समय समय पर विभिन्न विभागों को कर्तव्य पर भेजने जैसे चुनाव, पल्स पोलियो, जनगणना आदि के कारण जारी नहीं किये जा सके/जारी करने में विलम्ब हुआ। शासन द्वारा जुलाई 2005 में उत्तर की पुष्टि की गई।

⁵ वृत्त 2 भोपाल, वृत्त 11 एवं 15 इन्दौर, वृत्त 1,2,3 एवं 4 जबलपुर

⁶ वृत्त 6 भोपाल वृत्त 1,3 एवं 4 जबलपुर

2.2.12 कुर्की वारन्ट जारी न करना/ जारी करने में विलम्बः

आयुक्त वाणिज्यिक कर द्वारा अक्टूबर 1978 एवं नवम्बर 1992 में जारी अनुदेशों के अनुसार यदि व्यवसायी राजस्व वसूली पत्र जारी होने के पश्चात मांग पत्र जारी होने के दिनांक से सात से पंद्रह दिन के अन्दर राशि जमा करने में असफल रहता है तो उसके विरुद्ध सम्पत्ति के कुर्क करने हेतु वारन्ट जारी करने हेतु कार्यवाही की जानी चाहिये ।

- सात वृत्त कार्यालयों⁷ के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि यद्वपि रु. 2.06 करोड़ रुपये की सन्निहित वसूली के 71 प्रकरणों में मांग पत्र वर्ष 1999 एवं मार्च 2004 के मध्य चूक कर्ताओं को वसूली हेतु तामील कर दिये गये थे लेकिन उनकी कुर्की हेतु आवश्यक वारन्ट वसूली अधिकारियों द्वारा जारी नहीं किये गये । परिणामस्वरूप, शासकीय देय राशि 2.06 करोड़ रुपये पांच माह से 77 माह की अवधि व्यतीत होने जाने के उपरान्त भी वसूली हेतु रही ।
- चार इकाइयों⁸ के अगस्त 2004 एवं मार्च 2005 के मध्य अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि 1.25 करोड़ रुपये की सन्निहित वसूली के 30 प्रकरणों के वारन्ट अगस्त 1999 एवं फरवरी 2004 के मध्य तैयार कर लिये गये थे जो पांच माह से 59 माह की समाप्ति के पश्चात जारी किये गये । इसके फलस्वरूप सम्पत्ति कुर्क नहीं की जा सकी । इससे परिलक्षित होता है कि चूककर्ताओं का पता लगाने हेतु गहन प्रयास नहीं किये गये फलस्वरूप बकाया इकट्ठा होता गया ।

लेखा परीक्षा में इंगित किये जाने के बाद विभाग ने बताया गया कि कुर्की वारन्ट, चूक कर्ताओं के न मिलने, एवं कर्मचारियों की कमी तथा समय समय पर उनके अन्य विभागों के कर्तव्य पर जाने जैसे चुनाव, पल्स पालियो, एवं जनगणना आदि के कारण जारी/तामील नहीं हो सके । शासन द्वारा जुलाई 2005 में उत्तर की पुष्टि की गई ।

⁷ वृत्त 2 भोपाल, वृत्त 7 एवं 11 इन्दौर, वृत्त 1,2,3 एवं 4 जबलपुर

⁸ वृत्त 2 भोपाल, वृत्त 7 एवं 11 इन्दौर, वृत्त 1 जबलपुर

2.2.13 जब्त सम्पत्ति का निवर्तन न करना

आयुक्त वाणिज्यिक कर के नवम्बर 1980 के अनुदेशों के अनुसार जब्ती वारन्ट की तामीली के 3 दिन के भीतर जब्त सम्पत्ति की नीलामी की कार्यवाही की जानी चाहिये ।

14 वृत्त कार्यालयों⁹ के अभिलेखों की अगस्त 2004 एवं अप्रैल 2005 के मध्य नमूना जांच में पाया गया कि शासकीय देयताओं को जमा करने में विफल रहने वाले 71 चूककर्ताओं की सम्पत्ति को अगस्त 1999 तथा मार्च 2004 के बीच जब्त किया गया था । तथापि पांच माह से 65 माह व्यतीत हो जाने के बाद भी निवर्तित नहीं किया गया । फलस्वरूप शासन को देय राशि वसूली हेतु शेष रही ।

लेखा परीक्षा में इस ओर इंगित किये जाने के बाद विभाग द्वारा बताया गया कि बोलीदारों के जगह पर उपस्थित न होने के कारण सम्पत्ति को नीलामी द्वारा निवर्तित नहीं किया जा सका । विभाग का कथन मान्य नहीं था क्योंकि अभिलेख में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं था कि पर्याप्त संख्या में बोलीदारों को आकर्षित करने हेतु सार्वजनिक नीलामी के लिये स्थानीय/ क्षेत्रीय/राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्रों द्वारा व्यापक प्रचार प्रसार किया गया हो ।

2.2.14 अन्य राज्यों को भेजे गये राजस्व वसूली प्रमाण—पत्रों में अनुगामी कार्यवाही करने में विफलता

ऐसे चूककर्ता व्यवसाइयों के प्रकरणों में जो अपना व्यवसाय/निवास राज्य के बाहर बदल चुके हैं, बकाया शासकीय देय राशि की वसूली करने के प्रयोजन से राजस्व वसूली प्रमाण—पत्र उस संभाग के वाणिज्यिक कर उपायुक्त के माध्यम से वसूली संबंधित राज्य के संबंधित जिलों के जिलाधीशों को भेजे जाते हैं ।

15 इकाइयों¹⁰ के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि 1965–66 से 2002–03 की अवधि से संबंधित 160 प्रकरणों में राजस्व वसूली प्रमाण—पत्र अप्रैल 1999 एवं मार्च 2004 के मध्य विभिन्न राज्यों को भेजे गये थे । एक से छः वर्ष व्यतीत हो जाने के उपरांत भी प्रभावी वसूली हेतु कोई अनुगामी कार्यवाही नहीं की गई । विभाग ने बताया कि संबंधित राज्यों से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई ।

⁹ वृत्त 1,2,4,5 एवं 6 भोपाल, वृत्त 4,6,7,10 एवं 11 इन्दौर, वृत्त 2 जबलपुर, वृत्त 1 सतना, वृत्त सेंधवा एवं वृत्त विदिशा

¹⁰ वृत्त 1,2,3,4 एवं 5 भोपाल, उप वाणिज्यिक कर आयुक्त संभाग 1,2 एवं 3 इन्दौर, वृत्त इटारसी, होशंगाबाद, रीवा, सतना I एवं सीहोर, सेंधवा एवं विदिशा ।

राज्य के बाहर स्थानों पर संबंधित प्राधिकारी, जहां व्यवसाइयों ने अपना व्यवसाय एवं निवास बदल दिये हैं, तुरंत वसूली प्रमाण—पत्र स्थानान्तरण हेतु एवं अनुवर्ती कार्यवाही के लिये पद्धति विकसित करना चाहिये ।

2.2.15 प्रक्रिया व्यय की मांग जारी न करना

मध्य प्रदेश लोकधन (शोध्य राशियों की वसूली) अधिनियम 1987 के प्रावधानों के अनुसार चूक कर्ता को जारी किये जाने वाले मांग पत्रों में देय मूल राशि में, राशि के तीन प्रतिशत की दर से प्रक्रिया व्यय भी सम्मिलित किया जावेगा ।

11 वृत्त कार्यालयों¹¹ के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि मई 1999 एवं मार्च 2004 के मध्य 27.44 करोड़ रुपये की मूल राशि पर 82.32 लाख रुपये के प्रक्रिया व्यय की राशि 200 चूक कर्ताओं को जारी सम्बन्धित मांग पत्रों में शामिल नहीं की गई ।

इसे इंगित किये जाने इसके बाद विभाग एवं शासन ने जुलाई 2005 मे बताया कि वसूली की प्रक्रिया म.प्र. भू—राजस्व संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत की गई तथा इस प्रकार का कोई भी प्रक्रिया व्यय आरोपित नहीं किया गया तथा मांग पत्रों में शामिल नहीं किया गया ।

विभाग शासन का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि अधिनियम की धारा 3 के प्रावधानों के अन्तर्गत देय की मूल राशि में, मूल राशि के 3 प्रतिशत की दर से प्रक्रिया व्यय भी जोड़ने का स्पष्ट प्रावधान है ।

2.2.16 निष्कर्ष:

इस तरह उपरोक्तानुसार देखा गया कि म.प्र. भू राजस्व संहिता और उनके अधीन नियमों के तहत रा.व प्रमाण—पत्रों की मोनिटरिंग में आन्तरिक नियंत्रण की कमी थी । रा.व. प्रमाण—पत्र की कार्यवाही शुरू करने में अत्यधिक विलम्ब, जब्त सम्पत्ति का अनिवर्तन तथा राज्य के बाहर संबंधित अधिकारियों को वसूली प्रमाण—पत्र के विरुद्ध राजस्व प्राप्ति हेतु कार्यवाही का अनुसरण न करने के परिणामस्वरूप शासन के राजस्व की बड़ी राशि में वसूली नहीं हो सकी ।

2.2.17 अभिस्वीकृति

समीक्षा के तथ्य राज्य शासन को जुलाई 2005 में लेखापरीक्षा की समीक्षा— बैठक में भाग लेने हेतु निवेदन के साथ अग्रेषित किये गये तथापि न तो विभाग और न ही राज्य शासन बैठक में भाग लेने हेतु आगे आये ।

¹¹ वृत्त 2 एवं 6 भोपाल, वृत्त 7,10,11,13 एवं 15 इन्दौर वृत्त 1,2,3 एवं 4 जबलपुर

अध्याय – 1 सामान्य

1.1 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

1.1.1 मध्य प्रदेश शासन द्वारा वर्ष 2005–06 के दौरान वसूल किया गया कर एवं कर भिन्न राजस्व, वर्ष के दौरान भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान एवं विभाज्य संघीय करों का राज्य अंशदान तथा पूर्ववर्ती चार वर्षों के तदनुरूप ऑकड़े नीचे दिये गये हैं :

(करोड़ रुपयों में)

क्र.		2001–2002	2002–2003	2003–2004	2004–05	2005–06
I	राज्य शासन द्वारा वसूल किया गया राजस्व					
(क)	कर राजस्व	4,678.98	6,164.55	6,788.86	7,772.97	9,114.70
(ख)	कर—भिन्न राजस्व	1,601.68	1,635.48	1,479.82	4,461.86	2208.20
	योग	6,280.66	7,800.03	8,268.68	12,234.83	11,322.90
II	भारत सरकार से प्राप्तियों					
(क)	विभाज्य संघीय करों में राज्य का अंश	3,439.30	3,728.73	4,247.14	5,076.68 ¹	6341.35
(ख)	सहायता अनुदान	1,491.12	1,861.64	1,773.14	2,431.74	2932.54
	योग	4,930.42	5,590.37	6,020.28	7,508.42	9,273.89
III	राज्य की कुल प्राप्तियाँ	11,211.08	13,390.40	14,288.96	19,743.25	20,596.79
IV	I से III का प्रतिशत	56	58	58	62	55

¹ विस्तृत विवरण के लिए कृपया मध्य प्रदेश शासन के वर्ष 2005–06 के वित्त लेखे के विवरण पत्रक क्रमांक 11 “राजस्व का विस्तृत लेखा लघु शीर्ष से” का अवलोकन करें। शीर्ष “0021 आय पर निगम कर से भिन्न कर राज्यों को समनुदेशित निवल प्राप्तियों का अंश” के ऑकड़े, जो वित्त लेखे में कर राजस्व के अन्तर्गत लेखांकित हैं, को राज्य द्वारा वसूल की गई प्राप्तियों में से हटा दिया गया है और इस विवरण पत्रक में विभाज्य संघीय करों में राज्य के अंश में शामिल किया गया है।

लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियाँ) 31 मार्च 2006 को समाप्त वर्ष

1.1.2 पूर्ववर्ती चार वर्षों के आँकड़ों सहित वर्ष 2005–2006 के दौरान वसूल किए गए कर राजस्व का विवरण नीचे दर्शाया गया है :

(करोड़ रुपयों में)

क्रम संख्या	राजस्व शीर्ष	2001–2002	2002–2003	2003–2004	2004–05	2005–06	2004–2005 की तुलना में 2005–2006 में वृद्धि (+)/कमी (-) का प्रतिशत
1	2	4	5	6	7	8	
1	(क) विक्रय कर (ख) केन्द्रीय विक्रय कर	2,360.74	2,906.20	3,293.26	3,912.01	4508.42	(+) 15.25
2	राज्य उत्पाद शुल्क	704.68	890.32	1,085.89	1,192.36	1,370.38	(+) 14.93
3	मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस	444.96	535.05	614.49	788.71	1,009.48	(+) 27.99
4	विद्युत पर कर एवं शुल्क	268.19	801.26	697.06	707.18	842.27	(+) 19.10
5	वाहनों पर कर	393.33	428.64	454.92	488.65	556.02	(+) 13.79
6	माल एवं यात्रियों पर कर	262.40	351.20	390.99	468.07	578.58	(+) 23.61
7	आय एवं व्यय पर अन्य कर, वृत्ति, व्यापार, व्यवसाय तथा रोजगार पर कर	173.05	187.44	188.90	150.21	153.08	(+) 1.91
8	वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क	19.99	20.08	15.32	14.28	14.15	(-) 0.91
9	भू—राजस्व	48.21	40.44	43.63	46.80	77.16	(+) 64.87
10	होटल प्राप्तियाँ	3.43	3.92	4.40	4.75	5.37	(+) 13.05

१	२	३	४	५	६	७	८
11	कृषि भूमि के अतिरिक्त स्थायी सम्पत्ति पर कर	—	—	—	(-) 0.05 ²	(-) 0.21 ³	
	योग	4,678.98	6,164.55	6,788.86	7,772.97	9,114.70	

सम्बंधित विभागों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार वर्ष 2004–2005 की तुलना में वर्ष 2005–06 के दौरान प्राप्तियों में भिन्नता के कारणों का नीचे उल्लेख किया गया है :—

1. **मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस :** 27.99 प्रतिशत की वृद्धि वर्ष 2004–05 की तुलना में दस्तावेजों का अधिक पंजीयन होने के कारण थी।

यद्यपि अन्य विभागों से भिन्नताओं के कारण मांगे गये थे, पर संबंधित विभागों से प्राप्त नहीं हुए हैं (जनवरी 2007)।

1.1.3 विगत चार वर्षों के आंकड़ों सहित वर्ष 2005–06 के दौरान वसूल किए गए प्रमुख कर—भिन्न राजस्व का विवरण निम्नानुसार है :

(करोड़ रुपयों में)

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	2001–2002	2002–2003	2003–2004	2004–05	2005–06	2004–2005 की तुलना में 2005–2006 में वृद्धि (+)/कमी (-) का प्रतिशत	८
१	२	४	५	६	७			
1	ब्याज प्राप्तियाँ	246.59	32.05	19.22	25.90	527.20	(+) 1,935.52	
2	अन्य कर—भिन्न प्राप्तियाँ	237.68	249.32	144.57	157.48	151.94	(-) 3.52	
3	वानिकी एवं व्यापारी जीवन	306.45	497.30	496.75	559.11	490.40	(-) 12.29	
4	अलौह धातु खनन एवं धातुकर्म उद्योग	528.39	590.69	646.71	733.72	815.31	(+) 11.12	
5	विविध सामान्य सेवाएँ (लाटरी प्राप्तियाँ सहित)	141.03	120.94	22.92	79.61	21.30	(-) 73.24	
6	शक्ति	0.05	0.24	0.12	2,749.49	0.08	(-) 100	
7	वृहद एवं मध्यम सिंचाई	39.15	24.64	37.80	37.92	29.57	(-) 22.02	
8	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	16.14	20.36	10.98	16.76	11.73	(-) 30.01	
9	सहकारिता	13.23	14.45	15.60	17.92	14.23	(-) 20.59	
10	लोक निर्माण	6.75	8.57	9.09	9.94	53.08	(+) 534.00	

² वापसी में कटौती के कारण (2004–05 के वित्तीय लेखों के अनुसार)

³ वापसी में कटौती के कारण (2005–06 के वित्तीय लेखों के अनुसार)

लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियाँ) 31 मार्च 2006 को समाप्त वर्ष

1	2	4	5	6	7		8
11	पुलिस	42.49	39.23	24.99	23.23	26.16	(+) 12.61
12	अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	23.73	37.69	51.07	50.78	67.20	(+) 32.34
	गण	1,601.68	1,635.48	1,479.82	4,46186	2,208.20	

सम्बंधित विभागों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार वर्ष 2004–05 की तुलना में वर्ष 2005–06 के दौरान प्राप्तियों में भिन्नता के कारण नीचे दिये गये हैं :

ब्याज प्राप्तियाँ : वृद्धि का कारण मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मण्डल से ब्याज प्राप्तियाँ शीर्ष में 464.06 करोड़ रुपये की प्राप्ति होना था ।

वानिकी एवं वन्य जीवन : नर्मदा बांध डूब क्षेत्रों में उत्पादन में कमी एवं नक्सलवादी गतिविधियों के कारण राजस्व में 12.29 प्रतिशत की कमी हुई ।

अलौह धातु खनन एवं धातु कर्म उद्योग : गौण खनिजों की खदानों के कार्य का विभाग को पुनरावंटन के कारण 11.12 प्रतिशत की वृद्धि हुई ।

शक्ति : 100 प्रतिशत कमी का कारण विगत वर्ष में मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मण्डल को सहायता के कारण राजस्व में वृद्धि होना था ।

अन्य विभागों से भिन्नता संबंधी कारण यद्यपि मांगे गये थे, पर प्राप्त नहीं हुए हैं (जनवरी 2007) ।

1.2 बजट अनुमानों एवं वास्तविक प्राप्तियों में भिन्नताएँ

(क) कर एवं कर भिन्न राजस्व के प्रमुख शीर्षों में वर्ष 2005–06 के बजट अनुमानों तथा वास्तविक राजस्व प्राप्तियों में भिन्नताएँ नीचे दर्शाई गई हैं :

(करोड़ रुपयों में)

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक	भिन्नताएँ वृद्धि (+) या कमी (-)	भिन्नता का प्रतिशत
क.	कर राजस्व				
1.	विक्रय कर	4,676.00	4,508.42	(-) 167.58	(-) 3.58
2.	राज्य उत्पाद शुल्क	1,300.00	1,370.38	(+) 70.38	(+) 5.41
3.	मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस	830.00	1,009.48	(+) 179.48	(+) 21.62
4.	विद्युत पर कर एवं शुल्क	760.35	842.27	(+) 81.92	(+) 10.77

5.	भू राजस्व	85.55	77.16	(-) 8.39	(-) 9.81
ख	कर—भिन्न राजस्व				
1.	वानिकी एवं वन्य जीवन	422.00	490.40	(+) 68.4	(+) 16.21
2.	अलौह धातु खनन एवं धातु कर्म उद्योग	800.00	815.31	(+) 15.31	(+) 1.91
3.	सहकारिता	11.65	14.23	(+) 2.58	(+) 22.15

बजट अनुमानों एवं वास्तविक प्राप्तियों में सारभूत भिन्नता के कारण यद्यपि मंगाये गए थे, पर विभागों से प्राप्त नहीं हुए हैं (जनवरी 2007)।

1.3 संग्रहण की लागत

वर्ष 2003–04, 2004–05 तथा 2005–06 के दौरान प्रमुख राजस्व प्राप्तियों के सकल संग्रहण, संग्रहण पर किया गया व्यय तथा सकल संग्रहण पर ऐसे किए गए व्यय का प्रतिशत, वर्ष 2004–05 में सकल संग्रहण पर व्यय के राष्ट्रीय औसत प्रतिशत के साथ नीचे दर्शाये अनुसार था :

(करोड़ रुपयों में)

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	वर्ष	संग्रहण	राजस्व संग्रहण पर व्यय	संग्रहण पर व्यय का प्रतिशत	वर्ष 2004–2005 में राष्ट्रीय औसत प्रतिशत
1	विक्रय कर	2003–04	3,293.26	50.84	1.54	
		2004–05	3,912.01	45.06	1.15	0.95
		2005–06	4508.42	50.41	1.12	
2	वाहनों पर कर तथा माल एवं यात्रियों पर कर	2003–04	845.91	16.27	1.92	
		2004–05	956.72	11.87	1.24	2.74
		2005–06	1,134.60	19.35	3.47	
3	राज्य उत्पाद शुल्क	2003–04	1,085.89	226.27	20.84	
		2004–05	1,192.36	230.92	19.37	3.34
		2005–06	1370.38	289.53	21.13	
4	मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस	2003–04	614.49	60.37	9.82	
		2004–05	788.71	75.28	9.54	3.44
		2005–06	1009.48	28.84	2.86	

‘राज्य उत्पाद शुल्क’ शीर्ष के अन्तर्गत वृद्धि का कारण संग्रहण पर व्यय में स्प्रिट एवं मदिराओं का क्रय शामिल होना है। विक्रय कर एवं वाहनों पर कर तथा माल और यात्रियों पर कर में भी संग्रहण पर व्यय राष्ट्रीय औसत से थोड़ा अधिक है; इसके कारण विभागों से यद्यपि मांगे गये थे, परन्तु प्राप्त नहीं हुए हैं (जनवरी 2007)।

1.4 प्रति निधारिती विक्रय कर का संग्रहण

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	निधारितियों की संख्या	विक्रय कर राजस्व ⁴	राजस्व/निधारिती
2001–2002	2,10,104	2,393.44	0.011
2002–2003	2,24,298	2,923.62	0.013
2003–2004	2,23,157	3,370.75	0.015
2004–2005	2,33,672	3,977.88	0.017
2005–06	2,41,000	5,302.25	0.022

1.5 बकाया राजस्व का विश्लेषण

31 मार्च 2006 को राजस्व के कुछ प्रमुख शीर्षों में बकाया राजस्व की राशि 966.56 करोड़ रुपये थी जिसमें से 81.80 करोड़ रुपये (परिवहन विभाग व वाणिज्यिक कर विभाग को छोड़कर) की राशि निम्न तालिका में दिए गए विवरण के अनुसार 5 वर्षों से अधिक समय से बकाया थी।

(करोड़ रुपयों में)

क्रम संख्या	राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2006 को बकाया राशि	31 मार्च 2006 को 5 वर्षों से अधिक समय से बकाया राशि
1.	वाहनों पर कर	33.83	उपलब्ध नहीं कराई गयी
2.	राज्य उत्पाद शुल्क	53.73	40.20
3.	विद्युत पर कर एवं शुल्क	32.85	15.34
4	विक्रय कर	759.30	उपलब्ध नहीं कराई गयी
5	अलौह धातु खनन एवं धातुकर्म उद्योग	11.11	11.11
6	सहकारिता	9.36	4.51
7	मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस	66.38	10.64
	योग	966.56	81.80

⁴ विभाग द्वारा प्रस्तुत आंकड़े वित्तीय लेखे के आंकड़ों से भिन्न हैं।

पांच वर्षों से अधिक समय से बकाया राशि का विवरण परिवहन विभाग तथा वाणिज्यिक कर अनुभाग द्वारा नहीं दिया गया है। इसके अलावा बकाया राजस्व का संग्रहण किस स्तर पर लंबित है यह भी विभागों द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया।

1.6 निर्धारण का बकाया

विक्रय कर, व्यवसाय कर, प्रवेश कर, पट्टा कर, विलासिता कर तथा निर्माण संविदाओं आदि पर कर के संबंध में विक्रय कर विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गये वर्ष के प्रारम्भ में निर्धारण हेतु लंबित प्रकरण, वर्ष के दौरान निर्धारण योग्य हो चुके प्रकरण, वर्ष के दौरान निराकृत किए गए प्रकरण तथा वर्ष 2005–06 के अंत में निराकरण हेतु लंबित प्रकरणों की संख्या का विवरण निम्नानुसार है :

कर का नाम	प्रारम्भिक शेष	वर्ष के दौरान निर्धारण किए जाने योग्य नये प्रकरण	निर्धारण के लिए कुल प्रकरण	वर्ष के दौरान निराकृत किए गए प्रकरण	वर्ष के अंत में शेष	कालम 4 से 5 का प्रतिशत
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
विक्रय कर	2004–05	2,86,363	3,26,262	6,12,625	3,31,915	2,80,710 54.18
	2005–06	2,80,710	3,38,423	6,19,133	3,76,866	2,42,267 60.87
व्यवसाय कर	2004–05	88,054	1,32,834	2,20,888	1,04,411	1,16,477 47.27
	2005–06	1,16,477	— जानकारी	अपेक्षित	—	
प्रवेश कर	2004–05	1,59,709	1,98,356	3,58,065	1,98,508	1,59,557 55.44
	2005–06	1,59,557	2,05,172	3,64,729	2,05,971	1,58,758 56.47
विलासिता कर	2004–05	439	755	1,194	725	469 60.72
	2005–06	469	602	1,071	602	469 56.21
निर्माण संविदाओं पर कर	2004–05	1,056	5,898	6,954	3,747	3,207 53.88
	2005–06	3,207	2,651	5,858	3,212	2,646 54.83
योग	2004–05	5,35,621	6,64,105	11,99,726	6,39,306	5,60,420 53.29
	2005–06	5,60,420	5,46,848	11,07,268	5,86,651	5,20,617 52.98

लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियाँ) 31 मार्च 2006 को समाप्त वर्ष

1.7 कर अपवंचन

विभागों द्वारा प्रतिवेदित जानकारी के अनुसार विक्रय कर तथा राज्य उत्पाद शुल्क विभागों द्वारा पकड़े गए कर अपवंचन के प्रकरणों, निराकृत प्रकरणों तथा अतिरिक्त कर हेतु सृजित मांग से संबंधित विवरण निम्नानुसार हैं :

(करोड़ रुपयों में)

क्रम संख्या	कर/शुल्क का नाम	31 मार्च 2005को लंबित प्रकरण	2005–2006 के दौरान पकड़े गए प्रकरण	योग	उन प्रकरणों की संख्या जिनमें निर्धारण/जांच पूर्ण हो चुकी थी तथा शास्ति आदि सहित अतिरिक्त मांग सृजित की गई		31 मार्च 2006 को निराकरण हेतु लंबित प्रकरणों की संख्या
					प्रकरणों की संख्या	मांग की राशि	
1.	विक्रय कर	179	233	412	134	253.39	278
2.	राज्य उत्पाद शुल्क	1,372	1,629	3,001	2,671	8.85	330
3.	मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन	6,001	5,387	11,388	5,142	8.64	6,246

1.8 वापसियाँ

विभाग द्वारा प्रतिवेदित जानकारी के अनुसार वर्ष 2005–06 के प्रारंभ में लंबित वापसी प्रकरणों, वर्ष के दौरान प्राप्त दावों, वर्ष के दौरान वापसियों तथा वर्ष 2005–06 के अंत में लंबित प्रकरणों की संख्या निम्नानुसार हैं :

(करोड़ रुपयों में)

क्र. सं.	श्रेणी	राज्य उत्पाद शुल्क	वाणिज्यिक कर		निर्माण संविदा पर कर		मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस
			प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	वर्ष के प्रारंभ में लंबित दावे	317	2.74	1,360	5.45	60	2.99
2	वर्ष के दौरान प्राप्त दावे	64	1.20	8,041	26.25	जानकारी अपेक्षित	689
							55.34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	वर्ष के दौरान की गई वापसियां	45	0.48	7,698	24.35	----- तदैव -----		685	50.77
4	वर्ष के अन्त में बकाया शेष	336	3.46	1,703	7.35	--- तदैव ---		625	33.09

1.9 लेखा परीक्षा के परिणाम

वर्ष 2005–06 में विक्रय कर, भू–राजस्व, राज्य उत्पाद शुल्क, मोटर वाहन कर, मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस, अन्य कर प्राप्तियाँ, वन प्राप्तियाँ तथा अन्य कर–भिन्न प्राप्तियों के अभिलेखों की नमूना जाँच में 1,99,985 प्रकरणों में 1284.60 करोड़ रूपये की राजस्व राशि का अवनिर्धारण/कम आरोपण/हानि प्रकट हुई। विभागों द्वारा 2005–06 एवं पूर्ववर्ती वर्षों में इंगित किए गए 548.59 करोड़ रूपये के अवनिर्धारण तथा अन्य हानियों के 120915 प्रकरणों को वर्ष के दौरान स्वीकार किया गया।

इस प्रतिवेदन में 85.85 करोड़ रूपये के वित्तीय प्रभाव से अन्तर्निहित वाणिज्यिक कर प्रोत्साहनों तथा परिवहन विभाग से प्राप्तियों से संबंधित समीक्षा सहित 47 कंडिकाएं सम्मिलित हैं। विभागों/शासन ने 32.56 करोड़ रूपये की लेखा परीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया जिसमें से 2.42 करोड़ रूपये की वसूली की जा चुकी है। विभाग द्वारा स्वीकार न की गई अभ्युक्तियों/अनियमितताओं के संबंध में संबंधित कंडिकाओं में विभाग की अस्वीकृति के कारणों के साथ उपयुक्त खण्डन भी दिया गया है। तथापि, शासन का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

1.10 उत्तरदायित्व के निर्वहन एवं शासकीय हितों की रक्षा न कर पाने में उच्चाधिकारियों की विफलता।

महालेखाकार (निर्माण तथा राजस्व प्राप्ति लेखापरीक्षा) मध्य प्रदेश द्वारा निर्धारित नियमों तथा प्रक्रियाओं के प्रावधानों के तहत शासकीय विभागों के लेन देन की नमूना जाँच तथा महत्वपूर्ण लेखांकन एवं अन्य अभिलेखों के संधारण का सत्यापन करने हेतु शासकीय विभागों का आवधिक निरीक्षण किया जाता है। इन निरीक्षणों के पश्चात निरीक्षण प्रतिवेदनों को निरीक्षण किए गए कार्यालयों के कार्यालय प्रमुखों को एवं उच्च प्राधिकारियों को प्रतिलिपि प्रेषित करते हुए त्वरित सुधारात्मक कार्यवाही करने हेतु जारी किया जाता है, जिनमें निरीक्षण के समय संसूचित की गई ऐसी अनियमितताओं आदि को सम्मिलित किया जाता है जिनका स्थल पर निराकरण नहीं हो पाता है। कार्यालय प्रमुखों/शासन से निरीक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित अभ्युक्तियों का पालन करने की अपेक्षा

की जाती है तथा चूकों और कमियों का शीघ्र निराकरण कर निरीक्षण प्रतिवेदन जारी होने के दिनांक से छः सप्ताह के भीतर प्रारंभिक अनुपालन प्रतिवेदन महालेखाकार को भेजना अपेक्षित है। गम्भीर वित्तीय अनियमितताओं को शासन तथा विभाग प्रमुखों को प्रतिवेदित किया जाता है।

मध्य प्रदेश शासन के अन्तर्गत वाणिज्यिक कर, भू-राजस्व, पंजीयन तथा अन्य विभागों के विभिन्न कार्यालयों से सम्बंधित दिसम्बर 2005 तक जारी किए गए निरीक्षण प्रतिवेदनों से पता चला कि वर्ष 1980–81 से दिसम्बर 2005 के अंत तक 6645 निरीक्षण प्रतिवेदनों से सम्बंधित 22628 कंडिकाएं लंबित रहीं।

वाणिज्यिक कर, भू-राजस्व तथा पंजीयन विभाग से सम्बंधित निरीक्षण प्रतिवेदनों, जो उत्तर प्राप्त न होने के कारण लंबित थी, की समीक्षा में पता चला कि कार्यालय प्रमुख तथा विभागाध्यक्षों द्वारा बहुत से निरीक्षण प्रतिवेदनों/कंडिकाओं का उत्तर प्रेषित नहीं किया गया जो निरीक्षण प्रतिवेदनों में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित की गई कमियों, चूकों तथा अनियमितताओं के सम्बंध में कार्यवाही प्रारंभ करने में उनकी विफलता को दर्शाता है। विभागों के प्रमुख सचिवों/सचिवों, जिन्हें अर्धवार्षिक प्रतिवेदनों के माध्यम से स्थिति के बारे में अवगत कराया गया था, उनके द्वारा भी यह सुनिश्चित नहीं किया गया कि विभाग के सम्बंधित अधिकारियों द्वारा त्वरित एवं समयोचित कार्यवाही की गई थी।

चूककर्ता अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही न किए जाने से वित्तीय अनियमितताओं तथा शासकीय हानियों की गम्भीर निरन्तरता को बढ़ावा मिला। यद्यपि इन्हें लेखापरीक्षा में इंगित किया गया था। यह संस्तुति की जाती है कि शासन, उन अधिकारियों के विरुद्ध, जो निर्धारित समय अनुसूची के अनुसार निरीक्षण प्रतिवेदनों/कंडिकाओं का उत्तर प्रेषित करने में विफल रहे, कार्यवाही हेतु प्रक्रिया की पुनः जाँच करें, एक समयबद्ध प्रक्रिया से हानि/बकाया अग्रिमों/अधिक भुगतानों की वसूली हेतु कार्यवाही करें और विभागों द्वारा लेखा परीक्षा अभ्युक्तियों के उचित प्रत्युत्तर को सुनिश्चित करने के लिए प्रणाली में सुधार सुनिश्चित करें।

1.11 प्रारूप लेखा परीक्षा कंडिकाओं पर विभागों के प्रत्युत्तर

लेखापरीक्षा कार्यालय द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में समावेश करने हेतु प्रस्तावित प्रारूप लेखा परीक्षा कंडिकाओं को सम्बंधित विभागों के प्रमुख सचिवों/सचिवों को लेखापरीक्षा के निष्कर्षों के प्रति ध्यान आकर्षित करते हुए छः सप्ताह के अन्दर उनके प्रत्युत्तर भेजने के लिए निवेदन करते हुए अग्रेषित किया जाता है। विभागों से उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति को लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों में समाविष्ट प्रत्येक कंडिका के अंत में निरपवाद रूप से दर्शाया गया है।

इस प्रतिवेदन में समाविष्ट प्रारूप कंडिकाओं को भू राजस्व, वन एवं राज्य उत्पाद शुल्क विभाग के प्रमुख सचिवों/सचिवों को भेजा गया था, उन्होंने उत्तर नहीं भेजे। उपरोक्त वर्णित विभागों की कंडिकाओं को विभाग के प्रमुख सचिवों/सचिवों के प्रत्युत्तर के बिना ही इस प्रतिवेदन में समाविष्ट किया गया है। समीक्षाओं के बारे में समीक्षा कमेटी की बैठक दिनांक 20 एवं 21 सितम्बर 2006 में संपन्न हुई जिसमें प्रमुख सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग एवं आयुक्त, भू अभिलेख ने भाग लिया। सचिव, परिवहन विभाग बैठक में उपस्थित नहीं हुए।

1.12 लेखा परीक्षा प्रतिवेदन का अनुवर्तन

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का 31 मार्च 2005 को समाप्त वर्ष का प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियाँ) 24 मार्च 2006 को विधानसभा के पटल पर रखा गया था। वर्ष 2003–04 तक के प्रतिवेदनों (भू–राजस्व की कंडिका को छोड़कर) पर चर्चा की जा चुकी है।

लोक लेखा समिति की अनुशंसाएं प्राप्त हो चुकी हैं। लोक लेखा समिति की अनुशंसाओं पर वर्ष 1992–93 तक के अनुवर्तन पालन प्रतिवेदन प्राप्त हो चुके हैं। वर्ष 1993–94 तथा आगामी वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर आठ विभागों से अनुवर्तन पालन प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुए हैं।

1.13 स्वीकार किए गए प्रकरणों में राजस्व की वसूली

वर्ष 2000–01 तथा 2004–05 के मध्य विभागों/शासन ने 348.53 करोड़ रुपये की लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया जिसमें से 31 मार्च 2006 तक 13.22 करोड़ रुपये की राशि वसूल कर ली गई थी जिसका विवरण निम्नानुसार है –

(करोड़ रुपयों में)

क्र.	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष	कुल राशि	विभाग द्वारा स्वीकार की गई राशि	वसूल की गयी राशि
1.	2000–01	889.12	11.84	11.84
2.	2001–02	221.22	56.21	0.65
3.	2002–03	295.70	240.98	0.16
4.	2003–04	125.53	26.26	0.29
5.	2004–05	41.96	13.24	0.28
	योग	1,573.53	3,48.53	13.22

वर्ष 2001–02 से 2004–05 के दौरान कम वसूलियों के कारण शासन से प्राप्त होने हैं।

अध्याय – 2 : वाणिज्यिक कर

2.1 लेखा परीक्षा के परिणाम

वर्ष 2005–06 के दौरान वाणिज्यिक कर विभाग से सम्बंधित कर निर्धारण प्रकरणों एवं अन्य अभिलेखों की नमूना जांच में 788 प्रकरणों में अंतर्निहित 54.70 करोड़ रुपये की राशि के अवनिर्धारण, कर एवं शास्ति का अनारोपण/कम आरोपण, कर की गलत दर लागू किये जाने आदि से सम्बंधित प्रकरण दृष्टिगत हुए, जिन्हें मोटे तौर पर निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है :

(करोड़ रुपयों में)

क्रम संख्या	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि
1	कर का अनारोपण/ कम आरोपण	168	2.64
2	कर की गलत दर का लागू किया जाना	114	5.15
3.	कर योग्य विक्रय राशि का गलत निर्धारण	59	2.51
4	छूट/कटौती/समंजन की गलत स्वीकृति	141	25.82
5	अन्य अनियमितताएँ	306	18.58
6.	समीक्षा: नवीन उद्योगों को वाणिज्यिक कर प्रोत्साहन	1	40.14
	योग	789	94.84

वर्ष 2005–06 के दौरान, विभाग ने 43 प्रकरणों में अंतर्निहित 33.67 करोड़ रुपये के कर अवनिर्धारण को स्वीकार किया। ये सभी प्रकरण वर्ष 2005–06 के थे। वर्ष के दौरान 7 प्रकरणों में 71 लाख रुपये की राशि वसूल की गई थी।

“नवीन उद्योगों को वाणिज्यिक कर प्रोत्साहन” से सम्बंधित समीक्षा सहित कुछ उदाहरणात्मक प्रकरणों, जिनमें 48.74 करोड़ रुपये की राशि अंतर्निहित है, की विवेचना अनुवर्ती कंडिकाओं में की गई है।

2.2 समीक्षा : नवीन उद्योगों को वाणिज्यिक कर प्रोत्साहन

प्रमुख तथ्य

- पात्रता प्रमाण पत्र गलत ढंग से जारी किये जाने के कारण 6.85 करोड़ रुपये के कर का कम आरोपण

(कंडिका 2.2.6)

- 12 प्रकरणों में पात्रता प्रमाण पत्र धारित औद्योगिक इकाईयों को उनके प्रमाण पत्र की वैधता अवधि के दौरान अथवा पात्रता प्रमाण पत्रों की अवधि की समाप्ति के दिनांक से पांच वर्ष के भीतर बंद कर दिया गया।

(कंडिका 2.2.7)

- सात अपात्र इकाईयों को 9.92 करोड़ रुपये के कर की छूट/आस्थगन की स्वीकृति प्रदान किये जाने के परिणामस्वरूप उक्त राशि के कर का कम आरोपण हुआ।

(कंडिका 2.2.9)

- दो इकाईयों के पात्रता प्रमाण पत्रों में विनिर्दिष्ट न की गई वस्तुओं पर प्रदान की गई 50.83 लाख रुपये के कर की छूट गलत होने के कारण उक्त राशि के शासकीय राजस्व की कम प्राप्ति हुई।

(कंडिका 2.2.11)

- कर की गलत दर लागू किए जाने के कारण छूट की सीमा के विरुद्ध 64.51 लाख रुपये के कर का कम समायोजन किया गया।

(कंडिका 2.2.13)

2.2.1 सिफारिशें

शासन द्वारा निम्नलिखित सिफारिशों पर विचार किया जा सकता है:

- यह सुनिश्चित करने के लिये कि जारी किये गये पात्रता प्रमाण पत्र योजना के प्रावधानों के अनुरूप हैं, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को विकसित किया जाना चाहिए।
- निर्धारित विवरणियों प्रस्तुत नहीं करने वाले व्यवसाईयों पर विभाग द्वारा सुधार सूचक उपाय लागू करने पर विचार किया जाना चाहिए।
- निर्धारित समय से पूर्व इकाई बंद करने वाले अथवा कर मुक्ति प्रदान संबंधी आवश्यक शर्तों का उल्लंघन करने वाले हितग्राहियों के विरुद्ध त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए एक प्रणाली विकसित की जानी चाहिए।

2.2.2 प्रस्तावना

राज्य में उद्योगों के विकास को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से मध्य प्रदेश शासन नये उद्योगों को कर से छूट/आस्थगन के रूप में प्रोत्साहन देता रहा है। शासन द्वारा ऐसी दो योजनाओं अर्थात् 1986 योजना तथा 1994 योजना को अधिसूचित किया गया। इनके अतिरिक्त कुछ विशेष योजनाएँ भी हैं, जैसे 100 करोड़ रुपये या अधिक पूंजी निवेश वाली औद्योगिक इकाईयों के लिए 1991 योजना, अप्रवासी भारतियों के लिए 100 प्रतिशत निर्यातोन्मुख इकाईयों (ई.ओ.यू.) तथा निर्यातक इकाईयों के लिए, 1995 योजना आदि।

उद्योग विभाग योजनाओं का निरूपण/नियमबद्ध करता है तथा वाणिज्यिक कर विभाग उनके क्रियान्वयन के लिए मध्य प्रदेश वाणिज्यिक कर अधिनियम 1994 के प्रावधानों के अंतर्गत अधिसूचना जारी करता है। इकाई द्वारा महा प्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र को आवेदन देने पर वह लघु उद्यमी इकाई के आवेदक को कर से छूट/आस्थगन प्रदान करने के लिए पात्रता प्रमाण पत्र जारी करता है। मध्यम या बड़े स्तर के उद्योगों के मामले में उक्त पात्रता प्रमाण पत्र आयुक्त उद्योग, मध्य प्रदेश द्वारा जारी किया जाता है।

2.2.3 संगठनात्मक संरचना

वाणिज्यिक कर विभाग के प्रमुख, आयुक्त, वाणिज्यिक कर, मध्य प्रदेश हैं जिनका मुख्यालय इंदौर में है, जिनकी सहायता के लिए सात अपर आयुक्त, 23 उपायुक्त, 58 सहायक आयुक्त, 91 वाणिज्यिक कर अधिकारी एवं 220 सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी होते हैं। शासन स्तर पर विभाग प्रमुख सचिव (वाणिज्यिक कर) के प्रशासनिक नियंत्रण में है।

2.2.4 लेखा परीक्षा के उद्देश्य

समीक्षा यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से निष्पादित की गई थी कि :—

- जारी किये गए पात्रता प्रमाण पत्र योजना के प्रावधानों के अनुरूप थे तथा योजना/ पात्रता प्रमाण पत्र में निर्धारित प्रावधानों एवं शर्तों का अनुपालन किया जा रहा था।
- पात्रता प्रमाण पत्रों में निर्धारित छूट की सीमाओं के विरुद्ध कर का आरोपण/निर्धारण एवं उसका समायोजन सही ढंग से किया जा रहा था।
- शासकीय राजस्व की सुरक्षा के लिए समुचित आंतरिक नियंत्रण प्रणाली विद्यमान थी।

2.2.5 लेखा परीक्षा का क्षेत्र

13 सम्भागों में से 11 सम्भागों¹ के 21 सहायक आयुक्तों तथा 32 वाणिज्यिक कर अधिकारियों के वर्ष 2000–01 से 2004–05 तक की अवधि के अभिलेखों की नमूना जॉच जून 2005 एवं मार्च 2006 के मध्य की गई। समीक्षा के परिणाम आगामी कंडिकाओं में दिये गये हैं।

¹ भोपाल (2), छिन्दबाड़ा, ग्वालियर, इंदौर(2), खण्डवा, रतलाम, सागर, सतना तथा उज्जैन

2.2.6 पात्रता प्रमाण पत्रों को गलत ढंग से जारी किए जाने के कारण कम आरोपण

मध्य प्रदेश वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (म.प्र.वा.क.अधिनियम 1994) ऐसी औद्योगिक इकाईयों को, जिन्हें शासन द्वारा अधिसूचित विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं के अंतर्गत पात्रता प्रमाण पत्र (ई.सी.) प्राप्त हो, कर भुगतान से छूट प्रदान करता है। कर भुगतान से छूटें संबंधित योजनाओं तथा शासन द्वारा समय समय पर जारी अधिसूचनाओं में निर्धारित शर्तों एवं उपबंधों के अधीन हैं।

अभिलेखों की नमूना जॉच में पता चला कि सात प्रकरणों में इकाईयों द्वारा आवश्यक शर्तों की पूर्ति नहीं किए जाने के बावजूद भी कर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा छह इकाईयों को कर के भुगतान से छूट प्रदान की गई थी। कर से छूट की स्वीकृति गलत थी एवं उसके परिणामस्वरूप नीचे दर्शाये अनुसार 6.85 करोड़ रुपये के शासकीय राजस्व की कम वसूली हुई :

क्र.सं.	कार्यालय का नाम	आपत्तियों का स्वरूप
		1 2 3
1.	सहा.आयुक्त, भोपाल	<p>जून 1995 की अधिसूचना के अनुसार, 100 प्रतिशत निर्यातोन्मुखी इकाई की विस्तारित क्षमता² के अंतर्गत उत्पादित माल के विक्रय पर छूट का लाभ मान्य नहीं था।</p> <p>वर्ष 2001–02 के लिए जनवरी 2005 में कर निर्धारित एक ऐसी ही निर्यातोन्मुखी इकाई को विस्तारित क्षमता के अन्तर्गत उत्पादित माल के विक्रय पर कर के भुगतान से छूट प्रदान की गई जो गलत थी और इसके परिणामस्वरूप 4.51 करोड़ रुपये के शासकीय राजस्व की कम वसूली हुई।</p>

टिप्पणी : शासन ने सितम्बर 2006 में बताया कि प्रकरणों की पुनः जॉच की जाएगी। लेकिन आगामी प्रगति के संबंध में जानकारी प्राप्त नहीं हुई है (जनवरी 2007)।

² विस्तारित क्षमता के अन्तर्गत उत्पादन का अर्थ, वर्तमान उत्पादन क्षमता के अतिरिक्त उत्पादन करना है।

लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियों) 31 मार्च 2006 को समाप्त वर्ष

1	2	3
2.	सहा.आयुक्त, इंदौर सहा.आयुक्त, सागर	<p>1994 की योजना के अनुसार, कर मुक्ति का लाभ केवल विनिर्माण इकाईयों के लिए मान्य था। एल.पी.जी. की रिफिलिंग प्रक्रिया विनिर्माण प्रक्रिया³ नहीं है।</p> <p>दो व्यवसाईयों के तीन प्रकरणों में वर्ष 2000–01 एवं 2001–02 के लिए फरवरी 2004 और जनवरी 2005 के मध्य कर निर्धारण प्राधिकारियों ने एल.पी.जी. रिफिलिंग को विनिर्माण प्रक्रिया मानते हुए कर से छूट की स्वीकृति प्रदान की। कर से छूट गलत थी। तथा इसके परिणामस्वरूप 1.54 करोड़ रुपये के शासकीय राजस्व की कम वसूली हुई।</p>
3.	सहा.आयुक्त, छिन्दबाड़ा	<p>1994 की योजना के अनुसार काटन जिनिंग तथा प्रैसिंग इकाईयों को 21 मई 1998 से कर में छूट की पात्रता प्राप्त नहीं थी। यह पाया गया कि काटन जिनिंग तथा प्रैसिंग करने वाली तीन इकाईयों को वर्ष 2001–02 के लिए अक्टूबर 2004 एवं दिसम्बर 2004 के मध्य कर से छूट की स्वीकृति प्रदान की गई थी। इन इकाईयों को कर से छूट की स्वीकृति गलत थी तथा इसके परिणामस्वरूप 80 लाख रुपये के कर की कम वसूली हुई।</p>

टिप्पणी : शासन ने सितम्बर 2006 में बताया कि प्रकरणों की पुनः जाँच की जाएगी। आगामी प्रगति के संबंध में जानकारी प्राप्त नहीं हुई है (जनवरी 2007)।

उपरोक्त सभी प्रकरणों में पात्रता प्रमाण पत्र उद्योग विभाग द्वारा जारी किये गये थे, लेकिन वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा किसी भी अवसर पर उपरोक्त विसंगतियों को उनकी जानकारी में नहीं लाया गया। यह अनुशंसा की जाती है कि कर में छूट की स्वीकृति की इस तरह मानीटरिंग/सतत निगरानी की जाए कि अपात्र इकाईयों को छूट का लाभ न मिल सके।

³ गुजरात राज्य विरुद्ध कोसम गेस कम्पनी (87 STC-236) (गुजरात)

2.2.7 निर्धारित अवधि के पूर्व बंद हुई इकाईयों से कर की वसूली न होना ।

नये उद्योगों के लिये 1986, 1994 एवं 1995 की योजनाओं के अनुसार, निर्माता अपनी औद्योगिक इकाई को पात्रता अवधि के दौरान एवं पात्रता अवधि की समाप्ति से पांच वर्ष की आगामी अवधि तक चालू रखेगा । ऐसा करने में असफल रहने पर पात्रता प्रमाण पत्र भूतलक्षी प्रभाव से निरस्त किया जा सकेगा ।

सात सहायक आयुक्तों⁴ और तीन वृत्त कार्यालयों⁵ के अभिलेखों की जॉच में पता चला कि 12 प्रकरणों में पात्रता प्रमाण पत्र धारक औद्योगिक इकाईयां या तो पात्रता अवधि के दौरान अथवा आगामी पांच वर्ष की अवधि में उत्पादन चालू रखने में असफल रहीं । इस प्रकार ये इकाईयों पात्रता प्रमाण पत्र की प्रभावी अवधि के दौरान अथवा उसकी समाप्ति के दिनांक से पाँच वर्ष के भीतर बन्द हो गयी थीं । इन इकाईयों द्वारा कर मुक्ति और कर आस्थगन के रूप में 12.40 करोड़ रुपये के कर का लाभ उठाया गया जो वसूली योग्य था ।

इसे इंगित किए जाने के बाद शासन ने सितम्बर 2006 में बताया कि पात्रता प्रमाण पत्र के निरस्तीकरण हेतु शीघ्र कार्यवाही करने के लिये समय—समय पर अनुदेश जारी किये गये हैं । यह भी कहा गया कि पात्रता प्रमाण पत्र को निरस्त करने के लिये त्वरित कार्यवाही करने एवं तत्पश्चात् पूर्ववर्ती अवधियों के लिये करारोपण करते हुये प्राथमिकता पर कर निर्धारण सम्पन्न करने के लिये आगामी अनुदेश जारी किये जायेंगे ।

2.2.8 कर में छूट के परिमाण के विरुद्ध कर का अनारोपण/समायोजन न होना :-

1994 एवं 1995 की कर मुक्ति योजनाओं के तहत कर निर्धारण प्राधिकारी घोषणा पत्र पर क्रय किए गये कच्चे माल पर क्रय कर आरोपित करेगा एवं पात्रता प्रमाण पत्र में विनिर्दिष्ट कर मुक्ति की अधिकतम सीमा के विरुद्ध उसका समायोजन करेगा ।

2.2.8.1 सात सहायक आयुक्तों⁶ एवं तीन वृत्त कार्यालयों⁷ के अभिलेखों की नमूना जॉच में पता चला कि 1998—99 से 2001—02 की अवधि के लिये मई 2002 से जनवरी 2005 के मध्य कर निर्धारित

⁴ स.आ. छिन्दवाड़ा, स.आ. ग्वालियर, स.आ. इन्दौर (2), स.आ. खरगौन, स.आ. मंदसौर तथा स.आ. उज्जैन

⁵ वा.क.का. धार, इन्दौर तथा उज्जैन

⁶ स.आ. ग्वालियर, स.आ. छिन्दवाड़ा, स.आ. सतना, स.आ. इन्दौर (3), स.आ. मंदसौर

14 प्रकरणों में व्यवसाईयों द्वारा घोषणा पत्रोंपर क्रय किये गये 31.75 करोड़ रुपये मूल्य के कच्चे मालों पर कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा क्रय कर आरोपित नहीं किया गया था। इसी प्रकार 82.15 करोड़ रुपये मूल्य के निर्मित माल के विक्रय पर भी कर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा कर आरोपित नहीं किया गया था। इसके फलस्वरूप 7.76 करोड़ रुपये के कर का कम आरोपण हुआ। परिणामस्वरूप उक्त राशि को व्यवसाईयों की छूट की सीमा के विरुद्ध समायोजित नहीं किया जा सका।

इसे इंगित किए जाने के बाद सितम्बर 2006 में शासन ने सूचित किया कि छह प्रकरणों में 69.43 लाख रुपये की कर राशि आरोपित एवं छूट की अधिकतम सीमा के विरुद्ध समायोजित कर दी गई थी, तथा शेष आठ प्रकरणों में पुनर्निर्धारण की कार्यवाही प्रगति पर थी।

2.2.8.2 मध्य प्रदेश वाणिज्यिक कर अधिनियम की धारा 2 (w) (v) में करयोग्य विक्रय राशि(टर्नओवर) का ऑकलन करने के लिए एक फार्मूला⁷ निर्धारित किया गया है। इसमें यह भी प्रावधान है कि यदि पंजीकृत व्यवसायी द्वारा कर के रूप में संग्रहीत राशि को समग्र विक्रय मूल्य में से घटा दिया गया हो अथवा उसे विक्रय मूल्य में शामिल नहीं किया गया हो तो फार्मूला के आधार पर कटौती नहीं की जाएगी।

तीन कर निर्धारण प्राधिकारियों के अभिलेखों की नमूना जाँच में पता चला कि चार इकाइयों में उपरोक्त फार्मूला के अनुसार 9.60 लाख रुपये के कर की कटौती की अनुमति प्रदान की गई थी। चूंकि व्यवसाईयों के पास कर मुक्ति प्रमाण पत्र थे तथा उनके द्वारा कोई कर संग्रहीत नहीं किया गया था अतः कटौती की अनुमति प्रदान करना गलत था। इसके परिणामस्वरूप 9.60 लाख रुपये के कर का कम आरोपण हुआ जिसका विवरण निम्नानुसार है :

⁷ वा.क.का. इन्डौर (2) वा.क.का. भोपाल

⁸ कर की दर x समग्र विक्रय मूल्य

100 + कर की दर

क्र.	कर निर्धारण अधिकारी का नाम	अवधि	कर निर्धारण का माह	प्रकरणों की संख्या	राशि (लाख रुपये में)
1.	वृत्त I, धार	2001–2002	जुलाई 2004 तथा दिसम्बर 2004	2	6.70
2.	सहायक आयुक्त, गुना	2000–2001	जनवरी 2004	1	1.75
3.	सहायक आयुक्त, मंदसौर	1999–2000	जून 2004	1	1.15
योग				4	9.60

इसे इंगित किए जाने के बाद विभाग ने सितम्बर 2006 में बताया कि एक प्रकरण में पुनर्निर्धारण की कार्यवाही की गई थी तथा अधिकतम सीमा के विरुद्ध 1.74 लाख रुपये की कर राशि का समायोजन किया गया था तथा शेष तीन प्रकरणों में पुनर्निर्धारण की कार्यवाही प्रगति पर थी ।

2.2.9 कर से छूट/आस्थागन की गलत स्वीकृति

2.2.9.1 1995 की योजना के अंतर्गत कृषि, बागवानी अथवा सिल्क आधारित निर्यातक औद्योगिक इकाइयों का निर्यात विक्रय उनके वार्षिक उत्पादन का कम से कम 50 प्रतिशत होने की स्थिति में उन्हें कर मुक्ति की पात्रता होगी । अन्य निर्यातक इकाइयों के प्रकरण में कर मुक्ति का लाभ लेने के लिए न्यूनतम निर्यात विक्रय वार्षिक उत्पादन का 75 प्रतिशत निर्धारित किया गया था ।

- सहायक आयुक्त देवास, भोपाल एवं इंदौर के अभिलेखों की नमूना जॉच में पता चला कि अवधि 2001–02 के लिये, दिसम्बर 2004 और जनवरी 2005 के मध्य कर निर्धारित तीन कृषि आधारित औद्योगिक इकाईयों ने अपने विक्रय का न्यूनतम 50 प्रतिशत निर्यात नहीं किया था । उनके सकल टर्नओवर 163.97 करोड़ रुपये, 71.65 करोड़ रुपये एवं 50.69 करोड़ रुपये के विरुद्ध उनके निर्यात विक्रय क्रमशः 36.03 करोड़ रुपये, 8.17 करोड़ रुपये एवं 19.99 करोड़ रुपये थे इस प्रकार यद्यपि न्यूनतम निर्यात विक्रय की शर्त की पूर्ति नहीं हुई थी, कर निर्धारण प्राधिकारी ने 1.94 करोड़ रुपये की कर से छूट स्वीकृत की थी जो मान्य नहीं थी । इसके परिणामस्वरूप इस राशि के कर का कम आरोपण हुआ ।

इसे इंगित किए जाने के बाद शासन ने सितम्बर 2006 में बताया कि एक प्रकरण में पुनर्निर्धारण की कार्यवाही प्रगति पर थी एवं शेष प्रकरणों में जाँच जारी थी।

- सहायक आयुक्त, छिन्दबाड़ा के अभिलेखों की नमूना जाँच में पता चला कि सूती धागे के निर्माण के लिये पात्रता प्रमाण पत्र धारक एक निर्यातक इकाई ने 8 जनवरी 2001 से अपने पंजीयन प्रमाण पत्र में कृत्रिम फाइबर, मानव निर्मित फाइबर, पौलिएस्टर फाइबर आदि जैसे कच्चे मालों को शामिल करवाया था। तदनुसार उसका निर्यात विक्रय 75 प्रतिशत या अधिक होने पर ही वह कर मुक्ति के लाभ के लिये पात्र थी। परन्तु कर निर्धारण प्राधिकारी ने अवधि 2001–02 के लिये जनवरी 2005 में कर निर्धारण सम्पन्न करते हुये मात्र 55 प्रतिशत निर्यात विक्रय के आधार पर ही कर से छूट की स्वीकृति प्रदान की थी। इसके परिणामस्वरूप 29.83 लाख रुपये के कर का कम आरोपण हुआ।

इसे इंगित किए जाने के बाद सितम्बर 2006 में शासन ने बताया कि प्रकरण की पुनः जाँच की जायेगी।

2.2.9.2 1986 की कर आस्थगन की योजना के अंतर्गत वस्तुओं के निर्माण में उपयोग होने वाले कच्चे माल के क्रय पर देय कर का आस्थगन मान्य नहीं था।

- सहायक आयुक्त ग्वालियर के अभिलेखों की नमूना जाँच में पता चला कि कर से आस्थगन के लिये पात्रता प्रमाण पत्र धारक एक इकाई ने 171.57 करोड़ रुपये मूल्य का कच्चा माल खरीदा जिस पर 7.54 करोड़ रुपये का क्रय कर देय था। करनिर्धारण प्राधिकारी ने अवधि 1999–2000 से 2001–02 के लिये अप्रैल 2003 और जनवरी 2005 के मध्य कर निर्धारण सम्पन्न करते हुये उसके आस्थगन की स्वीकृति प्रदान की थी, जो मान्य नहीं थी।

इसे इंगित किए जाने के बाद सितम्बर 2006 में शासन ने बताया कि प्रकरण की पुनः जाँच की जायेगी।

- वाणिज्यिक कर अधिकारी भोपाल के अभिलेखों की नमूना जाँच में पता चला कि एक व्यवसायी ने माल खरीदा और किसी विनिर्माण प्रक्रिया में उसका उपयोग किए बिना ही उसे ज्यों का त्वयं विक्रय कर दिया। करनिर्धारण प्राधिकारी ने अवधि 2000–01 एवं 2001–02 के लिये सितम्बर 2003 एवं 2004 में कर निर्धारण सम्पन्न करते हुये गलत रूप से 4.38 लाख रुपये का कर आस्थगन स्वीकार किया, यद्यपि वह मान्य नहीं था।

इसे इंगित किए जाने के बाद सितम्बर 2006 में शासन ने बताया कि पुनर्निर्धारण की कार्यवाही प्रगति पर थी।

2.2.9.3 1994 की योजना के अनुसार यदि कोई व्यवसायी राज्य के अंदर नई औद्योगिक इकाई स्थापित करता है, परन्तु उसी उत्पाद के उत्पादन में संलग्न विद्यमान इकाई में उत्पादन बंद कर देता है तो बंद के दिनांक से उसका पात्रता प्रमाण पत्र निरस्त किया जा सकेगा।

वृत्त कार्यालय, उज्जैन के अभिलेखों की नमूना जॉच में पता चला कि कॉरेगेटिड बॉक्स के निर्माण के लिये दिसम्बर 1996 से वाणिज्यिक कर विभाग में पंजीकृत एक व्यवसायी ने उसी उत्पाद के निर्माण के लिये फरवरी 1998 में एक नई औद्योगिक इकाई स्थापित की, जिसके लिये 29 अप्रैल 1999 को उद्योग विभाग ने कर मुक्ति पात्रता प्रमाण पत्र जारी किया था। किन्तु व्यवसायी ने 1 अप्रैल, 1999 से अपनी पूर्व इकाई को बंद कर दिया था। अधिसूचना की शर्त के अनुसार, व्यवसायी को 1 अप्रैल, 1999 से नई इकाई के संबंध में लाभ की पात्रता नहीं थी। परन्तु कर निर्धारण अधिकारी ने अवधि 2000–01 व 2001–02 के लिये सितम्बर 2003 तथा सितम्बर 2004 के मध्य कर निर्धारण सम्पन्न करते हुये कर से छूट की स्वीकृति प्रदान की थी, जो मान्य नहीं थी। इसके परिणामस्वरूप 9.87 लाख रुपये के कर का अनारोपण हुआ।

इसे इंगित किए जाने के बाद सितम्बर 2006 में शासन ने बताया कि प्रकरण की जॉच की जायेगी।

2.2.10 पात्रता प्रमाण पत्र में विनिर्दिष्ट मात्रा से अधिक के लिये कर से छूट/आस्थगन की स्वीकृति

1994 की योजना के अनुसार, एक औद्योगिक इकाई पात्रता प्रमाण पत्र में विनिर्दिष्ट क्षमता से अधिक उत्पादन के लिये कर से छूट के लिये पात्र नहीं थी।

सहायक आयुक्त, छिन्दबाड़ा के अभिलेखों की नमूना जॉच में पता चला कि कर निर्धारण प्राधिकारी ने अवधि 2001–02 के लिये अक्टूबर 2004 में दो कर मुक्त इकाईयों का कर निर्धारण सम्पन्न करते हुये उनमें से प्रत्येक के पात्रता प्रमाण पत्र में विनिर्दिष्ट जिन्ड कॉटन की 10,000 किवंटल्स की मात्रा के विरुद्ध 13540.25 किवंटल्स एवं 13298.85 किवंटल्स के लिये कर से छूट की स्वीकृति प्रदान की थी। अधिक उत्पादन पर छूट स्वीकार करने के फलस्वरूप 11.51 लाख रुपये का कर प्रभावित हुआ।

इसे इंगित किए जाने के बाद सितम्बर 2006 में शासन ने बताया कि पुनर्निर्धारण की कार्यवाही प्रगति पर थी।

2.2.11 पात्रता प्रमाण पत्र में विनिर्दिष्ट न की गई वस्तुओं (माल)पर कर से छूट की गलत स्वीकृति

सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी पात्रता प्रमाण पत्र, अन्य बातों के साथ साथ, इकाई द्वारा निर्मित प्रमुख उत्पादों और उनके उप उत्पादों के नाम दर्शाता है।

सहायक आयुक्त, देवास एवं ग्वालियर के अभिलेखों की नमूना जॉच में पता चला कि अवधि 2000–01 से 2002–03 के लिये, नवम्बर 2003 से फरवरी 2005 के मध्य कर निर्धारित दो औद्योगिक इकाईयों के चार प्रकरणों में कम्पोनैन्ट असेम्बली और क्लोरी नेटेड पैराफिन वैक्स (सी.पी.डब्ल्यू.)जो पात्रता प्रमाण पत्रों में विनिर्दिष्ट नहीं किए गये थे, के संबंध में कर से छूट की स्वीकृति प्रदान की गई थी। इसके फलस्वरूप 50.83 लाख रुपये की गलत छूट स्वीकृत हुई।

इसे इंगित किए जाने के बाद सितम्बर 2006 में सहायक आयुक्त, देवास के संबंध में शासन ने बताया कि म.प्र.वा.क. अधिनियम की धारा 28(1) के अंतर्गत प्रकरण में पुनर्निर्धारण की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई थी। जबकि दूसरे प्रकरण में यह कहा गया कि व्यवसाई ने पात्रता प्रमाण पत्र में विनिर्दिष्ट क्लोरीनेटेड पैराफिन लिकिवड ही निर्मित किया और बेचा था, न कि वैक्स उत्तर मान्य नहीं था, क्योंकि विक्रय दस्तावेजों के अनुसार व्यवसायी ने सी.पी.डब्ल्यू बेचा था, न कि क्लोरीनेटेड पैराफिन लिकिवड।

2.2.12 कर योग्य टर्नओवर का गलत निर्धारण

1994 योजना के तहत अपनी विद्यमान औद्योगिक इकाई में विस्तार करने वाले व्यवसायी को उसके द्वारा निर्मित उस माल के संबंध में कर से छूट की पात्रता होगी जो उसकी विद्यमान इकाई की मूल संस्थापित क्षमता के 100 प्रतिशत से अधिक हो।

2.2.12.1 सहायक आयुक्त, छिन्दबाड़ा के अभिलेखों की नमूना जॉच में पता चला कि एक इकाई 2001–02 के दौरान विस्तारित क्षमता की 33.05 करोड़ रुपये मूल्य के विक्रय के लिये कर से छूट की पात्र थी, जबकि कर निर्धारण प्राधिकारी ने जनवरी 2005 में कर निर्धारण सम्पन्न करते हुये 48.68 करोड़ रुपये के मूल्य के विक्रय पर छूट की स्वीकृति प्रदान की थी। इसके परिणामस्वरूप 15.63 करोड़ रुपये के मूल्य के विक्रय पर गलत छूट की स्वीकृति प्रदान किए जाने से 1.56 करोड़ रुपये का कर प्रभावित हुआ।

इसे इंगित किए जाने के बाद सितम्बर 2006 में शासन ने बताया कि पुनर्निर्धारण की कार्यवाही प्रगति पर थी।

2.2.12.2 एक अन्य प्रकरण में विस्तारित क्षमता हेतु पात्रता प्रमाण पत्र धारक एक इकाई ने 2001–02 में 91.47 करोड़ रुपये मूल्य का माल विक्रय किया था, जिसमें से 46.09 करोड़ रुपये के मूल्य का विक्रय विस्तारित क्षमता से संबंधित था। किन्तु कर निर्धारण प्राधिकारी (स.आ.देवास)ने जनवरी 2005 में कर निर्धारण सम्पन्न करते हुये 58.25 करोड़ रुपये मूल्य के विक्रय पर कर से छूट की स्वीकृति प्रदान की थी। इसके फलस्वरूप 12.16 करोड़ रुपये मूल्य के विक्रय पर कर की गलत छूट प्रदान की गई जिससे 27.98 लाख रुपये का कर प्रभावित हुआ।

इसे इंगित किए जाने के बाद सितम्बर 2006 में शासन ने बताया कि प्रकरण की पुनः जाँच की जायेगी।

2.2.13 कर की गलत दर लागू करने के कारण गलत समायोजन

म.प्र.वा.क.अधिनियम एवं इसके तहत जारी अधिसूचनाओं के अंतर्गत, विभिन्न वस्तुओं के विक्रय पर आरोपणीय कर की दरों को विनिर्दिष्ट किया गया है।

चार सहायक आयुक्तों के अभिलेखों की नमूना जाँच में पता चला कि पात्रता प्रमाण पत्र धारक चार इकाइयों के संबंध में 22.63 करोड़ रुपये मूल्य के माल के विक्रय पर 64.51 लाख रुपये का कर आरोपित नहीं किया गया/ गलत दर से आरोपित किया गया, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है : –

(लाख रुपयों में)

क्र. सं.	कर निर्धारण अधिकारी का नाम	अवधि	कर निर्धारण का माह	प्रकरणों की संख्या	कम आरोपित किए गए कर की राशि	अनियमितता की प्रकृति
1	2	3	4	5	6	7
1.	स.आ. इंदौर	2001–02	दिसम्बर 2004	1	20.16	2.19 करोड़ रुपये के एच.डी.पी.ई ⁹ फेब्रिक्स के विक्रय पर कर का निर्धारण 13.8 प्रतिशत की बजाय 4.6 प्रतिशत की दर से किया गया था।

⁹

उच्च घनत्व पाली एथीलीन

लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियों) 31 मार्च 2006 को समाप्त वर्ष

1	2	3	4	5	6	7
2.	स.आ. ग्वालियर	2001–02	जनवरी 2005	1	11.02	एच.डी.पी.ई. फेब्रिक्स के 83.05 लाख रुपये के विक्रय पर उसे कर मुक्त मानते हुये कोई कर आरोपित नहीं किया गया ।
3.	स.आ. गुना स.आ. भोपाल	2001–02	दिसम्बर 2004 तथा जनवरी 2005	2	33.33	6 सितम्बर 2001 से 31 मार्च 2002 के दौरान खाद्य तेल 4 प्रतिशत की दर से कर योग्य था, किन्तु 19.61 करोड़ रुपये के तेल के विक्रय पर 2.3 प्रतिशत की दर से कर का निर्धारण किया गया ।
					64.51	

इस प्रकार संबंधित इकाईयों के कर मुक्ति की छूट की सीमा के विरुद्ध 64.51 लाख रुपये के कर का कम समायोजन हुआ ।

इसे इंगित किए जाने के बाद सितम्बर 2006 में शासन ने बताया कि एच.डी.पी.ई. फेब्रिक्स से संबंधित दो प्रकरणों में पुनर्परीक्षण किया जायेगा तथा शेष दो प्रकरणों में पुनर्निधारण की कार्यवाही प्रगति पर थी ।

2.2.14 आंतरिक नियंत्रण तंत्र

आंतरिक नियंत्रण कार्य प्रणाली का उद्देश्य वित्तीय मामलों के साथ-साथ संचालनात्मक मामलों में कार्यालय को त्रुटियों और अनियमितताओं के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करना है और वह किसी भी संगठन के कार्य संचालन का अभिन्न भाग होता है ।

वाणिज्यिक कर विभाग ने अक्टूबर 2006 में सूचित किया कि उनके यहां विगत पांच वर्षों से आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा अस्तित्व में नहीं थी ।

2.2.15 निर्धारित विवरणियों का प्रस्तुत न होना

1994 प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत प्रत्येक व्यवसायी द्वारा अपनी कर मुक्ति/आस्थगन की अवधि के दौरान प्रत्येक तिमाही के लिये प्रारूप IV¹⁰ में एक विवरण पत्रक उपयुक्त विक्रय कर अधिकारी, जिला उद्योग केन्द्र को संबंधित तिमाही की समाप्ति के तीस दिन के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहनीय है।

यह देखा गया कि अवधि 2000–01 से 2001–02 की अवधि के लिए नवम्बर 2003 से जनवरी 2005 के मध्य 8 कर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा कर निर्धारित 25 प्रकरणों में 16.68 करोड़ रुपये की कर मुक्ति/आस्थगन की अनुमति प्रदान की गई थी, यद्यपि इकाइयों द्वारा निर्धारित विवरणियों प्रस्तुत नहीं की गई थीं जिसका विवरण निम्नानुसार है :

(करोड़ रुपयों में)

क्र. सं.	इकाई का नाम	कर निर्धारण की अवधि	कर निर्धारण का माह	प्रकरणों की संख्या	राशि
1.	सहायक आयुक्त, ग्वालियर	2001–02	नवम्बर 2004 तथा जनवरी 2005	4	7.21
2.	सहायक आयुक्त, इन्दौर	2001–02	जुलाई 2004 से नवम्बर 2004	2	4.88
3.	सहायक आयुक्त, इन्दौर	2001–02	सितम्बर 2004	1	0.87
4.	सहायक आयुक्त, छिंदवाड़ा	2001–02	जनवरी 2005	5	0.95
5.	सहायक आयुक्त, देवास	2001–02	जून 2004 से दिसम्बर 2004	7	0.42
6.	सहायक आयुक्त, इन्दौर	2001–02	जनवरी 2003	1	1.75
7.	सहायक आयुक्त, इन्दौर	2001–02	दिसम्बर 2004	2	0.46
8.	वृत्त कार्यालय, इन्दौर	2000–01 2001–02	नवम्बर 2003 से सितम्बर 2004	3	0.14
				25	16.68

निर्धारित विवरणियों के बिना कर निर्धारणों का निराकरण/निपटारा करने में कर के अवनिर्धारणों तथा कम आरोपण के जोखिम की संभावना को नकारा नहीं जा सकता है। इस प्रकार वह उद्देश्य निरर्थक हो जाता है जिसके लिए विवरणी निर्धारित की गई थी। शासन द्वारा ऐसे व्यवसाइयों पर, जो वांछित विवरणी प्रस्तुत नहीं करते हैं, सुधार सूचक उपायों को लागू करने पर विचार किया जा सकता है।

इसे इंगित किए जाने के बाद शासन ने आपत्ति स्वीकार करते हुए सितम्बर 2006 में बताया कि यह एक प्रक्रियात्मक चूक थी तथा इससे राजस्व की हानि नहीं हुई थी। हालांकि शासन ने बताया कि इस संबंध

¹⁰ माल के क्रयों एवम् उनकी खपत/निर्माण में उपयोग/पैकिंग और माल के उत्पादन तथा ऐसे माल के विक्रय का पत्रक

लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियों) 31 मार्च 2006 को समाप्त वर्ष

में विचार किया जाएगा कि क्या विवरणियाँ प्रस्तुत न करने वाले निर्धारितियों के लिए कोई शास्ति निर्धारित की जा सकती है।

2.2.16 निष्कर्ष

उपरोक्तानुसार यह देखा गया कि यह सुनिश्चित करने के लिये कि जारी किये गये पात्रता प्रमाण पत्र योजना के प्रावधानों के अनुरूप थे और यह कि योजना/पात्रता प्रमाण पत्र में निर्दिष्ट प्रावधानों/शर्तों का अनुपालन किया गया था, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का अभाव था। पात्रता अवधि और उसके बाद आगामी पांच वर्षों के दौरान हितग्राही इकाईयों के निष्पादन के मूल्यांकन की कोई पद्धति विद्यमान नहीं थी।

2.2.17 अभिस्वीकृति

अभिलेखों की नमूना जांच के फलस्वरूप लेखापरीक्षा के निष्कर्षों को जून 2006 में विभाग/शासन को लेखापरीक्षा समीक्षा समिति (ए.आर.सी.) की बैठक में समीक्षा के निष्कर्षों पर चर्चा करने के लिये शामिल होने के विशेष अनुरोध सहित प्रतिवेदित किया गया था।

ए.आर.सी. की बैठक 20 सितम्बर 2006 को आयोजित की गई थी। विभाग का प्रतिनिधित्व वाणिज्यिक कर आयुक्त ने किया तथा शासन की ओर से मुख्य सचिव वाणिज्यिक कर शासन के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित थे। उनके विचार बिन्दुओं को समीक्षा में उचित रूप से शामिल कर लिया गया है।

2.3 कर की गलत दर का लागू किया जाना

मध्य प्रदेश वाणिज्यिक कर अधिनियम एवं इसके तहत जारी अधिसूचनाओं के अन्तर्गत विभिन्न वस्तुओं के विक्रय पर आरोपणीय वाणिज्यिक कर की दरों को विनिर्दिष्ट किया गया है।

चार क्षेत्रीय कार्यालयों¹¹ और रीवा के एक वृत्त कार्यालय में फरवरी 2005 तथा नवम्बर 2005 के मध्य अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि अप्रैल 2000 से मार्च 2003 तक की अवधि के लिए दिसम्बर 2003 और जनवरी 2005 के मध्य कर निर्धारित सात प्रकरणों में 5.59 करोड़ रूपये की विक्रय राशि पर

¹¹ क्षेत्रीय कार्यालय – ग्यालियर, इंदौर, मुरैना, और सतना

गलत दरों से करारोपण किया गया। इसके परिणामस्वरूप 31.20 लाख रुपये के कर का कम आरोपण हुआ।

इसे इंगित किए जाने के पश्चात् विभाग ने 4 प्रकरणों में लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार की एवं 5.10 लाख रुपये की मांग सृजित की। विभाग द्वारा एक प्रकरण में लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार नहीं की गई और यह बताया गया कि थर्मिट पोर्सन आयरन एवं स्टील का मिश्रण था। उनका उत्तर सही नहीं था, क्योंकि थर्मिट पोर्सन फैरिक आक्साइड (Fe_2O_3), स्टील कटिंग्स, फैरो अलाय तथा एल्यूमिनियम ग्रेन्यूल्स से मिलकर बनता है और यह मात्र आयरन एवं स्टील का मिश्रण नहीं है। अतः यह 4 प्रतिशत के स्थान पर 9.2 प्रतिशत की दर से करारोपणीय है। बाद में यह बताया गया कि दो प्रकरण परीक्षणाधीन थे। की गई आगामी कार्यवाही के संबंध में जानकारी प्राप्त नहीं हुई है (जनवरी 2007)।

2.4 गलत ढंग से कर मुक्त माने गये विक्रयों पर कर का अनारोपण

म.प्र. वा.क. अधिनियम, सह पठित केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम तथा उसके अन्तर्गत नियमों एवं जारी की गई अधिसूचनाओं के अनुसार अनुसूची—I में वर्णित वस्तुओं तथा शासन द्वारा जारी अधिसूचना द्वारा कर से मुक्त वस्तुओं पर वाणिज्यिक कर देय नहीं है।

इन्दौर के दो क्षेत्रीय कार्यालयों एवं दो वृत्त कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जॉच में पाया गया कि दिसम्बर 2003 से दिसम्बर 2004 के मध्य कर निर्धारित 2000—2001 तथा 2001—2002 की अवधि के पांच प्रकरणों में 3.76 करोड़ रुपये मूल्य के एच.डी.पी.ई.¹²/पी.पी.¹³ फैब्रिक्स की बिक्री को कर मुक्त मानकर गलत कटौती स्वीकार की गई थी जबकि यह अधिनियम की अनुसूची II के भाग III की प्रविष्टि क्रमांक 42 के अन्तर्गत 12 प्रतिशत की दर से कर योग्य थी। इसके परिणामस्वरूप 51.88 लाख रुपये के कर का अनारोपण हुआ।

जून 2005 एवम् दिसम्बर 2005 के मध्य इसे इंगित किए जाने के बाद कर निर्धारण प्राधिकारियों ने बताया कि इकाई अधिसूचना दिनांक 24 अगस्त 2000 के अन्तर्गत उक्त वस्तुओं पर कर के भुगतान से मुक्त थी। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि उक्त अधिसूचना के अन्तर्गत सभी प्रकार के कपड़ों को कर मुक्त किया गया था और एच.डी.पी.ई./पी.पी. फैब्रिक्स के बारे में कोई उल्लेख नहीं था।

¹² एच.डी.पी.ई. – हाई डेन्सिटी पौली एथिलीन

¹³ पी.पी. – पौली प्रोपिलीन

2.5 अनन्तिम पात्रता प्रमाण पत्रों पर कर के भुगतान से अनियमित छूट

2.5.1 म.प्र. वाणिज्यिक कर मुक्ति योजना 1995 के अनुसार गैर-परम्परागत ऊर्जा श्रोतों से विद्युत का उत्पादन करने वाली उन ऊर्जा उत्पादक इकाईयों को कर मुक्ति की सुविधा का लाभ दिया जा सकता है, जिन्हें राज्य स्तरीय समिति द्वारा अनन्तिम पात्रता प्रमाण पत्र जारी किया गया हो। अनन्तिम पात्रता प्रमाण पत्र छः माह के लिए अथवा स्थाई पात्रता प्रमाण पत्र जारी होने के दिनांक तक, जो भी पहले हो, मान्य होता है। कर का भुगतान न किए जाने पर अधिनियम के अंतर्गत ब्याज भी आरोपणीय है।

अगस्त 2005 में क्षेत्रीय कार्यालय ग्वालियर के अभिलेखों की नमूना जाँच में पता चला कि एक औद्योगिक इकाई को योजना के अन्तर्गत कर मुक्ति का लाभ लेने के लिए पात्रता प्रमाण पत्र 11 जुलाई 1997 को जारी किया गया था। इसके बाद स्थायी पात्रता प्रमाण जारी नहीं किया गया। यद्यपि अनन्तिम पात्रता प्रमाण पत्र छह माह के पश्चात दिनांक 10 जनवरी 1998 से निरस्त किए जाने योग्य था, लेकिन निरस्त नहीं किया गया परन्तु 2000–01 की अवधि के लिए दिसम्बर 2003 में कर निर्धारण सम्पन्न करते हुए कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा 70.65 लाख रुपये के कर की गलत छूट स्वीकृत की गई थी जो अप्रैल 2001 से अगस्त 2005 तक की अवधि के लिए आरोपणीय ब्याज 74.90 लाख रुपये सहित वसूली योग्य थी। इसके परिणामस्वरूप शासकीय राजस्व 1.46 करोड़ रुपये की प्राप्ति नहीं हुई।

इसे इंगित किए जाने के पश्चात कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा बताया गया कि पुनः कर निर्धारण की कार्यवाही की जायेगी।

प्रकरण विभाग और शासन को अक्टूबर 2005 में प्रतिवेदित किया गया। विभाग ने जुलाई 2006 में सुनिश्चित किया कि अधिनियम के अन्तर्गत पुनः कर निर्धारण की कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी।

2.5.2 क्षेत्रीय कार्यालय इन्डौर के अभिलेखों की मार्च 2005 में नमूना जाँच में पता चला कि कर निर्धारण प्राधिकारी ने अवधि 2000–2001 के लिए जनवरी 2004 में कर निर्धारण सम्पन्न करते हुए दिनांक 01 अक्टूबर 1997 के अनन्तिम पात्रता प्रमाण पत्र जो कि छह माह के लिए मान्य था, के आधार पर 1.97 करोड़ रुपये के कर की गलत छूट स्वीकृत की थी। यद्यपि अनन्तिम पात्रता प्रमाण पत्र दिनांक 14.12.2004 को राज्य स्तरीय समिति द्वारा निरस्त कर दिया गया, फिर भी कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा निर्धारिती को दी गई गलत कर मुक्ति की राशि की वसूली हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गई।

मार्च 2005 में इसे इंगित किये जाने के पश्चात् विभाग ने जुलाई 2006 में बताया कि अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण का पुनः कर निर्धारण करने तथा अतिरिक्त मांग सृजित करने के लिए कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है। की गई अंतिम कार्यवाही के संबंध में जानकारी प्रतीक्षित थी (जनवरी 2007)।

2.6 शास्ति का अनाधिरोपण

म.प्र.वा.क. अधिनियम के अंतर्गत यदि आयुक्त या अपीलीय या पुनरीक्षण प्राधिकारी को, यह विश्वास हो कि किसी व्यवसाई ने अपने टर्न ओवर को छिपाया है या अपने विक्रय के संबंध में मिथ्या विवरण प्रस्तुत किये हैं, तो वह अपवंचित कर की राशि की कम से कम तीन गुनी और अधिकतम पांच गुनी शास्ति अधिरोपित कर सकता है।

जून 2005 में क्षेत्रीय कार्यालय, इंदौर की नमूना जाँच में पता चला कि वर्ष 2000–01 तथा 2001–02 के लिए दिसम्बर 2004 तथा जनवरी 2005 में कर निर्धारित दो व्यवसाईयों के प्रकरणों में यद्यपि कर निर्धारण प्राधिकारी ने टर्नओवर की छिपाई गई राशि 7.30 करोड़ रुपये निर्धारित कर 79.45 लाख रुपये का कर आरोपित किया लेकिन उसके द्वारा 2.38 करोड़ रुपये की न्यूनतम शास्ति अधिरोपित नहीं की गई।

इसे इंगित किए जाने के पश्चात् विभाग ने जुलाई 2006 में बताया कि एक प्रकरण में 1.58 करोड़ रुपये की शास्ति दिसम्बर 2005 में आरोपित की गई थी, जबकि दूसरे प्रकरण में यह बताया गया कि शास्ति अधिरोपण की कार्यवाही की जायेगी।

2.7 कर प्रदत्त विक्रयों की गलत कटौती

2.7.1 म.प्र. वाणिज्यिक कर अधिनियम, नियमों और उसके अधीन जारी की गई अधिसूचनाओं के अन्तर्गत, कर प्रदत्त माल पर जिन पर, कर का भुगतान राज्य के भीतर किया गया है, कर योग्य टर्न ओवर का निर्धारण करते समय कर प्रदत्त विक्रय की छूट देने का प्रावधान है।

क्षेत्रीय कार्यालय सतना और इन्दौर के एक वृत्त कार्यालय के अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया गया कि चार व्यवसाईयों का वर्ष 2000–2001 एवं 2001–2002 के लिए कर निर्धारण, सितम्बर 2003 और

लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियों) 31 मार्च 2006 को समाप्त वर्ष

जनवरी 2005 के मध्य गलत तरीके से किया गया। इसके परिणाम स्वरूप निम्न विवरणानुसार 6.15 लाख रुपये के कर का अनोरापण हुआ :

क्र.	इकाई का नाम	निर्धारण वर्ष/निर्धारण दिनांक	आपत्ति का स्वरूप
1.	वाणिज्यिक कर अधिकारी वृत्त XI इन्डौर	2001–2002 जनवरी 2004 दिसम्बर 2004 जनवरी 2005	वायर राड से निर्मित 75.34 रुपये मूल्य के तारों के विक्रय को कर प्रदत्त मानते हुए गलत तरीके से कर के भुगतान से छूट प्रदान की गई। इसके परिणामस्वरूप 3.01 लाख रुपये के कर का कम आरोपण हुआ।
2.	क्षेत्रीय सहायक आयुक्त III सतना	2000–01 सितम्बर 2003	व्यवसाई द्वारा दिनांक 01 नवम्बर 2000 को या उसके पश्चात 22.75 लाख रुपये मूल्य का माल छत्तीसगढ़ से आयात और उसका राज्य में विक्रय किया। जिस पर 3.14 लाख रुपये का कर आरोपणीय था, फिर भी कर निर्धारण प्राधिकारी ने कर प्रदत्त माल की गलत कमी स्वीकार की। परिणामस्वरूप उपरोक्त सीमा तक शासकीय राजस्व की कम प्राप्ति हुई।

विभाग ने उत्तर में बताया कि माल म.प्र. में पंजीकृत इन्डौर डिपो से क्रय किया गया था। उत्तर मान्य नहीं था, क्योंकि क्रय सूची से स्पष्ट होता है कि माल रायपुर (छत्तीसगढ़) से क्रय किया गया था और विभाग ने अपने उत्तर की पुष्टि में कोई साक्ष्य/प्रमाण प्रस्तुत नहीं किए।

2.7.2 म.प्र.वा.क. अधिनियम तथा उसके अधीन जारी की गई अधिसूचना के अन्तर्गत कर प्रदत्त माल पर, जिन पर कर का भुगतान राज्य के भीतर किया गया है, कर प्रदत्त बिक्री की छूट देने का प्रावधान है, जबकि ऐसी कर प्रदत्त संवेष्टन सामग्री, जिसका विक्रय कर योग्य वस्तु के साथ किया जाय तो उस पर भी उसी दर से कर देय होगा जो उस वस्तु पर देय है।

इन्डौर के क्षेत्रीय कार्यालय एवं एक वृत्त कार्यालय के अभिलेखों की नमूना जांच में पता चला कि अवधि 1999–2000 से 2001–2002 तक के लिए दिसम्बर 2002 और दिसम्बर 2004 के मध्य कर निर्धारित चार व्यवसाइयों के पांच प्रकरणों में 2.27 करोड़ रुपये की संवेष्टन सामग्री कर योग्य दवाइयों के साथ विक्रय की गई थी जिसे कर प्रदत्त माल मानकर कर योग्य विक्रय राशि में से गलत कटौती की अनुमति प्रदान की गई। इसके परिणामस्वरूप 10.36 लाख रुपये के कर का अनारोपण हुआ।

इसे लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने के पश्चात् विभाग ने जुलाई 2006 में बताया कि कर योग्य माल के साथ विक्रय किए गए कर प्रदत्त माल की कटौती की अनुमति माननीय उच्च न्यायालय¹⁴ के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में सही दी गई थी। अधिनियम के विशिष्ट प्रावधानों और भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय¹⁵ के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में, जिसमें यह प्रतिपादित किया गया था कि माल के साथ बेची गई संवेष्ठन सामग्री माल की भांति कर योग्य है, विभाग का उत्तर मान्य नहीं था।

2.7.3 क्षेत्रीय कार्यालय मुरैना के अभिलेखों की नमूना जांच में पता चला कि वर्ष 2001–2002 और 2002–2003 के लिए जनवरी 2005 में कर निर्धारित दो व्यवसाइयों के प्रकरणों में 3.42 करोड़ रुपये मूल्य के वनस्पति तेल एवं खली (तेल रहित केक) को कर प्रदत्त माल मानकर छूट प्रदान की गई थी। परन्तु विक्रेता व्यवसाई, जिससे माल क्रय किया गया था, के अभिलेखों के प्रति सत्यापन में पाया गया कि विक्रेता व्यवसाई द्वारा उक्त मालों का कोई विक्रय नहीं किया गया था। इस प्रकार प्रदान की गई कटौती गलत थी। इसके परिणाम स्वरूप 13.47 लाख रुपये के कर और 40.41 लाख रुपये की शास्ति का अनारोपण हुआ।

इसे इंगित किये जाने के पश्चात् विभाग ने जुलाई 2006 में बताया कि विक्रेता व्यवसाई के विरुद्ध धारा 28(1) के अन्तर्गत कार्यवाही शुरू कर दी गई थी। विभाग द्वारा केता व्यवसाई, जिसने छूट का दावा किया और जिसे छूट प्रदान की गई, के संबंध में कोई उत्तर नहीं दिया गया था। अंतिम उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2007)।

2.8 मूल्य संबंधित कर का अनारोपण

म.प्र. वाणिज्यिक कर (संशोधन) अधिनियम 1997, की धारा 9—बी के अन्तर्गत मूल्य संबंधित कर (वैट) अधिनियम की अनुसूची-II के भाग-II से VI में विनिर्दिष्ट मालों के पुनर्विक्रय के मूल्य संबंधन पर निर्धारित दरों से देय है।

चार क्षेत्रीय कार्यालयों¹⁶ और इन्दौर के एक वृत्त कार्यालय के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि अप्रैल 2003 से दिसम्बर 2004 के मध्य कर निर्धारित 1997–98 से 2002–2003 तक की अवधि के आठ

¹⁴ मै. रेमन्ड सीमेन्ट वि. मध्य प्रदेश राज्य (उच्च न्यायालय) (1997) 30 वी.के.एन. 219 म.प्र.

¹⁵ मै. प्रीमियर ब्रेवरीज वि. केरल राज्य (1999) 32 वी.के.एन 317

¹⁶ क्षेत्रीय कार्यालय : ग्वालियर (1) इन्दौर (3)

प्रकरणों में माल के पुनर्विक्रय के 2.14 करोड़ रूपये के मूल्य सम्बर्धन पर 19.56 लाख रूपये के वैट का आरोपण नहीं किया गया था ।

इसे इंगित किये जाने के पश्चात पाँच प्रकरणों में विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार की जिनमें से दो प्रकरणों में 10.35 लाख रूपये की मांग सृजित की गई । आगे यह भी बताया गया कि शेष तीन प्रकरणों में धारा 62(3) के अन्तर्गत पुनरीक्षण हेतु कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई थी ।

2.9 प्रवेशकर का अनारोपण/कम आरोपण

म.प्र. स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम 1976 तथा इसके अधीन जारी की गई, अधिसूचनाओं के अन्तर्गत कच्चे माल, अनुषांगिक माल या संवेष्टन सामग्री के रूप में विक्रय, उपयोग या खपत के लिए स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश करने वाली वस्तुओं पर विनिर्दिष्ट दरों पर प्रवेश कर आरोपणीय है ।

आठ क्षेत्रीय कार्यालयों¹⁷ के अभिलेखों की जनवरी 2005 और दिसम्बर 2005 के मध्य नमूना जॉच में पता चला कि अवधि 1999–2000 से 2002–03 के लिए अप्रैल 2003 और जनवरी 2005 के मध्य कर निर्धारित आठ प्रकरणों में 33.70 करोड़ रूपये मूल्य के सॉफ्ट ड्रिंक्स, रबर कैमीकल, ट्रैक्टर्स, ट्रैक्टर पार्ट्स और सहायक पुर्जों, डीजल आयल, वाहनों और वनस्पति तेल के प्रवेश पर प्रवेश कर आरोपित नहीं किया गया/कम आरोपित किया गया । इसके परिणाम स्वरूप 1.06 करोड़ रूपये के प्रवेश कर का अनारोपण/कम आरोपण हुआ ।

इसे इंगित किए जाने के पश्चात, विभाग द्वारा जुलाई 2006 में तीन प्रकरणों में आपत्ति स्वीकार की गई जिनमें क्षेत्रीय सहायक आयुक्त कार्यालय, ग्वालियर के एक प्रकरण में 2.50 लाख रूपये की मांग सृजित की गई थी । शेष पांच प्रकरणों में अन्तिम उत्तर प्रतीक्षित था ।

¹⁷ क्षेत्रीय कार्यालय : छिन्दवाड़ा (1) ग्वालियर (1) इन्दौर (3) मुरैना (1) एवम् सतना (2)

2.10 गलत कटौती मान्य किये जाने के कारण कर का कम आरोपण

कर योग्य टर्न ओवर की गणना करने के लिए म.प्र.वा.क. अधिनियम की धारा 2 (w) (v) में एक फार्मूला निर्धारित किया गया है। इसमें यह भी प्रावधान है कि यदि पंजीकृत व्यवसाई द्वारा कर के रूप में संग्रहीत राशि को समग्र विक्रय मूल्य में से अन्यथा घटा दिया गया हो अथवा उसे विक्रय मूल्य में शामिल नहीं किया गया हो तो फार्मूला के आधार पर कटौती नहीं की जायेगी।

इन्दौर और छिन्दवाड़ा के दो क्षेत्रीय कार्यालयों के अभिलेखों की जनवरी तथा अक्टूबर 2005 के मध्य नमूना जॉच में पता चला कि अवधि अप्रैल 1997 से मार्च 2002 की अवधि के लिए मई 2001 तथा जनवरी 2005 के मध्य कर निर्धारित पाँच व्यवसाइयों के प्रकरणों में 1.44 करोड़ रुपये की कटौती की गलत अनुमति प्रदान की गई क्योंकि व्यवसाइयों ने विक्रय मूल्य/पट्टा किराये में वाणिज्यिक कर शामिल नहीं किया था। इसके परिणामस्वरूप 13.78 लाख रुपये के कर का कम आरोपण हुआ।

इसे इंगित किए जाने के पश्चात, विभाग ने जुलाई 2006 में लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया और सम्पूर्ण राशि के लिए माँग सृजित की।

लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियों) 31 मार्च 2006 को समाप्त वर्ष

अध्याय – 3 : राज्य उत्पाद शुल्क

3.1 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2005–06 के दौरान राज्य उत्पाद शुल्क के अभिलेखों की नमूना जांच में 5405 प्रकरणों में 77.12 करोड़ रुपये की राशि का अनिर्धारण, अवनिर्धारण, राजस्व हानियाँ एवं शास्तियाँ का अनारोपण प्रकट हुआ, जिन्हें मोटे तौर पर निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है :

(करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि
1	आबकारी दुकानों से लायसेंस फीस की वसूली न होना	346	7.54
2	दुकानों की पुनर्नीलामी/पुनः बोली लगाने में हानि	93	7.26
3	लायसेंस शर्तों के उल्लंघन पर शास्ति का अनारोपण	878	8.30
4	अधिक हानियों पर शुल्क अनारोपण/वसूली न करना	2446	0.55
5	देशी स्पिरिट/परिशोधित स्पिरिट का निर्धारित न्यूनतम स्कन्ध न रखने पर शास्ति का अनारोपण	44	3.83
6	अन्य	1598	49.64
	योग	5405	77.12

वर्ष 2005–06 के दौरान विभाग ने 1110 प्रकरणों में अन्तर्निहित 39.03 करोड़ रुपये के कर के अवनिर्धारण को कर स्वीकार किया। इनमें से 27.10 करोड़ रुपये की अंतर्निहित राशि के 972 प्रकरणों को वर्ष 2005–06 के दौरान तथा शेष प्रकरणों को पूर्ववती वर्षों में इंगित किया गया था। 88 प्रकरणों में 3.25 करोड़ रुपये की राशि की वसूली की गई।

कुछ दृष्टात्मक प्रकरण जिनमें 7.67 करोड़ रुपये की राशि अन्तर्निहित है, का उल्लेख इस अध्याय में किया गया है :—

3.2 चूककर्ता अनुज्ञप्तिधारियों से लायसेंस फीस की वसूली न होना

मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 तथा फुटकर दुकानों की विक्रय शर्तों के अनुसार सफल आवेदक/निविदादाता लायसेंस जारी होने से पूर्व निर्धारित बेसिक लायसेंस फीस तथा प्रतिभूति जमा राशि का भुगतान करेगा। अगर वह उक्त राशियों को जमा नहीं करता है अथवा आंशिक रूप से जमा करता है तो उसके द्वारा जमा धनराशियों को राजसात किया जावेगा और दुकान का पुनर्विक्रय किया जाएगा। सफल आवेदक/निविदादाता को लायसेंस दिया जाता है तथा वार्षिक लायसेंस फीस¹ निर्धारित प्रक्रिया अनुसार 24 समान पाक्षिक किश्तों में देय है। इसमें चूक होने पर लायसेंस प्रदान करने वाले प्राधिकारी को लायसेंस निलम्बित या निरस्त करने का अधिकार है। जब कोई लायसेंस निरस्त किया जाता है तो कलेक्टर ऐसी दुकान का प्रबन्धन अपने हाथ में ले सकेगा अथवा पूर्व अनुज्ञप्तिधारी के जोखिम एवं कीमत पर दुकान का पुनर्विक्रय कर सकेगा। इस प्रक्रिया में अगर कोई हानि होती है, तो वह चूककर्ता से आबकारी बकाया के रूप में वसूली योग्य होगी।

चार जिला आबकारी कार्यालयों² (डी.ई.ओ.) के अभिलेखों की मई और दिसम्बर 2005 के मध्य नमूना जॉच में प्रकट हुआ कि वर्ष 2004–05 अथवा उसके भाग के लिए 7.95 करोड़ रुपये समेकित राशि की वार्षिक लायसेंस फीस में 32 फुटकर मदिरा विक्रय दुकानों के लायसेंस प्रदान किये गये थे। अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा 1.32 करोड़ रुपये की प्रतिभूति राशि जमा की जानी अपेक्षित थी, इनमें से 20 अनुज्ञप्तिधारियों ने कोई प्रतिभूति राशि जमा नहीं की जबकि 12 अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा केवल 9.39 लाख रुपये जमा किये गये। अतः उनके द्वारा जमा 71.69 लाख रुपये की बेसिक लायसेंस फीस को राजसात किया जाना अपेक्षित था और दुकानों का पुनर्विक्रय किया जाना वांछित था। विभाग द्वारा, तथापि, अनुज्ञप्तिधारियों को दुकानें चलाने दी गई।

इसके अतिरिक्त, इन सभी 32 अनुज्ञप्तिधारियों ने लायसेंस फीस की पाक्षिक किश्तों का भुगतान करने में चूक की, 13 प्रकरणों में लायसेंस निरस्तीकरण की कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। जबकि शेष 19 दुकानों के लायसेंस, चूक दिनांक 1 से 9 माह व्यतीत होने के बाद निरस्त किए गए। लायसेंस निरस्तीकरण के बाद इन दुकानों का या तो विभागीय तौर पर संचालन किया गया अथवा पुनः निविदाएँ आमंत्रित की गई। इस प्रक्रिया में विभाग को 1.96 करोड़ रुपये की हानि हुई जो चूककर्ताओं से वसूली योग्य थी। उसकी चूककर्ताओं से वसूली करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई।

¹ वार्षिक लायसेंस फीस = वार्षिक मूल्य (–) बेसिक लायसेंस फीस।

² छिंदबाड़ा, ग्वालियर, जबलपुर, रतलाम।

इसे इंगित किये जाने पर आबकारी आयुक्त ने जून और जुलाई 2006 में सूचित किया कि 31 प्रकरणों में राजस्व वसूली प्रमाण पत्र जारी कर दिए गए थे और एक प्रकरण में इसे जारी किया जा रहा था। इसके आगे यह भी बताया गया कि 3 दुकानों से संबंधित 21.14 लाख रुपये जून 2005 और मई 2006 के मध्य वसूल किये गये तथा वसूली की कार्यवाही प्रगति में है, अन्तिम उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (जनवरी 2007)।

प्रकरण शासन को अगस्त 2005 और फरवरी 2006 के मध्य प्रतिवेदित किया गया था, उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (जनवरी 2007)।

3.3 निर्यात की गई मदिरा के अभिस्वीकृति प्राप्त न होने पर आबकारी शुल्क की वसूली न होना

मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 तथा उसके तहत बनाये गये नियमों में प्रावधान है कि यदि कोई निर्यातक भारत के अन्दर विदेशी मदिरा/बीयर तथा देशी मदिरा का निर्यात बिना शुल्क भुगतान किये करता है, तो वह आयातक इकाई के प्रभारी अधिकारी से सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त करेगा तथा इसे अनुज्ञापत्र की वैधता अवधि की समाप्ति के 21 दिवस/एक माह के अन्दर निर्यात अनुज्ञापत्र जारी करने वाले प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा। अगर निर्यातक ऐसा करने में विफल रहता है तो निर्यात की गई मदिरा पर देय शुल्क की वसूली की जाएगी, यह किसी अन्य शास्ति के अतिरिक्त होगी जो नियमानुसार आरोपित की जा सकेगी।

तीन जिला आबकारी कार्यालयों³ के अभिलेखों की जून 2005 और फरवरी 2006 के मध्य नमूना जॉच में प्रकट हुआ कि चार अनुज्ञाप्तिधारकों ने जनवरी 2004 से दिसम्बर 2005 के दौरान 72 अनुज्ञापत्रों से 2,00,204.21 प्रूफ लीटर विदेशी मदिरा, 32,760 बल्क लीटर बीयर तथा 4482 प्रूफ लीटर देशी मदिरा का निर्यात किया। अनुज्ञापत्रों की वैधता समाप्ति के बाद एक से 22 माह की अवधि व्यतीत होने के बाद भी सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुए थे। विभाग द्वारा शुल्क वसूली हेतु कोई कार्रवाई नहीं की गई। विभाग की शुल्क वसूली में विफलता के परिणामस्वरूप 3.10 करोड़ रुपये के आबकारी शुल्क की प्राप्ति नहीं हो सकी।

इसे इंगित किये जाने पर आबकारी अधिकारियों धार एवं मुरैना ने दिसम्बर 2005 और जनवरी 2006 के मध्य बताया कि सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त करने की कार्रवाई की जाएगी। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि सत्यापन प्रतिवेदन निर्धारित अवधि 21 दिवस/एक माह के भीतर प्राप्त न होने पर निर्यातकों से आबकारी शुल्क की वसूली की जानी अपेक्षित थी।

³ धार, ग्वालियर, मुरैना

लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियों) 31 मार्च 2006 को समाप्त वर्ष

प्रकरण आबकारी आयुक्त तथा शासन को अगस्त 2005 तथा अप्रैल 2006 के मध्य प्रतिवेदित किया गया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (जनवरी 2007)।

3.4 पुनर्आसवन में स्पिरिट हानि की गलत छूट

मध्य प्रदेश आसवनी नियम, 1995 में एकस्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल (ई.एन.ए.) के विनिर्माण के लिए पुनर्आसवन के दौरान परिशोधित स्प्रिट की छीजन के लिए छूट का कोई प्रावधान नहीं है।

धार तथा राजगढ़ जिलों की तीन आसवनियों की नमूना जॉच में प्रकट हुआ कि अक्टूबर 2003 तथा अक्टूबर 2005 के मध्य ई.एन.ए. का उत्पादन करने के लिए 144.31 लाख प्रूफ लीटर परिशोधित स्पिरिट का पुनर्आसवन किया गया तथा 2.12 लाख प्रूफ लीटर परिशोधित स्पिरिट की छीजन की छूट प्रदान की गई। यह स्वीकार्य नहीं था एवं परिणामस्वरूप 1.98 करोड़ रूपये के आबकारी शुल्क की हानि हुई।

इसे इंगित किये जाने पर आबकारी आयुक्त ने जून 2006 में बताया कि परिशोधित स्पिरिट से ई.एन.ए. विनिर्माण में छीजन मध्य प्रदेश आसवनी नियम 1995 के नियम 6(2) के अनुसार मान्य की गई। नियम 6(2) सहपाठित नियम 4 में मानव उपयोग हेतु अनुपयुक्त अथवा अद्योमानक स्तर की स्पिरिट की छीजन की छूट देने का प्रावधान है। उत्तर मान्य नहीं था, क्योंकि उपयोग की गई परिशोधित स्पिरिट न तो मानव उपयोग के लिए अनुपयुक्त थी और न ही अद्योमानक स्तर की थी। यह उच्चगुणवत्ता की मदिरा यथा ब्राण्डी, जिन तथा विस्की आदि बनाने में प्रयुक्त की गई थी।

प्रकरण शासन को फरवरी तथा अप्रैल 2006 के मध्य प्रतिवेदित किया गया; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (जनवरी 2007)।

3.5 स्पिरिट की अमान्य हानियाँ

मध्य प्रदेश आसवनी नियम 1995 में प्रावधान है कि स्प्रिट को टैकरों में परिवहन/निर्यात करते समय विहित सीमा से अधिक छीजन पर 30 रूपये प्रति प्रूफ लीटर से अनधिक दर से शास्ति आरोपणीय होगी। मध्य प्रदेश देशी स्पिरिट नियम 1995 में प्रावधान है कि देशी स्पिरिट की सीलबन्द बोतलों के परिवहन में विहित सीमा से अधिक छीजन पर अनुज्ञाप्तिधारी से निर्धारित दर से शुल्क वसूल किया जाएगा।

चार जिला आबकारी कार्यालयों⁴ की अगस्त 2005 और फरवरी 2006 के मध्य अभिलेखों की नमूना जॉच में प्रकट हुआ कि सितम्बर 2003 से दिसम्बर 2005 के दौरान तीन आसवनियों⁵ द्वारा 54.53 लाख प्रूफ लीटर परिशोधित स्प्रिट का टैंकरों में निर्यात किया गया लेकिन आयातक राज्यों द्वारा केवल 54 लाख प्रूफ लीटर की अभिस्वीकृति प्रदान की गई। छीजन हानि अनुमत्य सीमा 0.11 लाख प्रूफ लीटर से 0.42 लाख प्रूफ लीटर अधिक थी। 0.42 लाख प्रूफ लीटर की अधिक छीजन पर 12.68 लाख रुपये तक की शास्ति आरोपणीय थी। इसके अतिरिक्त चार विनिर्माण भाण्डागारों⁶ से संचय भण्डागारों को जनवरी 2004 से जनवरी 2006 के दौरान 11.64 लाख प्रूफ लीटर देशी स्प्रिट का परिवहन किया गया लेकिन संचय भाण्डागारों में केवल 11.51 लाख प्रूफ लीटर की अभि स्वीकृति प्रदान की गई। छीजन हानि अनुमत्य सीमा 5,821.8 प्रूफ लीटर से 7223.05 प्रूफ लीटर अधिक थी जिस पर वसूली योग्य शुल्क कुल 7.84 लाख रुपये संगणित होता है, इस प्रकार आरोपणीय शास्ति/शुल्क की कुल राशि 20.52 लाख रुपये संगणित होती है; जिसका आरोपण तथा वसूली विभाग द्वारा नहीं की गई। इसके परिणामस्वरूप 20.52 लाख रुपये की शास्ति/शुल्क की वसूली नहीं हुई।

इसे इंगित कि जाने पर आबकारी आयुक्त ने जुलाई 2006 में सूचित किया कि शास्ति तथा शुल्क के आरोपण/वसूली की कार्रवाई प्रगति पर है। अन्तिम उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (जनवरी 2007)।

प्रकरण शासन को जनवरी तथा अप्रैल 2006 के मध्य प्रतिवेदित किया गया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (जनवरी 2007)।

3.6 शासन को देय धन की वसूली न करना

मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 के प्रावधानों तथा उसके तहत बनाये गये नियमों के अनुसार किसी मादक पदार्थों के अनुज्ञाप्तिधारी द्वारा, वहिर्गामी लायसेंसी द्वारा लायसेंस की समाप्ति या निलम्बन के बाद छोड़े गये मादक पदार्थों को ऐसे मूल्य पर जैसा कि जिला आबकारी अधिकारी द्वारा विनिश्चित किया जाय क्रय किया जाना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त, सरकार द्वारा स्वीकृत विभिन्न अनुज्ञापत्रों में समाहित मादक पदार्थों पर यदि शुल्क की दर बढ़ाई जाती है तो इस बढ़ोतरी के प्रभावशील होने के दिनांक से पूर्व दिवस की समाप्ति पर लाइसेंस धारकों द्वारा धारित स्टॉक पर उनके द्वारा तीस दिवस के भीतर शुल्क के अन्तर की राशि का भुगतान किया जाना अपेक्षित है। सरकार ने

⁴ धार, होशंगाबाद, मंदसौर, राजगढ़

⁵ मै. ग्रेट गैलियन आसवनी सेजवाया (धार)

मै. ओएसिस आसवनी बोराली (धार)

मै. विन्ध्याचल आसवनी, पीलूखेड़ी (राजगढ़)

⁶ बैतूल, धार, मंदसौर, नरसिंहगढ़ (राजगढ़)

लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियों) 31 मार्च 2006 को समाप्त वर्ष

अधिसूचना दिनांक 12 अप्रैल 2004 द्वारा देशी मदिरा पर आबकारी शुल्क की दर 24 रूपये को पुनरीक्षित कर 105 रूपये प्रति प्रूफ लीटर की दर निर्धारित की जो 1 अप्रैल 2004 से प्रभाव शील थी।

मई तथा सितम्बर 2005 में जिला आबकारी कार्यालय जबलपुर और विदिशा के अभिलेखों की नमूना जाँच में प्रकट हुआ कि तीन देशी मदिरा और 12 विदेशी मदिरा की दुकाने क्रमशः अप्रैल से जून 2004 तथा मई 2004 से मार्च 2005 के मध्य विभागीय संचालन के बाद फुटकर विक्रेताओं के पक्ष में आबंटित की गई। 25.36 लाख रूपये मूल्य के मादक पदार्थ नये विक्रेताओं को हस्तांतरित किये गये। विक्रेताओं ने केवल 6.21 लाख रूपये का भुगतान किया तथा 19.15 लाख रूपये भुगतान हेतु शेष रहे। इसके अतिरिक्त देशी मदिरा के दो अनुज्ञप्तिधारियों के कब्जे में 31 मार्च 2004 को 6602.41 प्रूफ लीटर देशी मदिरा थी जिस पर 5.35 लाख रूपये की शुल्क अन्तर राशि अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा देय थी। तथापि, अनुज्ञप्तिधारियों ने केवल 1.73 लाख रूपये का भुगतान किया और 3.62 लाख रूपये का भुगतान नहीं किया। शेष राशि वसूल करने के लिए विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके परिणामस्वरूप शासन को देय 22.77 लाख रूपये की प्राप्ति नहीं हो सकी।

इसे इंगित किये जाने पर आबकारी आयुक्त ने जून 2006 में सूचित किया कि मई 2005 तथा अप्रैल 2006 के मध्य मदिरा मूल्य के संबंध में 16.49 लाख रूपये वसूल कर लिये गये हैं। शुल्क अन्तर राशि के संबंध में बताया गया कि देय राशियों को जमा करने हेतु अनुज्ञप्तिधारियों को जून 2006 में निर्देशित किया गया है। अन्तिम उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (जनवरी 2007)।

प्रकरण शासन को अगस्त 2005 तथा अप्रैल 2006 के मध्य प्रतिवेदित किया गया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (जनवरी 2007)।

3.7 शासकीय स्थापना पर हुए उपगत व्यय की वसूली न होना।

मध्य प्रदेश आसवनी नियम, 1995 में प्रावधान है कि यदि आसवनी में शासकीय स्थापना पर व्यय, उससे निर्गमित स्पिरिट पर निर्यात फीस या कोई अन्य उद्ग्रहण द्वारा प्राप्त राजस्व के पांच प्रतिशत से अधिक होता है तो आसवनी में अर्जित राजस्व के उपरोक्त पांच प्रतिशत से अधिक व्यय की राशि को आसवक से वसूल किया जाएगा।

तीन जिला आबकारी कार्यालयों⁷ के अभिलेखों की नवम्बर 2005 और फरवरी 2006 के मध्य नमूना जॉच में प्रकट हुआ कि अप्रैल 2001 से नवम्बर 2005 के दौरान तीन आसवनियों⁸ में वेतन एवं भत्तों पर राज्य सरकार की स्थापना पर व्यय 20.21 लाख रुपये था तथा सरकार द्वारा अर्जित राजस्व 15.59 लाख रुपये था। तदनुसार प्राप्त राजस्व के पांच प्रतिशत से अधिक हुए व्यय 19.43 लाख रुपये की राशि आसवकों से वसूली की जानी अपेक्षित थी। इस राशि की वसूली हेतु विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई।

इसे इंगित किये जाने पर आबकारी आयुक्त ने जुलाई 2006 में सूचित किया कि जिला आबकारी अधिकारी धार तथा रतलाम द्वारा अप्रैल 2006 में आसवक को राशि जमा करने हेतु निर्देशित कर दिया गया है।

प्रकरण शासन को प्रतिवेदत किया गया (मार्च तथा अप्रैल 2006) उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (जनवरी 2007)।

3.8 सम्पत्ति का विवरण प्राप्त करने के लिए प्रावधानों का अभाव होने के कारण आबकारी राजस्व की वसूली न होना।

मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 में प्रावधान है कि चूक कर्ताओं द्वारा शासन को भुगतान न की गई सभी देय राशियों की वसूली भू—राजस्व की बकाया की भाँति की जायेगी। असंग्रहीत आबकारी राजस्व की भू—राजस्व के बकाया की भाँति वसूली करने की शक्तियां सहायक आबकारी आयुक्त (ए.ई.सी.)/डी.ई.ओ. को प्रत्यायोजित की गई हैं।

3.8.1 इंदौर में राजस्व वसूली प्रमाण—पत्रों के दो प्रकरणों में वर्ष 2001–02 से संबंधित आबकारी राजस्व के रूप में कुल 36.76 लाख रुपये की राशि की वसूली हेतु मांग सूचना पत्र जारी किये गये। तथापि, सूचना पत्र तामील नहीं किए जा सके क्योंकि चूककर्ताओं के पते जाली पाये गये। इससे विदित होता है कि अनुज्ञाप्ति प्रदान करते समय अनुज्ञाप्तिधारी के पिछले रिकार्ड का सत्यापन विभाग द्वारा नहीं किया जिसके कारण शासकीय राजस्व की वसूली नहीं हो सकी तथा इसके अशोध्य बन जाने की सम्भावना है।

⁷ धार, राजगढ़, रतलाम

⁸ मै. ओयसिस आसवनी बोराली धार

मै. विन्ध्याचल आसवनी पीलूखेड़ी राजगढ़

मै. रतलाम अल्कोहल एण्ड कविनडाइर्कसाइड प्लान्ट रतलाम

लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियों) 31 मार्च 2006 को समाप्त वर्ष

इसे इंगित किये जाने पर सहायक आयुक्त आबकारी इंदौर ने जनवरी 2006 में बताया कि चूककर्ता का पता नहीं चल रहा है तथा आबकारी राजस्व के अपलेखन की कार्रवाई की जा रही थी।

3.8.2 जिला आबकारी कार्यालय नीमच के अभिलेखों की जून 2005 में नमूना जॉच में प्रकट हुआ कि एक प्रकरण में वर्ष 2004–05 से संबंधित 32.04 लाख रुपये के आबकारी राजस्व की वसूली नहीं की जा सकी क्योंकि विभाग के पास संपत्ति का विवरण उपलब्ध नहीं था अथवा चूककर्ता के पास कोई संपत्ति नहीं थी। अतः आबकारी राजस्व की वसूली सम्भव नहीं थी।

इसे इंगित किये जाने पर जिला आबकारी अधिकारी नीमच ने अप्रैल 2006 में सूचित किया कि राजस्व वसूली प्रमाण—पत्र कलेक्टर चित्तौणगढ़ (राजस्थान) जहां से चूक कर्ता संबंधित था, को भेजा गया था; जिन्होंने सूचित किया कि चूककर्ता के पास कोई सम्पत्ति नहीं है इसलिए वसूली सम्भव नहीं थी। डी.ई.ओ. द्वारा देय धन के अपलेखन का प्रस्ताव दिसम्बर 2005 में आबकारी आयुक्त को भेजा गया था। इससे यह स्पष्ट होता है कि शासन को देय धन राशियों की वसूली न होने का कारण अनुज्ञप्तिधारी की वित्तीय स्थिति सुनिश्चित करने हेतु संबंधित प्रावधानों का अभाव एवं अनुज्ञप्ति जारी करते समय अनुज्ञप्तिधारी के पिछले रिकार्ड का सत्यापन न करना था।

प्रकरण आबकारी आयुक्त तथा शासन को अगस्त 2005 तथा अप्रैल 2006 के मध्य प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (जनवरी 2007)।

अध्याय – 4 : वाहनों पर कर

4.1 लेखा परीक्षा के परिणाम

वर्ष 2005–06 के दौरान वाहनों पर कर से सम्बन्धित अभिलेखों की नमूना जाँच में 22,211 प्रकरणों में 40.88 करोड़ रुपये के कर का अनिर्धारण तथा राजस्व की हानियाँ प्रकट हुई, जिन्हें मोंटे तौर पर निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है :—

(करोड़ रुपयों में)

क्रमांक संख्या	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि
1	लोक सेवा वाहनों पर वाहन कर, शास्ति एवं प्रशमन शुल्क का अनारोपण/कम आरोपण	3,413	9.40
2	माल वाहनों पर वाहन कर एवं शास्ति का अनारोपण/कम आरोपण	1,942	3.83
3	अन्य	16,855	15.81
4	समीक्षा – परिवहन विभाग की प्राप्तियाँ	01	11.84
	योग	22,211	40.88

विभाग द्वारा 6,198 प्रकरणों में 9.55 करोड़ रुपये के कम निर्धारण/ हानियाँ आदि को स्वीकार किया गया जिन्हें वर्ष 2005–06 के दौरान लेखापरीक्षा में इंगित किया गया था।

परिवहन विभाग की प्राप्तियों की समीक्षा जिनमें 11.84 करोड़ रुपये अंतर्निहित हैं, के निष्कर्षों का विवरण इस अध्याय में दिया गया है।

4.2 समीक्षा : परिवहन विभाग की प्राप्तियाँ

विशेषताएं

- अप्रैल 2001 एवं मार्च 2005 के मध्य की अवधि का 1,770 मोटर वाहनों से संबंधित 6.17 करोड़ रुपये का वाहन कर एवं 3.88 करोड़ रुपये की शास्ति का भुगतान न तो वाहन स्वामियों द्वारा किया गया और न ही कराधान प्राधिकारियों द्वारा इसकी मांग की गई।

(कंडिका 4.2.8)

- “पारस्परिक यातायात करार” के अन्तर्गत मध्यप्रदेश में संचालित किए जा रहे अन्य राज्यों के 149 वाहनों से सम्बन्धित 37.01 लाख रुपये के वाहन कर एवं शास्ति की वसूली नहीं की गयी।

(कंडिका 4.2.9)

- 92 वाहन स्वामियों के विरुद्ध राजस्व वसूली प्रमाण पत्र जारी किये जाने के संबंध में कोई कार्रवाई शुरू नहीं की गई थी। जिसके परिणामस्वरूप 37.70 लाख रुपये के शासकीय राजस्व की वसूली नहीं हुई।

(कंडिका 4.2.10)

- अखिल भारतीय पर्यटक अनुज्ञापत्रों पर संचालित किये जा रहे मैक्सी केब से जीवन काल कर एवं शास्ति की अवशेष राशि की वसूली करने में विभाग विफलता के परिणामस्वरूप 39.49 लाख रुपये के जीवनकाल में कर एवं शास्ति का कम आरोपण हुआ।

(कंडिका 4.2.18)

सिफारिशें

शासन द्वारा आन्तरिक नियंत्रण पद्धति की प्रभाविता में सुधार करने की दृष्टि से निम्न कदम उठाये जाने पर विचार किया जा सकता है।

- कर एवं शुल्कों के निर्धारण एवं वसूली के नियमित परिवीक्षण हेतु एक प्रभावी कार्यप्रणाली विकसित की जाय।
- आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा को सशक्त बनाना एवं यह सुनिश्चित करना कि इससे संबंधित कार्य उचित ढंग से किए जा रहे हैं।

4.2.1 प्रस्तावना

परिवहन विभाग की प्राप्तियों में वाहनों पर कर सम्मिलित है जिसे प्रायः वाहन कर, शुल्क एवं शास्ति के रूप में जाना जाता है। राज्य में वाहन कर का उदग्रहण एवं संग्रहण मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 (अधिनियम) एवं इसके अन्तर्गत बनाये गये मध्यप्रदेश मोटरयान नियम, 1991 (नियम) के प्रावधानों के अन्तर्गत किया जाता है। इसके अलावा, लायसेन्स शुल्क, पंजीयन शुल्क, उपयुक्तता प्रमाण पत्र शुल्क एवं अनुज्ञापत्र शुल्क इत्यादि का उदग्रहण मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम) एवं इसके अन्तर्गत केन्द्रीय शासन एवं राज्य शासन द्वारा बनाये गये नियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत किया जाता है।

अधिनियम एवं नियमों के प्रावधानों के अनुसार राज्य में उपयोग में लाये गये या उपयोग के लिये रखे गये प्रत्येक मोटर यान पर कर का उदग्रहण अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट दर से किया जाएगा। यदि वाहन स्वामी कर का भुगतान करने में छूक करता है तो वह प्रत्येक माह की छूक के लिए कर की असदंत राशि के एक तिहाई की दर से फरवरी 2003 तक एवं उसके पश्चात 2 प्रतिशत प्रति माह 3 माह तक एवं उसके पश्चात 4 प्रतिशत की दर से सितम्बर 2004 तक शास्ति का दायी होगा जो कर की असंदत्त रकम के दुगुने से अधिक नहीं होगी। इसके पश्चात शास्ति की दर 4 प्रतिशत प्रतिमाह थी।

यदि कोई वाहन स्वामी इस अधिनियम के अधीन देय कर, शास्ति का संदाय करने में असफल रहता है तो कराधान प्राधिकारी, जिसे ऐसी रकम देय हो, राज्य शासन को देय राशि के लिये वाहन स्वामी को प्रारूप ई-2 में एक नोटिस जारी करेगा। नोटिस जारी करने के पश्चात, सात दिवस के भीतर देय राशि

लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियाँ) 31 मार्च 2006 को समाप्त वर्ष

का भुगतान नहीं किया जाता है तो इसे मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (एम.पी.एल.आर.कोड) 1959 के तहत भू-राजस्व की बकाया की भौति वसूल किया जा सकता है। बकाया राशि को भू-राजस्व बकाया के रूप में वसूली किये जाने की शक्तियाँ राज्य शासन ने समस्त कराधान प्राधिकारियों को 9 दिसम्बर 1969 से प्रत्यायोजित की थी।

4.2.2 संगठनात्मक संरचना

परिवहन विभाग पूर्ण रूप से प्रमुख सचिव (परिवहन) के अधीन होता है। वाहनों पर कर/शुल्क/शास्ति का आरोपण एवं संग्रहण की समस्त प्रक्रिया का प्रशासनिक नियंत्रण एवं परिवीक्षण परिवहन आयुक्त (प.आ.) द्वारा किया जाता है। इनकी सहायता के लिये मुख्यालय स्तर पर तीन उप परिवहन आयुक्त (उ.प.आ.) एवं आन्तरिक लेखा शाखा एवं 9 क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय¹ (क्षे.प.अ.), 13 अपर क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय² (अ.क्षे.प.अ.), 19 जिला परिवहन कार्यालय³ (जि.प.अ.) क्षेत्रीय स्तर पर होते हैं।

4.2.3 लेखापरीक्षा का उद्देश्य

यह सुनिश्चित करने के लिये समीक्षा की गई थी :

- राजस्व के आरोपण एवं संग्रहण के निर्धारण में विभागीय तंत्र की कार्यक्षमता का मूल्यांकन।
- अधिनियमों, नियमों की प्रक्रिया एवं संहितात्मक प्रावधानों एवं उनके अन्तर्गत जारी विभागीय अनुदेशों का किस सीमा तक अनुपालन किया गया।
- बकाया देय राशि का भू-राजस्व का बकाया की भौति वसूली किये जाने संबंधी प्रयासों की प्रभाविता।

¹ भोपाल, ग्वालियर, होशंगाबाद, इन्दौर, जबलपुर, मुरैना, रीवा, सागर तथा उज्जैन।

² बड़वानी, छतरपुर, छिंदवाड़ा, धार, गुना, खण्डवा, खरगौन, कटनी, मंदसौर, नीमच, सतना, सिवनी तथा शहडोल

³ बालाघाट, बैतूल, भिण्ड, दतिया, दमोह, डिंडोरी, हरदा, झावुआ, मण्डला, नरसिंहपुर, पन्ना, रायसेन, राजगढ़, सिहोर, शाजापुर, शिवपुरी, सीधी, टीकमगढ़, तथा विदिशा

4.2.4 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र

परिवहन आयुक्त, 9 क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों में से सात⁴, 13 अपर क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों में से आठ⁵ एवं 19 जिला परिवहन कार्यालयों में से दो⁶ के अभिलेखों की अवधि 2000–01 से 2004–05 तक की नमूना जांच अप्रैल 2005 एवं अप्रैल 2006 के मध्य की अवधि में की गयी। इकाईयों का चयन अधिकतम राजस्व के संग्रहण के आधार पर किया गया।

4.2.5 राजस्व की प्रवृत्ति

बजट अनुमान तथा संग्रहीत राजस्व की अंतिम पांच वर्षों के दौरान तुलनात्मक स्थिति निम्नानुसार थी :—

(करोड़ रूपयों में)

सरल क्रमांक	वर्ष	बजट अनुमान	संग्रहण	विचलन	विचलन का प्रतिशत
1	2000–01	484.00	405.90	(–) 78.10	16.14
2	2001–02	435.00	393.33	(–) 41.67	9.58
3	2002–03	519.00	428.64	(–) 90.36	17.41
4	2003–04	541.00	454.92	(–) 86.08	15.91
5	2004–05	550.00	488.65	(–) 61.35	11.15

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि बजट अनुमान एवं वास्तविक संग्रहण के मध्य अत्यधिक भिन्नता है, जिससे इंगित होता है कि बजट अनुमान वास्तविकता पर आधारित नहीं है।

इंगित किये जाने पर परिवहन आयुक्त ने जुलाई 2005 में बताया कि बजट अनुमान राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किये गये थे, जो कि गत वर्ष की प्राप्तियों पर आधारित थे। तथापि, बजट अनुमानों तथा प्राप्तियों के मध्य अत्यधिक भिन्नता के कारण प्रस्तुत नहीं किए गये।

⁴ भोपाल, ग्वालियर, इन्दौर, जबलपुर, रीवा, सागर तथा उज्जैन

⁵ वडवानी, छिन्दवाड़ा, गुना, खण्डवा, खरगोन, सतना, सिवनी तथा शहडोल

⁶ भिण्ड तथा रायसेन

लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियाँ) 31 मार्च 2006 को समाप्त वर्ष

4.2.6 बकाया कर की राशि वसूल करने में विभाग की विफलता

परिवहन आयुक्त द्वारा दी गयी जानकारी के अनुसार 31 मार्च 2005 की स्थिति में 30.45 करोड़ रुपये संग्रहण हेतु बकाया थे, जिसका विवरण निम्नानुसार है :—

(करोड़ रुपयों में)

सरल क्रमांक	वर्ष	प्रारंभिक शेष	परिवर्धन	योग	वसूल की गयी राशि	शेष
1	2000–01	9.54	2.30	11.84	0.75	11.09
2	2001–02	11.09	7.30	18.39	—	18.39
3	2002–03	18.39	4.29	22.68	4.34	18.34
4	2003–04	18.34	20.00	38.34	10.00	28.34
5	2004–05	28.34	8.07	36.41	5.96	30.45

यह इंगित किये जाने के बाद परिवहन आयुक्त ने अप्रैल 2006 में बताया कि बकाया राशि की वसूली करने के लिए कराधान प्राधिकारियों को अनुदेश जारी किये जा रहे थे। आगे यह भी बताया गया कि कराधान प्राधिकारियों द्वारा बकाया राशि की वसूली के संबंध में की गयी कार्रवाई के संबंध में जानकारी एकत्रित की जा रही थी जिससे लेखापरीक्षा को अवगत कराया जाएगा।

4.2.7 आंतरिक लेखापरीक्षा एवं निरीक्षण

4.2.7.1 विभाग में परिवहन आयुक्त के सीधे नियंत्रणाधीन आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा 1992 में गठित की गयी। आंतरिक लेखापरीक्षा परिवहन उपायुक्त (वित्त) के पर्यवेक्षण में की गई।

आंतरिक लेखापरीक्षा में स्वीकृत पद एवं वास्तविक कार्यरत पदों की विगत पाँच वर्षों के दौरान स्थिति निम्नानुसार थी :—

सरल क्रमांक	वर्ष	सहायक आंतरिक लेखापरीक्षा अधिकारी		कनिष्ठ लेखापरीक्षक	
		स्वीकृत पद	वास्तविक पद	स्वीकृत पद	वास्तविक पद
1	2000–01	4	2	4	2
2	2001–02	4	2	4	1
3	2002–03	4	1	4	1

4	2003–04	4	1	4	1
5	2004–05	4	2	4	1

आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा ने वर्ष 2002–03 के दौरान केवल एक इकाई एवं वर्ष 2004–05 के दौरान नौ इकाइयों की लेखापरीक्षा की। उपर्युक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि कार्यरत व्यक्तियों की तुलना में आंतरिक लेखापरीक्षा व्याप्ति पर्याप्त नहीं था।

यह इंगित करने के बाद परिवहन आयुक्त ने बताया कि आंतरिक लेखापरीक्षा का स्टाफ बजट नियंत्रण के कार्य में व्यस्त रहा। इस प्रकार कार्यरत स्टाफ को आंतरिक लेखापरीक्षा के वजाय अन्य प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने के कारण वह उद्देश्य असफल हो गया जिसके लिए इसका गठन किया गया था।

4.2.7.2 कार्यालय प्रमुख द्वारा निरीक्षण न किया जाना

मध्यप्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग⁷ के दिनांक 31 मार्च 1992 के अनुदेशों, एवं परिवहन आयुक्त के परिपत्र दिनांक 15–12–1992 के अनुपालन में प्रत्येक कार्यालय प्रमुख द्वारा अपने कार्यालय का वर्ष में कम से कम दो बार निरीक्षण किया जाना अपेक्षित था।

तथापि, पाँच क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों⁸, छ: अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों⁹ तथा जिला परिवहन कार्यालय भिण्ड के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि समीक्षा आवृत्त अवधि के दौरान कार्यालय प्रमुख द्वारा कोई निरीक्षण नहीं किया गया। कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख या तो उचित रीति से संधारित नहीं किये गये या संधारित ही नहीं किये गये। कुछ का विवरण निम्नानुसार है:—

नियमों के नियम 20 के तहत संधारित की जाने वाली मांग एवं वसूली पंजी (डी.आर.) में वाहनों की आवश्यक जानकारियाँ जैसे अनुज्ञापत्र, मार्ग, इत्यादि दर्ज नहीं की गई जिसके फलस्वरूप देय कर की शुद्धता सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

अधिनियम के तहत संधारित की जाने वाली अपराध प्रकरणों की पंजी परिवहन आयुक्त के कार्यालय में संधारित नहीं की गई।

⁷ ज्ञापन नं. एफ-2/1/90/9 दिनांक 31-3-1992

⁸ भोपाल, इन्दौर, जबलपुर, रीवा तथा सागर

⁹ बड़वानी, छिन्दवाड़ा, खण्डवा, खरगौन, सिवनी तथा शहडोल

लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियाँ) 31 मार्च 2006 को समाप्त वर्ष

यह इंगित किये जाने पर संबंधित कराधान प्राधिकारियों ने बताया कि ये मुद्दे भविष्य के मार्गदर्शन हेतु टीप किये गये ।

4.2.8 वाहन कर एवं शास्ति का अनारोपण

अधिनियम की धारा 3(1) के अनुसार राज्य में उपयोग में लाये गये या राज्य में उपयोग के लिए रखे गये प्रत्येक मोटर वाहन पर अधिनियम की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों से कर आरोपणीय होगा ।

अप्रैल 2001 से मार्च 2005 तक की अवधि से संबंधित 1,770 मोटर वाहनों का वाहनकर 6.17 करोड़ रूपये तथा शास्ति 3.88 करोड़ रूपये का न तो वाहन स्वामियों द्वारा भुगतान किया गया और न ही कराधान प्राधिकारियों द्वारा इसकी मांग की गयी । इन प्रकरणों को कराधान प्राधिकारियों द्वारा सूची वद्ध नहीं किया गया और न ही उच्च प्राधिकारियों द्वारा वसूली पर निगरानी की गई ।

4.2.8.1 नियमित मालवाहन अनुज्ञापत्रों पर संचालित लोक सेवा वाहन

15 कार्यालयों¹⁰ के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि अप्रैल 2001 एवं मार्च 2005 के मध्य 245 नियमित अनुज्ञापत्रों पर संचालित 233 लोक सेवा यानों पर 216 परिचालकों द्वारा वाहन कर राशि रूपये 1.73 करोड़ का भुगतान नहीं किया और न ही कराधान प्राधिकारियों द्वारा इसकी मांग की गयी । इसके परिणामस्वरूप वाहनकर 1.73 रूपये की वसूली नहीं हो सकी । इसके अलावा, 1.04 करोड़ रूपये की शास्ति भी आरोपणीय थी ।

इसे इंगित किए जाने के बाद विभाग ने 83 प्रकरणों में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया तथा इनमें से छ: कराधान प्राधिकारियों¹¹ द्वारा 23 प्रकरणों में वाहन कर एवं शास्ति के रूप में 27.72 लाख रूपये वसूल किए गए तथा 60 प्रकरणों में मांग सृजित की गयी । अन्य कार्यालयों से उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2007) ।

¹⁰ 7 धोत्रीय परिवहन कार्यालयों भोपाल, ग्वालियर, इन्दौर, जबलपुर, रीवा, सागर तथा उज्जैन,

7 अतिरिक्त धोत्रीय परिवहन कार्यालयों छिन्दवाड़ा, गुना, खण्डवा, खरगोन, सतना, सिवनी तथा शहडोल एवं जिला परिवहन कार्यालय भिण्ड

¹¹ 4 धोत्रीय परिवहन कार्यालयों भोपाल, इन्दौर, जबलपुर तथा सागर एवं 2 अतिरिक्त धोत्रीय परिवहन कार्यालयों गुना तथा सिवनी

4.2.8.2 आरक्षित रखे गये लोक सेवा यान

अधिनियम की धारा 3(1) के अधीन प्रथम अनुसूची की मद क्रमांक IV(ई) के अनुसार आरक्षित स्टेज कैरेज पर यानकर साधारण बस के लिये रूपये 160 प्रति सीट प्रति माह तथा डीलक्स बस के लिये रूपये 230 प्रति सीट प्रति माह की दर से आरोपणीय है।

17 कार्यालयों¹² के अभिलेखों की नमूना जांच में यह देखा गया कि 442 साधारण बसों तथा 12 डीलक्स बसों को आरक्षित बसों के रूप में रखा गया था। इन वाहनों के परिचालकों ने कर का भुगतान नहीं किया और न ही विभाग द्वारा इसकी मांग की गयी। इसके परिणामस्वरूप सितम्बर 2002 तथा मार्च 2005 के मध्य की अवधि से संबंधित 2.89 करोड़ रूपये के वाहन कर का आरोपण एवं वसूली नहीं हुई। इसके अतिरिक्त 1.85 करोड़ रूपये की शास्ति भी आरोपणीय थी।

यह इंगित किये जाने के बाद विभाग ने 97 प्रकरणों में लेखापरीक्षा आक्षेपों को स्वीकार किया जिनमें से 36 प्रकरणों में 4 कराधान प्राधिकारियों¹³ द्वारा 31.91 लाख रूपये का कर एवं शास्ति वसूल किये गए जबकि 61 प्रकरणों में मांग सुजित की गयी। अन्य कार्यालयों से उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2007)।

4.2.8.3 मालयान

अधिनियम की धारा 3(1) के अधीन प्रथम अनुसूची की मद क्रमांक V के अनुसार मालयानों पर यानकर पंजीकृत लदान बजन (आर.एल.डब्ल्यू.) के आधार पर आरोपणीय है।

17 कार्यालयों¹⁴ के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि अवधि अप्रैल 2001 और मार्च 2005 के मध्य की अवधि से संबंधित 1,007 मालयानों पर वाहनकर 1.31 करोड़ रूपये का न तो वाहन स्वामियों द्वारा भुगतान किया गया और न ही कराधान प्राधिकारियों द्वारा इसकी मांग की गयी। इसके परिणामस्वरूप 1.31 करोड़ रूपये के कर का अनारोपण हुआ। इसके अतिरिक्त रूपये 89.50 लाख की शास्ति भी आरोपणीय थी।

¹² 7 क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों भोपाल, ग्वालियर, इन्दौर, जबलपुर, रीवा, सागर तथा उज्जैन, 8 अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों बड़वानी, छिंदवाड़ा, गुना, खण्डवा, खरगोन, सतना, सिवनी तथा शहडोल एवं 2 जिला परिवहन कार्यालयों भिण्ड तथा रायसेन

¹³ 3 क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों भोपाल, जबलपुर तथा इन्दौर एवं अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय गुना

¹⁴ 7 क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों भोपाल, ग्वालियर, इन्दौर, जबलपुर, रीवा, सागर तथा उज्जैन, 8 अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों बड़वानी, छिंदवाड़ा, गुना, खण्डवा, खरगोन, सतना, सिवनी तथा शहडोल एवं 2 जिला परिवहन कार्यालयों भिण्ड तथा रायसेन

लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियाँ) 31 मार्च 2006 को समाप्त वर्ष

इसे इंगित किये जाने के बाद विभाग ने 381 प्रकरणों में लेखापरीक्षा आक्षेपों को स्वीकार किया जिनमें से 111 प्रकरणों में 5 कराधान प्राधिकारियों¹⁵ द्वारा 22.54 लाख रुपये का कर एवं शास्ति वसूल किये गये जबकि 270 प्रकरणों में मांग सृजित की गयी। अन्य कार्यालयों से उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2007)।

4.2.8.4 अखिल भारतीय पर्यटक अनुज्ञापत्रों पर प्रचालित वाहन

मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 88(9) के अधीन राज्य परिवहन प्राधिकारी (एस.टी.ए.) द्वारा अखिल भारतीय पर्यटक अनुज्ञापत्र मंजूर किये जाते हैं। यानकर, अधिनियम में विनिर्दिष्ट दरों से देय है।

4 कार्यालयों¹⁶ के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि अप्रैल 2003 और मार्च 2005 के मध्य की अवधि से संबंधित अखिल भारतीय पर्यटक अनुज्ञापत्रों पर संचालित 10 लोक सेवा यानों पर वाहनकर 13.59 लाख रुपये का वाहनकर एवं 4.68 लाख रुपये की शास्ति का न तो वाहन स्वामियों द्वारा भुगतान किया गया और न ही कराधान प्राधिकारियों द्वारा इसकी मांग की गयी। इसके परिणामस्वरूप 13.59 लाख रुपये के कर की वसूली नहीं हुई। इसके अतिरिक्त 4.68 लाख रुपये की शास्ति भी आरोपणीय थी।

यह इंगित किये जाने के बाद विभाग ने 6 प्रकरणों में लेखापरीक्षा आक्षेपों स्वीकार किया जिनमें से 4 प्रकरणों में क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी इन्दौर द्वारा 7.57 लाख रुपये के कर एवं शास्ति की वसूली की गयी जबकि 2 प्रकरणों में मांग सृजित की गई। अन्य कार्यालयों से उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2007)।

4.2.8.5 निजी सेवा वाहन एवं स्कूल बसें

अधिनियम की धारा 3(1) के अंतर्गत प्रथम अनुसूची की मद क्रमांक VII एवं VIII के तहत निजी सेवा वाहनों एवं स्कूल बसों पर कर अधिनियम में विनिर्दिष्ट दर से देय है।

2 कार्यालयों¹⁷ के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि अप्रैल 2002 एवं मार्च 2005 के मध्य की अवधि से संबंधित 10 निजी सेवा वाहनों एवं 56 स्कूल बसों का 9.83 लाख रुपये का वाहन कर न तो

¹⁵ 3 क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों भोपाल, जबलपुर तथा सागर एवं 2 अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों गुना तथा सिवनी

¹⁶ 3 क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों इन्दौर, जबलपुर तथा सागर एवं अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय खण्डवा

¹⁷ 2 क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों ग्वालियर तथा सागर

वाहन स्वामियों द्वारा भुगतान किया गया और न ही कराधान प्राधिकारियों द्वारा इसकी वसूली की गयी। इसके परिणामस्वरूप 9.83 लाख रुपये के वाहन कर की वसूली नहीं हुई। इसके अतिरिक्त रुपये 4.95 लाख की शास्ति भी आरोपणीय थी।

इसे इंगित किये जाने के बाद संबंधित अधिकारियों ने बताया कि प्रकरणों की जांच कर वसूली की कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई की आगामी प्रगति के संबंध में जानकारी प्रतीक्षित थी (जनवरी 2007)।

4.2.9 पारस्परिक परिवहन करार के तहत प्रति हस्ताक्षरित अनुज्ञापत्रों पर संचालित किए जा रहे अन्य राज्यों के मोटर वाहनों पर वाहन कर एवं शास्ति का अनारोपण

अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, पारस्परिक परिवहन करार के अंतर्गत अधिनियम की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट दर से निर्दिष्ट प्राधिकारी को यान कर के भुगतान पर अन्य राज्य के मोटर वाहन को राज्य के अंदर संचालित करने की अनुमति दी जाती है। कर के भुगतान में असफल होने पर स्वामी अधिनियम में विनिर्दिष्ट दर से शास्ति के भुगतान के लिए दायी होगा। यदि वाहन स्वामी वाहनकर या शास्ति या दोनों का भुगतान नहीं करता है तो ऐसे प्रकरण में कराधान प्राधिकारी एक मांग पत्र जारी करेगा और देय राशि को बकाया भू—राजस्व की भांति वसूलेगा।

4 कार्यालयों¹⁸ के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि अवधि अप्रैल 2003 और मार्च 2005 के मध्य पारस्परिक परिवहन करार के अधीन संचालित उत्तर प्रदेश राज्य के आठ लोक सेवा वाहनों तथा 141 मालवाहनों पर 23.07 लाख रुपये का वाहन कर वाहन स्वामियों द्वारा भुगतान नहीं किया गया। अभिलेख में इस आशय की कोई जानकारी उपलब्ध नहीं थी कि वाहन संचालित नहीं किए जा रहे थे या इस हेतु वाहन स्वामियों ने आवेदन किया था फिर भी कराधान प्राधिकारियों द्वारा मांग सृजित करने की कार्रवाई नहीं की गई। जिसके परिणामस्वरूप 23.07 लाख रुपये के वाहन कर का अनारोपण हुआ। इसके अतिरिक्त 13.94 लाख रुपये की शास्ति भी आरोपणीय थी।

इसे इंगित किए जाने के बाद विभाग ने 4 प्रकरणों में लेखापरीक्षा आक्षेप को स्वीकार किया जिनमें से 3 प्रकरणों में क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, सागर द्वारा 0.77 लाख रुपये का वाहन कर एवं शास्ति वसूल की गई जबकि एक प्रकरण में मांग सृजित की गई। अन्य कार्यालयों से उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2007)।

¹⁸ परिवहन आयुक्त, 3 क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों ग्वालियर, रीवा तथा सागर

4.2.10 जारी किये गये मांग पत्रों के प्रकरणों में अनुवर्ती कार्रवाई करने में असफल होना

अधिनियम के प्रावधानों तथा उसके तहत बनाये गए नियमों के अनुसार, यदि कोई वाहन स्वामी कर या शास्ति या दोनों का भुगतान करने में असफल रहता है, तो कराधान प्राधिकारी राज्य सरकार को देय राशि की वसूली के लिए स्वामी के विरुद्ध एक मांग पत्र जारी करेगा। मांग पत्र में समाविष्ट राशि मांग पत्र की तारीख के सात दिवस में भुगतान करने में असफल होने की स्थिति में, कराधान प्राधिकारी द्वारा रकम की वसूली भू-राजस्व के बकाया की भाँति की जाएगी।

2 कार्यालयों¹⁹ के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि अप्रैल 2003 एवं मार्च 2005 के मध्य की अवधि के कर एवं शास्ति की राशि 37.70 लाख रुपये की वसूली के लिए 92 वाहन स्वामियों को मार्च एवं सितम्बर 2005 के मध्य मांग पत्र जारी किये गये, जिसका वाहन स्वामियों द्वारा भुगतान नहीं किया गया था। इसके पश्चात विभाग द्वारा राजस्व वसूली प्रमाणपत्र जारी करने के संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई। कराधान प्राधिकारियों द्वारा अधिनियम तथा नियमों के प्रावधानों का पालन करने में विफलता के परिणामस्वरूप 37.70 लाख रुपये के शास्ति सहित कर की वसूली नहीं हुई।

इसे इंगित किये जाने के बाद क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी/अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने बताया कि अधिनियम के अनुसार वसूली हेतु आगामी कार्रवाई की जाएगी। की गई कार्रवाई की प्रगति के संबंध में जानकारी प्रतीक्षित थी (जनवरी 2007)।

4.2.11 वाहनकर का कम आरोपण

अधिनियम की धारा 3(1) के अंतर्गत प्रथम अनुसूची के अनुसार, लोक सेवा वाहन पर कर उसके द्वारा एक दिन में तय की गयी दूरी के आधार पर आरोपित किया जाता है एवं निजी सेवा वाहन पर बैठक क्षमता के आधार पर (चालक की एक सीट छोड़कर) वाहनकर आरोपित किया जाता है तथा मालवाहनों पर वाहनकर त्रैमासिक आधार पर आरोपित किया जाता है।

नौ कार्यालयों²⁰ के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि अप्रैल 2001 एवं मार्च 2005 के मध्य की अवधि में 57 लोक सेवा वाहनों, 14 निजी सेवा वाहनों एवं 139 मालवाहनों पर या तो कर की गलत दर लागू करने से या वाहनों की कम बैठक क्षमता दर्शाये जाने की करण वाहन कर का कम भुगतान किया

¹⁹ क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय उज्जैन एवं अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय बड़वानी

²⁰ 4 क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों—ग्वालियर, सागर, रीवा तथा उज्जैन, 4 अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों—गुना, खरगौन, सतना तथा शहडोल एवं जिला परिवहन कार्यालय भिण्ड

गया। गलत दर लागू किए जाने में हुई चूक का पता लगाने में विभाग की विफलता के परिणामस्वरूप 20.23 लाख रुपये के वाहन कर का कम आरोपण हुआ। इसके अतिरिक्त 14.27 लाख रुपये की शास्ति भी आरोपणीय थी।

इसे इंगित किए जाने के बाद विभाग ने 13 प्रकरणों में लेखापरीक्षा आक्षेप को स्वीकार किया जिनमें से 4 प्रकरणों में 1.12 लाख रुपये का वाहन कर एवं शास्ति कराधान प्राधिकारियों²¹ द्वारा वसूल किए गए। जबकि 9 प्रकरणों में मांग सुजित की गई। अन्य कार्यालयों से उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2007)।

4.2.12 समझौता शुल्क का अनारोपण/वसूली न होना

केन्द्रीय मोटरयान नियम 1989 (सी.एम.व्ही.आर.) में प्रावधान है कि प्रत्येक अखिल भारतीय पर्यटक अनुज्ञापत्र धारक को एक तिमाही विवरणी प्रस्तुत करना होगी जिसमें वाहन चालक सहित स्वयं/किराए पर अनुज्ञापत्र लेने वाले व्यक्ति का नाम तथा आवासीय विवरण एवं वाहन के पंजीकरण संख्या के साथ—साथ वाहन के यात्रा प्रारम्भ करने का स्थान तथा गंतव्य स्थान तथा दोनों तरफ के यात्रा समय का उल्लेख किया जाएगा। वाहन स्वामियों द्वारा विवरणियों को प्रस्तुत करने में विफल रहने की दशा में परिवहन आयुक्त द्वारा अनुज्ञापत्र निरस्त/निलंबित किया जाना अथवा (दिनांक 1 अक्टूबर 2001 से प्रभावशील) रु. 1,000 प्रति तिमाही की दर से समझौता शुल्क आरोपित किया जाना अपेक्षित था।

परिवहन आयुक्त कार्यालय में संधारित अखिल भारतीय पर्यटक अनुज्ञापत्रों के अभिलेखों की नमूना जॉच में पाया गया कि 213 अखिल भारतीय पर्यटक अनुज्ञापत्र धारक अप्रैल 2003 तथा मार्च 2005 के मध्य की अवधि से संबंधित 1,464 तिमाही विवरणियां प्रस्तुत करने में विफल रहे। विभाग द्वारा न तो अनुज्ञापत्रों को निरस्त/निलंबित करने की कोई कार्रवाई की गई और न ही चूककर्ता अनुज्ञापत्र धारकों पर 14.64 लाख रुपये का समझौता शुल्क आरोपित किया गया।

इसे इंगित किए जाने के बाद परिवहन आयुक्त ने बताया कि प्रकरणों का परीक्षण करने के उपरान्त समझौता शुल्क की वसूली की कार्रवाई की जाएगी। वसूली की कार्रवाई के संबंध में प्रगति की जानकारी प्रतीक्षित थी (जनवरी 2007)।

²¹

क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय सागर तथा अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय गुना

4.2.13 संविदा वाहन को अनियमित रूप से अनुज्ञापत्र प्रदान करने के कारण राजस्व हानि

अधिनियम की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों से वाहन कर भुगतान योग्य है। स्वामी द्वारा पट्टा अनुबंध पर किराये पर लिये गये वाहनों पर वाहन कर की दर 200 रुपये प्रति सीट प्रति माह थी, जबकि संविदा वाहन पर साधारण बस के लिए वाहनकर की दर 500 रुपये प्रति सीट प्रति माह थी।

2 कार्यालयों²² के अभिलेखों की नमूना जॉच में पाया गया कि चार कम्पनियों के आठ वाहनों को गलत तरीके से निजी सेवा वाहन माना गया था जबकि ये वाहन अवधि अप्रैल 2003 एवं मार्च 2005 के मध्य उन कम्पनियों के लिए पट्टे पर नहीं थे। ये वाहन निजी स्वामियों के थे और ये कम्पनियों के कर्मचारियों को ले जा रहे थे। इन वाहनों को संविदा वाहन के रूप में वर्गीकृत किया जाना था। गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप 10.42 लाख रुपये की राजस्व हानि हुई।

इसे इंगित किए जाने पर क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, रीवा तथा अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, छिंदबाड़ा ने बताया कि प्रकरणों के परीक्षण उपरान्त कार्रवाई की जाएगी। की गई कार्रवाई की आगामी प्रगति के संबंध में जानकारी प्रतीक्षित थी (जनवरी 2007)।

4.2.14 विभागीय आंकड़ों का कोषालय अभिलेखों से मिलान करने में विफलता

मध्य प्रदेश वित्तीय संहिता के प्रावधानों एवं परिवहन आयुक्त द्वारा जारी अनुदेशों (जून 1993) के अनुसार प्रत्येक राजस्व प्राधिकारी द्वारा कोषालय में प्रेषित की गयी धन राशि का एक पृथक लेखा संधारित किया जाना चाहिए। जालसाजी की सम्भावना को समाप्त करने के लिए चालान में धन राशि शब्दों के साथ—साथ अंकों में भी लिखी जाना चाहिए। यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि धन राशि शासकीय लेखे में वास्तविक रूप से जमा हो चुकी है। इसका कोषालय अभिलेखों से सत्यापन/मिलान किया जाना चाहिए। चालानों की प्रतियां कोषालय से प्राप्त होने पर संबंधित कर अनुभाग को भेजने के पूर्व उन्हें चालान पंजी में दर्ज किया जाना चाहिए।

6 कार्यालयों²³ के अभिलेखों की नमूना जॉच में पाया गया कि 15.41 लाख रुपये के वाहनकर के 286 चालान, दिसम्बर 2003 एवं फरवरी 2005 के मध्य की अवधि में वाहन स्वामियों द्वारा प्रस्तुत किये गये थे। संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा इन प्रेषणों का कोषालय अभिलेखों से मिलान नहीं

²² क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी रीवा एवं अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी छिंदबाड़ा

²³ 3 क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों भोपाल, इंदौर तथा रीवा, 2 अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों खण्डवा तथा खरगोन एवं जिला परिवहन कार्यालय भिण्ड

किया गया। तथापि, लेखापरीक्षा द्वारा इन चालानों का कोषालय अभिलेखों से सत्यापन करने में पाया गया कि ये चालान कोषालय में जमा होना नहीं पाए गए। प्रेषणों का कोषालय से मिलान करने में विभाग की विफलता के परिणामस्वरूप शासकीय राजस्व का संभावित दुर्विनियोजन हुआ।

लेखापरीक्षा में इसे इंगित किए जाने के बाद क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी इंदौर ने पुष्टि की कि रूपये 3.01 लाख रूपये के 78 चालान कोषालय में जमा होना नहीं पाए गए। तथापि, की गयी आगामी कार्रवाई के संबंध में लेखापरीक्षा को सूचित नहीं किया गया था। अन्य कार्यालयों से उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2007)।

4.2.15 शुल्कों की बढ़ी हुई दरें विलम्ब से लागू करने से शुल्क की कम वसूली होना

भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक मार्च 2001 के अनुसार विभिन्न श्रेणियों के वाहनों की पंजीयन फीस, उपयुक्तता फीस एवं बंधक फीस की बढ़ी हुई दरें दिनांक 28.3.2001 से प्रभावशील हुई।

8 कार्यालयों²⁴ के अभिलेखों की नमूना जॉच में पाया गया कि अवधि 28.3.2001 से 27.11.2001 के दौरान 14,359 वाहन पंजीकृत हुए, 2,344 प्रकरणों में उपयुक्तता प्रमाण पत्र जारी हुए एवं 1,319 वाहन बंधक रखे गए। इन प्रकरणों में फीस की वसूली संशोधित दरों के पूर्व की दरों पर की गई। इसके परिणामस्वरूप 13.83 लाख रूपये के कर की कम वसूली हुई।

इसे इंगित किए जाने के बाद शासन ने जुलाई 2006 में उत्तर दिया कि अधिसूचना विलम्ब से प्राप्त होने के कारण बढ़ी हुई फीस की वसूली समय पर नहीं हो सकी। तथापि, वसूली हेतु निर्देश जारी किये जा रहे थे।

4.2.16 गैर परिवहन वाहनों के नवीन पंजीयन संख्या पुनः जारी करने में असफल होना

मध्य प्रदेश मोटर यान नियम 1994 (एम.पी.एम.डी.आर.) के नियम 56 के उप नियम (1) में दिये गये प्रावधानों के तहत राज्य सरकार ने 1 जुलाई 1995 को अधिसूचना जारी की, कि जिन मोटर सायकल एवं मोटर कारों की पंजीयन संख्या मोटर यान अधिनियम 1939 के तहत आबंटित की गई थी, उन वाहनों को अधिसूचना जारी होने के दिनांक से आठ माह के भीतर बिना कोई फीस प्रभार लिये नया

²⁴

परिवहन आयुक्त कार्यालय, 3 क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों भोपाल, जबलपुर तथा उज्जैन एवं 4 अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों छिंदवाड़ा, खरगौन, सिवनी तथा शहड़ोल

लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियाँ) 31 मार्च 2006 को समाप्त वर्ष

पंजीयन क्रमांक आवंटित किया जाएगा। निर्धारित अवधि की समाप्ति के पश्चात विलम्ब शुल्क देय होगा।

परिवहन आयुक्त ने भी 22 जुलाई एवं 1 दिसम्बर 1995 को सभी पंजीयन प्राधिकारियों को उपरोक्त उल्लेखित कार्य निर्धारित आठ माह की अवधि के भीतर पूर्ण करने और यदि आवश्यक हो तो इस उद्देश्य के लिए कैम्प आयोजित करने का निर्देश दिया।

सरकार द्वारा जारी वर्ष 2004–2005 के लिए मध्य प्रदेश की मोटर परिवहन सांख्यकीय प्रतिवेदन के अनुसार 2,96,147 वाहन स्वामियों ने नये पंजीयन क्रमांक प्राप्त नहीं किए थे। विभाग ने भी ऐसी कोई पद्धति सुनिश्चित नहीं की थी कि ऐसे वाहन सड़क पर बिना नये नम्बर के नहीं चलाए जा सके नवीन पंजीयन क्रमांक के कार्य की विलम्ब फीस 2.96 करोड़ रुपये के राजस्व की वसूली नहीं हो सकी।

इसे इंगित किए जाने पर जुलाई 2006 में शासन ने बताया कि यदि इन वाहनों में से कोई वाहन कार्यालय में प्रस्तुत किया जाएगा तो इसके कर की वसूली विलम्ब शुल्क के साथ की जाएगी। इस संबंध में पूर्व में ही अनुदेश जारी किये जा चुके हैं। वसूली की आगामी प्रगति प्रतीक्षित है (जनवरी 2007)।

4.2.17 गैर परिवहन वाहनों के पंजीयन प्रमाण पत्रों का नवीनीकरण न होने से शुल्क की वसूली न होना

मोटर यान अधिनियम एवं नियमों में प्रावधान है कि परिवहन वाहनों के अलावा अन्य वाहनों का पंजीयन 15 वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा। मोटर यान नियमों के नियम 81 में प्रावधान है कि प्रत्येक मोटर सायकल के लिए 60 रुपये एवं प्रत्येक हल्के मोटर वाहन के लिए 200 रुपये के निर्धारित शुल्क का भुगतान करने पर पंजीयन का नवीनीकरण किया जाएगा। चूक होने की स्थिति में प्रत्येक प्रकरण में, विलम्ब शुल्क रुपये 100 भी आरोपणीय है।

5 कार्यालयों²⁵ के अभिलेखों की नमूना जॉच में पाया गया कि अवधि जुलाई 1989 एवं मार्च 1990 के मध्य परिवहन वाहनों के अलावा 8,380 मोटर यान पंजीकृत हुए जिनके पंजीयन प्रमाण पत्र समाप्त हो चुके थे। ये वाहन अन्य राज्यों/क्षेत्रों को स्थानांतरित हो गये थे या अप्रचालित घोषित थे ऐसा कुछ भी अभिलेखाबद्ध नहीं पाया गया। विभाग ने ऐसी कोई भी पद्धति निर्धारित नहीं की जिससे यह सुनिश्चित हो कि ऐसे वाहनों के स्वामियों द्वारा पंजीयन प्रमाण पत्र का नवीनीकरण करा लिया गया

²⁵

4 क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों—भोपाल, इंदौर जबलपुर तथा उज्जैन एवं अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय खण्डवा

था। पंजीयन प्रमाण पत्रों का नवीनीकरण न होने के परिणामस्वरूप राजस्व हानि 14.57 रुपये लाख की राजस्व हानि हुई।

इसे इंगित किये जाने के बाद संबंधित अधिकारियों ने बताया कि प्रकरणों की जॉच कर कार्रवाई की जाएगी। की गई कार्रवाई की आगामी प्रगति के संबंध में जानकारी प्रतीक्षित थी (जनवरी 2007)।

4.2.18 अखिल भारतीय पर्यटक अनुज्ञापत्रों पर संचालित मेक्सीकेब से जीवन काल कर की शेष राशि एवं शास्ति की वसूली करने में विभाग की विफलता

अधिनियम के अन्तर्गत राज्य में उपयोग में लाये गये या उपयोग के लिये रखे गये अखिल भारतीय पर्यटक अनुज्ञापत्रों पर संचालित प्रत्येक मेक्सीकेब पर कर का आरोपण 100 रुपये प्रति सीट प्रति माह की दर से अथवा नये वाहन के मूल्य के 10 प्रतिशत की दर से एक मुश्त कर आरोपित किया जाएगा जो एक वर्ष में दो समान किश्तों में वसूली योग्य है। अधिनियम की धारा 13 के परन्तुक में पुनः यह प्रतिपादित किया गया है कि यदि जीवन काल कर का भुगतान नहीं किया गया है तो वाहन स्वामी शोध्य कर के भुगतान के अतिरिक्त प्रत्येक वर्ष या उसके भाग के व्यतिक्रम के लिये जीवन काल कर के एक दशमांश की दर से किन्तु जीवन काल कर से अनधिक शास्ति के लिये दायी होगा।

5 कार्यालयों²⁶ के अभिलेखों की नमूना जांच में यह पाया गया कि अक्टूबर 2002 एवं अप्रैल 2004 के मध्य नवीन रूप से पंजीकृत 125 मेक्सीकेब के अखिल भारतीय पर्यटक अनुज्ञापत्र धारकों द्वारा नवीन वाहन के मूल्य का पॉच प्रतिशत एक मुश्त कर के रूप में भुगतान किया गया था। मार्च 2003 एवं मार्च 2005 के मध्य देय कर की द्वितीय किश्त का भुगतान न तो वाहन स्वामियों द्वारा किया गया और न ही कराधान प्राधिकारियों द्वारा इसकी मांग की गई थी। अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने में कराधान प्राधिकारियों के स्तर पर अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने में हुई विफलता के परिणामस्वरूप जीवन काल कर का शास्ति सहित 39.49 लाख रुपये का कम आरोपण हुआ।

इसे इंगित किये जाने के बाद विभाग द्वारा 15 प्रकरणों में लेखापरीक्षा आपत्तियां स्वीकार की गई जिनमें से 2 प्रकरणों में कर एवं शास्ति सहित 0.60 लाख रुपये की क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, सागर द्वारा वसूली की गयी थी तथा 13 प्रकरणों में मांग सृजित की गई। अन्य कार्यालयों से उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2007)।

²⁶

2 क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी रीवा तथा सागर, 2 अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी खण्डवा तथा शाहडोल एवं जिला परिवहन अधिकारी रायसेन

4.2.19 वाहन कर के विलम्बित भुगतान पर शास्ति का आरोपण करने में विभाग की विफलता

अधिनियम के अनुसार यदि किसी मोटर वाहन पर देय कर का भुगतान निर्धारित समय में नहीं किया जाता है तो वाहन स्वामी देयकर के अतिरिक्त 2 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से 3 माह तक एवं 3 माह के पश्चात 4 प्रतिशत की दर से कर की असंदत्त रकम पर, किन्तु कर की अंसंदत्त रकम के दुगुने से अनधिक शास्ति के लिये दायी होगा। नियम में यह भी प्रावधान है कि वाहन स्वामी द्वारा शास्ति का भुगतान देय कर की राशि के साथ ही किया जाएगा।

11 कार्यालयों²⁷ के अभिलेखों की नमूना जांच में यह पाया गया कि अप्रैल 2001 एवं मार्च 2005 के मध्य की अवधि के लिए 121 मोटर वाहनों के वाहन कर का भुगतान वाहन स्वामियों द्वारा 1 से 32 माह के विलम्ब से किया गया। वाहन स्वामियों द्वारा न तो कर के साथ शास्ति का भुगतान किया गया और न ही कराधान प्राधिकारियों द्वारा इसका आरोपण / वसूली ही की गई। अधिनियमों एवं नियमों के प्रावधानों के अनुपालन करने में कराधान प्राधिकारियों की विफलता के परिणामस्वरूप 13.95 लाख रुपये की शास्ति का अनारोपण हुआ।

इसे इंगित किये जाने के बाद, विभाग द्वारा 12 प्रकरणों में लेखापरीक्षा आपत्तियां स्वीकार की गई जिसमें से एक प्रकरण में 0.09 लाख रुपये की शास्ति की वसूली क्षे.प.अ.भोपाल द्वारा की गई जबकि 11 प्रकरणों में मांग सृजित की गयी थी। अन्य कार्यालयों से उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2007)।

4.2.20 जप्तशुदा वाहनों की नीलामी में विफलता

भू-राजस्व संहिता 1959 के प्रावधानों के अनुसार राजस्व प्राधिकारी देय राशि की वसूली चल सम्पत्ति की नीलामी कर भू-राजस्व के बकाया के रूप में कर सकेगा।

3 कार्यालयों²⁸ के अभिलेखों की नमूना जांच में यह पाया गया कि विभाग द्वारा जुलाई 2002 एवं दिसम्बर 2005 की अवधि के मध्य 7 लोक सेवा वाहनों को उन पर देय राशि बकाया होने के कारण जप्त कर लिया गया था। तथापि, कराधान प्राधिकारियों द्वारा इन वाहनों की नीलामी के लिये कोई भी कार्रवाई प्रारम्भ नहीं की गई। इसके परिणामस्वरूप 18.76 लाख रुपये की बकाया देय राशि की वसूली नहीं हुई।

²⁷

4 शेत्रीय परिवहन अधिकारी भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर तथा उज्जैन, 5 अतिरिक्त शेत्रीय परिवहन अधिकारी छिन्दबाड़ा, खण्डवा, खरगोन, सतना तथा सिवनी एवं 2 जिला परिवहन अधिकारी भिण्ड तथा रासयेन

²⁸

3 अतिरिक्त शेत्रीय परिवहन अधिकारी बड़वानी, छिन्दबाड़ा तथा खरगोन

इसे इंगित किये जाने के बाद कराधान प्राधिकारियों ने बताया कि सत्यापन के पश्चात् कार्रवाई की जाएगी। की गई कार्रवाई की आगामी प्रगति के संबंध में जानकारी प्रतीक्षित थी (जनवरी 2007)।

4.2.21 निष्कर्ष

वाहन स्वामियों द्वारा प्रस्तुत घोषणा पत्रों की संवीक्षा की पद्धति का अनुसरण करने में विभाग की विफलता, अधिनियमों/नियमों के प्रावधानों एवं विभाग द्वारा जारी किये गये अनुदेशों का पालन न करने एवं असंग्रहीत देय राशियों की वसूली के संबंध में पर्याप्त रूप से नियमित परिवेक्षण न किए जाने के फलस्वरूप 45.96 करोड़ रुपये के शासकीय राजस्व की वसूली नहीं हुई/कम वसूली हुई/हानि हुई।

प्रकरण परिवहन आयुक्त तथा शासन को प्रतिवेदित किया गया (मई 2005 तथा अप्रैल 2006 के मध्य) उनका उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2007)।

प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग से लेखा परीक्षा समीक्षा समिति की बैठक में भाग लेने हेतु निवेदन किया गया था, किन्तु वह समिलित नहीं हुए थे।

लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियाँ) 31 मार्च 2006 को समाप्त वर्ष

अध्याय –5 अन्य कर प्राप्तियाँ

5.1 लेखा परीक्षा के परिणाम

मुद्रांक शुल्क, पंजीयन फीस, मनोरंजन शुल्क तथा भू-राजस्व के निर्धारण एवं संग्रहण से संबंधित अभिलेखों की वर्ष 2005–06 के दौरान की गई नमूना जॉच में 1,46,137 प्रकरणों में 406.02 करोड़ रुपये के राजस्व का अनिर्धारण/अवनिर्धारण एवं मांग जारी न करने के प्रकरण दृष्टिगत हुए जिन्हें मोटे तौर पर निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है : –

(करोड़ रुपये में)			
क्रम संख्या	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि
क :	मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस		
1	सहकारी समितियों के पक्ष में निष्पादित विलेखों में हानि	56	1.16
2	प्रकरणों के निराकरण में असाधारण विलम्ब	4,375	14.18
3	सम्पत्ति के कम मूल्यांकन के कारण मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस की कम वसूली	1,750	1.76
4	मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस के भुगतान में गलत छूट	1,483	1.03
5	विलेखों के गलत वर्गीकरण के कारण हानि	122	1.66
6.	अन्य	2,316	2.87
	योग	10,102	22.66

लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियाँ) 31 मार्च 2006 को समाप्त वर्ष

ब – मनोरंजन शुल्क				
1	मनोरंजन शुल्क की वसूली न होना	228	0.86	
2	टिकिटों का लेखांकन न करने के कारण मनोरंजन शुल्क का अपवंचन	156	0.03	
3	वी.सी.आर. तथा वी.सी.पी. के संचालकों द्वारा मनोरंजन शुल्क जमा न किया जाना/कम जमा किया जाना	528	0.16	
4	मनोरंजन कर के भुगतान से अनियमित छूट	34	0.02	
5	अन्य	150	0.29	
	योग	1,096	1.36	
ग: भू – राजस्व				
1	राजस्व वसूली प्रकरणों का पंजीयन न किया जाना	5,838	66.48	
2	प्रक्रिया व्यय की वसूली न होना	5,057	27.32	
3	व्यपवर्तन लगान, प्रब्याजि एवं अर्थदण्ड/शास्ति की मांग सृजित न करना	22,081	7.17	
4	कुर्क सम्पत्तियों के निवर्तन न करने से राजस्व हानि	60	0.25	
5	पंचायत उपकर का आरोपण न करना	628	0.87	
6	अन्य	1,01,275	279.91	
	योग	1,34,939	382.00	
	महायोग	1,46,137	406.02	

वर्ष 2005–06 के दौरान विभाग द्वारा 1,02,525 प्रकरणों में अंतर्निहित 340.55 करोड़ रुपये के कर का अवनिधारण स्वीकार किया जिनमें से 339.17 करोड़ रुपये के 101622 प्रकरण वर्ष 2005–06 के दौरान इंगित किए गए तथा शेष प्रकरण पूर्ववर्ती वर्षों से संबंधित हैं। 664 प्रकरणों में 0.77 करोड़ रुपये की राशि की वसूली हो चुकी थी।

कुछ उदाहरणात्मक प्रकरण जिनमें 7.58 करोड़ रुपये अंतर्निहित हैं, इस अध्याय में उल्लिखित हैं :—

अ— मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस

5.2 सहकारी गृह निर्माण समितियों द्वारा/ पक्ष में निष्पादित विलेखों में राजस्व हानि

शासन की 24 अक्टूबर 1980 की अधिसूचना के अनुसार, गृह निर्माण प्रयोजन के लिये भूमि अधिग्रहण हेतु प्राथमिक सहकारी गृह निर्माण समितियों (समितियों) के पक्ष में निष्पादित विलेख, मुद्रांक शुल्क के भुगतान से मुक्त हैं। विभाग ने अगस्त 2001 में ऐसे सभी प्रकरणों की समीक्षा करने के निर्देश दिये थे जिनमें समितियों को हस्तांतरण विलेखों पर मुद्रांक शुल्क के भुगतान से मुक्त किया गया था लेकिन बाद में भूमि का उपयोग समिति के सदस्यों को गृह निर्माण के बजाय किसी अन्य प्रयोजन के लिए किया गया था। ऐसे सभी प्रकरणों में, मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस जिसकी कि भूमि क्रय करते समय छूट प्रदान की गई थी, वसूल की जानी थी।

पांच उप पंजीयक कार्यालयों¹ के अभिलेखों की जून 2004 एवं दिसम्बर 2005 के मध्य नमूना जॉच में समितियों द्वारा/के पक्ष में निष्पादित 68 विलेखों में 79.36 लाख रुपये की राजस्व हानि निम्नानुसार पाई गई:—

5.2.1 64.12 लाख रुपये मूल्य के भूमि क्रय के चार विलेखों² में गृह निर्माण प्रयोजन उल्लिखित नहीं था, फिर भी भूमि क्रय का प्रयोजन गृह निर्माण मानकर 7.19 लाख रुपये के मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस के भुगतान से छूट प्रदान की गई।

5.2.2 जुलाई 1982 से मार्च 2004 के मध्य 64 विलेखों के माध्यम से गृह निर्माण प्रयोजन के लिए क्रय की गई 6.62 करोड़ रुपये मूल्य की भूमि का उपयोग समिति के सदस्यों के गृह निर्माण प्रयोजनों हेतु नहीं किया गया और बाद में अप्रैल 2003 से मार्च 2005 के मध्य समितियों के सदस्यों से अन्य व्यक्तियों/भवन निर्माताओं/ निजी व्यक्तियों को दी गई। अतः भूमि क्रय करते समय प्रदान की गई 72.17 लाख रुपये स्टाम्प शुल्क एवं पंजीयन फीस की छूट वसूली योग्य हो गई थी। फिर भी, इन राशियों की वसूली हेतु कार्रवाई नहीं की गई।

प्रकरण पंजीयन महानिरीक्षक (आई.जी.आर.) एवं शासन को सितम्बर 2005 एवं अप्रैल 2006 के मध्य प्रतिवेदित किया गया। पंजीयन महानिरीक्षक ने जनवरी एवं जुलाई 2006 में सूचित किया कि

¹ भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, उज्जैन

² जबलपुर के तीन एवं इंदौर का एक विलेख

10 प्रकरण निर्णित हो गए हैं एवं 58 प्रकरणों में निराकरण किया जा रहा है। वसूली एवं प्रकरणों के निराकरण के संबंध में अंतिम उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 2007)।

5.3 मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस की प्रतिपूर्ति न होना

शासन की अधिसूचना दिनांक 1 सितम्बर 1989 के अनुसार, नर्मदा घाटी विकास परियोजनाओं (एन.वी.डी.पी.) के कारण विस्थापित परिवारों के सदस्य के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु उनके पक्ष में निष्पादित पट्टा/विक्रय विलेखों पर आरोपणीय मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस की प्रतिपूर्ति नर्मदा घाटी विकास प्राधिकारण (एन.वी.डी.ए.) द्वारा विलेखों के पंजीयन दिनांक से एक माह के भीतर की जानी थी।

सात उप पंजीयक कार्यालयों³ के अभिलेखों की मार्च एवं दिसम्बर 2005 के मध्य नमूना जॉच में पाया गया कि एन.वी.डी.पी. के कारण विस्थापित व्यक्तियों के पक्ष में माह अप्रैल 2002 से मार्च 2005 के दौरान 190 विक्रय विलेख निष्पादित किए गए। तथापि 46.97 लाख रुपये के मुद्रांक शुल्क तथा पंजीयन फीस की प्रतिपूर्ति यद्यपि नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण द्वारा शासन को की जाना थी, किन्तु प्रतिपूर्ति नहीं की गई। उप पंजीयकों द्वारा एन.वी.डी.ए. के विरुद्ध मांग सृजित नहीं की गई। इसके परिणामस्वरूप शासन को देय राशियों की उक्त सीमा तक प्राप्ति नहीं हुई।

इसे इंगित किये जाने के बाद महानिरीक्षक पंजीयन ने जनवरी एवं जुलाई 2006 के मध्य सूचित किया कि 149 प्रकरणों में 37.33 लाख रुपये की राशि की प्रतिपूर्ति की जा चुकी है। अंतिम उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (जनवरी 2007)।

प्रकरण शासन को नवम्बर 2005 तथा अप्रैल 2006 के मध्य प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (जनवरी 2007)।

5.4 कम मूल्यांकन/गलत दर लागू करने के कारण मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का कम आरोपण

भारतीय मुद्रांक अधिनियम 1899 एवं इसके तहत बनाये गये नियमों के अनुसार सम्पत्ति के बाजार मूल्य का हस्तांतरण विलेख में मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस के अवधारण हेतु, उल्लेख किया जाना अपेक्षित है। प्रत्येक लिखत पर उसकी प्रकृति एवं सम्पत्ति के मूल्य के आधार पर अधिनियम में विहित दरों के अनुसार स्टाम्प शुल्क देय है। जिन प्रकरणों में बाजार मूल्य, बाजार मूल्य मार्गदर्शिका नियमों के

³

अलीजापुर (झाबुआ), भीकनगांव (खरगोन), गुना, होशंगाबाद, इंदौर, खण्डवा एवं उज्जैन

अनुसार प्राप्त मूल्य से कम पाया जाता है, उप पंजीयक उन्हें पंजीयन के पूर्व कलेक्टर को प्रेषित करने के लिए उत्तरदायी है।

तीन उप पंजीयक कार्यालयों⁴ के अभिलेखों की अप्रैल एवं अक्टूबर 2005 के मध्य नमूना जॉच में पाया गया कि मई 2003 एवं मार्च 2006 के मध्य पंजीबद्ध हुए, बिक्री/उपहार विलेख के 10 दस्तावेजों में या तो संपत्ति का बाजार मूल्य का अवमूल्यांकन हुआ अथवा उपहार विलेख को सहभागिता विलेख मानकर कम दरें लागू की गई। उप पंजीयक ने सम्पत्ति के बाजार मूल्य एवं आरोपणीय शुल्क⁵ के निर्धारण हेतु प्रकरणों को कलेक्टर को प्रेषित नहीं किया। सम्पत्तियों के कम मूल्यांकन एवं गलत दर लागू करने के कारण 5.41 लाख रुपये के मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयक फीस का कम आरोपण हुआ।

इसे इंगित करने के बाद महानिरीक्षक पंजीयन ने जुलाई 2006 में सूचित किया कि छ: प्रकरणों का निराकरण किया जा चुका है तथा दो प्रकरणों में रुपये 0.78 लाख की वसूली की गई, जबकि चार प्रकरणों में कार्रवाई चल रही थी।

प्रकरण शासन को नवम्बर 2005 तथा फरवरी 2006 के मध्य प्रतिवेदित किया गया; अंतिम उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (जनवरी 2007)।

⁴ भोपाल, जबलपुर, सिवनी, मालवा (होशंगाबाद)

⁵ सहभागिता विलेख—एक प्रतिशत उपहार/विक्रय विलेख आठ प्रतिशत (महिला क्रेता के शेयर पर एक प्रतिशत कम)

ब— मनोरंजन शुल्क

5.5 सिनेमा घरों पर मनोरंजन शुल्क का अनारोपण

मध्य प्रदेश मनोरंजन शुल्क तथा विज्ञापन कर अधिनियम (एम.पी.ई.डी.ए.) 1936 में प्रावधान है कि सिनेमा मालिक द्वारा संग्रहीत की गई विहित राशि⁶ पर मनोरंजन शुल्क आरोपित नहीं किया जायेगा। परन्तु शर्त यह है कि सिनेमा हॉल में दर्शकों को पर्याप्त सुविधाएं प्रदान की गई हों। दर्शकों को उपलब्ध करायी गई सुविधाओं का विवरण सिनेमा मालिक द्वारा संबंधित कलेक्टर को प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित था और यदि कलेक्टर उपलब्ध करायी गई सुविधाओं से संतुष्ट नहीं है तो वह मनोरंजन शुल्क, जिसकी पूर्व में छूट प्रदान की गई है, को वसूल करने हेतु आदेश दे सकेगा।

चार जिला आबकारी कार्यालयों⁷ के अभिलेखों की जून 2005 एवं मार्च 2006 के मध्य नमूना जॉच में पाया गया कि 15 सिनेमा घर मालिकों ने अप्रैल 2002 से जनवरी 2006 के मध्य सिनेमा हॉल में प्रवेश लेने वाले व्यक्तियों को सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु टिकिट विक्रय⁸ से 38.69 लाख रुपये संग्रहीत किये। सिनेमा घर मालिकों द्वारा सिनेमाहाल में उपलब्ध कराई गई सुविधाओं का विवरण न तो कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किया गया और न ही कलेक्टर द्वारा इन विवरणों को माँगा गया। इस प्रकार 38.69 लाख रुपये पर 11.49 लाख रुपये मनोरंजन शुल्क यद्यपि आरोपणीय था, किन्तु आरोपित नहीं किया गया।

इसे इंगित किये जाने के बाद जिला आबकारी अधिकारियों ने जून 2005 एवं मार्च 2006 के मध्य बताया कि समुचित जॉच के पश्चात आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। आगामी प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 2007)।

प्रकरण अगस्त 2005 एवं अप्रैल 2006 के मध्य आबकारी आयुक्त एवं शासन को प्रतिवेदित किया गया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (जनवरी 2007)।

⁶ 1 मई 2003 से 2 रुपये प्रति टिकिट, इसके पूर्व 1 रुपया प्रति टिकिट

⁷ धार, रत्तलाम, सागर, विदिशा

⁸ अप्रैल 2002 से अप्रैल 2003 तक 2,20,246 टिकिटों की बिक्री पर दर 1 रु. प्रति टिकिट और मई 2003 से जनवरी 2006 तक 18,24,209 टिकिटों की बिक्री पर दर 2 रु. प्रति टिकिट

5.6 केबल ऑपरेटरों से मनोरंजन शुल्क की वसूली न करना

एम.पी.ई.डी.ए. अधिनियम एवं मध्य प्रदेश केबल टेलीविजन नेटवर्क (प्रदर्शन) नियम 1999 में प्रावधान है कि केबल सेवा के माध्यम से मनोरंजन उपलब्ध कराने वाला केबल टेलीविजन नेटवर्क तथा होटल या लॉज का प्रत्येक मालिक विहित दरों से मनोरंजन शुल्क का भुगतान करेगा।

सात जिला आबकारी कार्यालयों⁹ के अभिलेखों की फरवरी 2005 एवं मार्च 2006 के मध्य नमूना जॉच में पाया गया कि केबल सेवा के माध्यम से अप्रैल 2001 से जनवरी 2006 के दौरान मनोरंजन उपलब्ध कराने वाले 222 केबल ऑपरेटरों एवं 8 होटलों या लॉजिंग हाउस के मालिकों से 14.95 लाख रुपये का मनोरंजन शुल्क विभाग द्वारा वसूल नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप 14.95 लाख रुपये मनोरंजन शुल्क की प्राप्ति नहीं हुई।

इसे इंगित किये जाने के बाद डी.ई.ओ. बैतूल एवं सहायक आयुक्त आबकारी (ए.ई.सी.) सागर ने जून एवं अक्टूबर 2005 के मध्य बताया कि जॉच के उपरांत वसूली की कार्रवाई से लेखापरीक्षा को अवगत कराया जावेगा, वहीं शेष डी.ई.ओ. ने फरवरी 2005 एवं मार्च 2006 के मध्य बताया कि देय राशि की वसूली के पश्चात लेखापरीक्षा को अवगत कराया जाएगा। प्रकरणों में आगामी प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुए थे (जनवरी 2007)।

प्रकरण अप्रैल 2005 एवं मार्च 2006 के मध्य आबकारी आयुक्त एवं शासन को प्रतिवेदित किया गया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (जनवरी 2007)।

5.7 विज्ञापन कर का अनारोपण/वसूली न होना

एम.पी.ई.डी.ए. अधिनियम में प्रावधान है कि मनोरंजन का प्रत्येक संचालक मनोरंजन के दौरान प्रदर्शित किये गये प्रत्येक विज्ञापन पर 50 रुपये प्रति माह से अनधिक की दर से विज्ञापन कर का भुगतान करेगा।

पांच जिला आबकारी कार्यालयों¹⁰ के अभिलेखों की जुलाई 2005 एवं मार्च 2006 के मध्य नमूना जॉच में पाया गया कि 403 केबल ऑपरेटरों एवं 5 वीडियो ऑपरेटरों द्वारा अप्रैल 2002 से जनवरी 2006 तक की अवधि से संबंधित विज्ञापन कर का न तो भुगतान किया गया और न ही उनसे वसूली की गयी। इसके परिणामस्वरूप 5.60 लाख रुपये के विज्ञापन कर का अनारोपण हुआ/ वसूली नहीं हुई।

⁹ बैतूल, बुरहानपुर, दमोह, देवास, धार, रत्नाम एवं सागर

¹⁰ धार, राजगढ़, सीहोर, शिवपुरी एवं उज्जैन

इसे इंगित किये जाने के बाद डी.ई.ओ. धार ने मार्च 2006 में बताया कि आवश्यक कार्रवाई की जाएगी, आबकारी अधिकारी, राजगढ़ ने नवम्बर 2005 में बताया कि विज्ञापन कर तब ही देय था जब विज्ञापन का प्रदर्शन सिनेमा के पर्दे पर हुआ हो, आबकारी अधिकारी, उज्जैन ने अगस्त 2005 में बताया कि म.प्र. केबल नियम 1999 में विज्ञापन कर की वसूली का प्रावधान नहीं है वहीं आबकारी अधिकारी सीहोर एवं शिवपुरी ने जुलाई 2005 में बताया कि उच्च प्राधिकारियों से अनुदेश प्राप्त करने के पश्चात उचित कार्रवाई की जाएगी । उत्तर मान्य नहीं हैं क्योंकि विज्ञापन कर, म.प्र. केबल नियम 1999 के तहत विनियमित नहीं होता है । सिनेमा स्क्रीन अथवा अन्य किसी स्थान पर प्रदर्शित प्रत्येक विज्ञापनों पर करारोपण संबंधी प्रावधान पूर्व से ही अधिनियम में हैं । आगामी उत्तर प्रतीक्षित था (अक्टूबर 2006)

प्रकरण अप्रैल 2006 में आबकारी आयुक्त एवं शासन को प्रतिवेदित किया गया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (जनवरी 2007) ।

ग—भू राजस्व

5.8 भूमि के प्रव्याजि एवं भू—भाटक की गलत दर लागू किए जाने के कारण राजस्व की हानि

राजस्व पुस्तक परिपत्र के प्रावधानों के अनुसार, शासकीय भूमि का निवर्तन पट्टा प्रदान करने सहित विभिन्न तरीकों से किया जा सकता है । भूमि के आवंटन से संबंधित आवेदन पत्र संबंधित जिले के कलेक्टर के माध्यम से शासन को प्रस्तुत किये जाने चाहिए । आवेदन पत्र प्राप्त होने पर कलेक्टर राजस्व पुस्तक परिपत्र के प्रावधानों के अनुसार समय—समय पर शासन द्वारा निर्धारित मानक दरों पर भूमि के प्रव्याजि एवं भू—भाटक का निर्धारण कर इसे शासन को अग्रेषित करेगा ।

जुलाई 2002 में 8000 वर्ग फीट शासकीय भूमि अक्षय हर्ट हॉस्पिटल भोपाल को आबंटित की गई थी । अभिलेखों की नमूना जॉच में पता चला कि शासन द्वारा अनुमोदित प्रचलित मानक दरों के अनुसार, भूमि की प्रव्याजि एवं वार्षिक भू—भाटक क्रमशः 83.64 लाख रुपये तथा 6.27 लाख रुपये संगणित हुआ, तथापि कलेक्ट्रेट द्वारा इसका गलत निर्धारण कर 24 लाख रुपये की प्रव्याजि तथा 0.60 लाख रुपये के भू—भाटक पर भूमि का आवंटन किया गया । इसके परिणामस्वरूप 59.64 लाख रुपये की प्रव्याजि तथा 5.67 लाख रुपये के भू—भाटक के रूप में राजस्व हानि हुई ।

इसे इंगित किए जाने के बाद शासन ने नवम्बर 2006 में बताया कि प्रकरण की समीक्षा करने के लिए अनुदेश जारी किए जाएंगे ।

5.9 प्रव्याजि एवं भू-भाटक की राशि में बिना किसी कारण का उल्लेख किए कमी करने के कारण राजस्व की हानि

सितम्बर 2005 तथा जनवरी 2006 के मध्य कलेक्ट्रेट भोपाल तथा नजूल अधिकारी राजधानी परियोजना भोपाल के अभिलेखों की नमूना जॉच में पता चला कि शासन द्वारा कलेक्टर के प्रस्ताव के विरुद्ध बिना किसी कारण का उल्लेख किए प्रव्याजि एवं वार्षिक भू-भाटक की राशि में कमी की गई। इसके परिणामस्वरूप दो प्रकरणों में प्रव्याजि के रूप में 66.26 लाख रुपये एवं भू-भाटक की आवर्ती वार्षिक हानि के रूप में 3.31 लाख रुपये के राजस्व की हानि हुई जिसका विवरण निम्नानुसार है :

शासन द्वारा जनवरी 2002 में भोपाल की एक गृह निर्माण सहकारी समिति को भूमि का आवंटन किया गया। कलेक्ट्रेट द्वारा मानक दरों के अनुसार 78.41 लाख रुपये की प्रव्याजि एवं 3.92 लाख रुपये के भू-भाटक का निर्धारण किया गया। लेकिन शासन द्वारा उपरोक्त संबंध में बिना किसी कारण का उल्लेख किए प्रव्याजि एवं वार्षिक भू-भाटक की राशि में कमी कर कमशः 36.15 लाख रुपये तथा 1.81 लाख रुपये किया गया।

नजूल अधिकारी, राजधानी परियोजना, भोपाल के एक अन्य प्रकरण में एक ट्रस्ट को बिना किसी प्रव्याजि के तथा मात्र 1 रुपये प्रति वर्ष के भू-भाटक पर 6000 वर्ग फीट शासकीय भूमि का आवंटन किया गया। बिना प्रव्याजि तथा घटे हुए भू-भाटक पर भूमि के आवंटन के संबंध में किसी कारण का उल्लेख नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप प्रव्याजि एवं वार्षिक भू-भाटक के रूप में कमशः 25.20 लाख रुपये तथा 1.20 लाख रुपये के राजस्व की हानि हुई।

इसे इंगित किए जाने के बाद शासन ने नवम्बर 2006 में बताया कि प्रकरणों की समीक्षा करने के लिए अनुदेश जारी किए जाएंगे।

5.10 पट्टा विलेख का निष्पादन एवं पंजीयन न किया जाना

राजस्व पुस्तक परिपत्र की कंडिका 28 के प्रावधानों के अनुसार पट्टाधारक द्वारा एक तर्कसंगत अवधि में उसको आवंटित की गई भूमि के संबंध में पट्टा विलेख का निष्पादन एवं पंजीयन कराया जाना अपेक्षित है।

पट्टा विलेखों/प्रलेखों पर भारतीय मुद्रांक अधिनियम 1899 तथा पंजीयन अधिनियम, 1908 के अंतर्गत कमशः मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस आरोपणीय है।

सितम्बर 2005 तथा मार्च 2006 के मध्य तीन नजूल अधिकारियों¹¹ के अभिलेखों की नमूना जॉच में पता चला कि जनवरी 2002 तथा जून 2005 के मध्य पाँच पट्टाधारकों के पक्ष में निष्पादित किए गए 843.89 लाख रुपये मूल्य के पट्टा विलेखों का पंजीयन नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप 70.89 लाख रुपये के मुद्रांक शुल्क तथा 50.63 लाख रुपये की पंजीयन फीस की वसूली नहीं हुई।

इसे इंगित किए जाने के बाद शासन में नवम्बर 2006 में उत्तर दिया कि प्रकरणों की समीक्षा करने के लिए अनुदेश जारी किए जाएंगे।

5.11 नजूल भूमि पर भवन के बटवारा/उपहार विलेख पर मुद्रांक शुल्क का अनारोपण

भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 में प्रावधान है कि ऐसा कोई भी विलेख, जिसके माध्यम से किसी सम्पत्ति के सहभागीदार सम्पत्ति का विभाजन करते हैं अथवा सम्पत्ति का विभाजन करने पर सहमत होते हैं अथवा विभाजन करने के लिए अथवा सम्पत्ति को निर्मक्त अथवा उपहार के रूप में देने के लिये राजस्व प्राधिकारी आदेश पारित करते हैं, ऐसे विलेखों पर पंजीयन फीस तथा मुद्रांक शुल्क आरोपणीय है।

सितम्बर 2005 तथा जनवरी 2006 के मध्य चार कलेकट्रेटों¹² के अभिलेखों की नमूना जॉच में पता चला कि पाँच प्रकरणों में फरवरी 2002 से नवम्बर 2005 के मध्य राजस्व प्राधिकारियों द्वारा विभाजन, उपहार, नजूल भूमि पर¹³ भवनों की निर्मुक्ति एवं नामान्तरण के संबंध में आदेश जारी किए गए थे लेकिन मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस आरोपित नहीं की गई थी। इसके परिणामस्वरूप 29.86 लाख रुपये के मुद्रांक शुल्क तथा 1.25 लाख रुपये की पंजीयन फीस की हानि हुई।

इसे इंगित किए जाने के बाद शासन ने नवम्बर 2006 में बताया कि प्रकरणों की समीक्षा की जावेगी, तदनुसार कार्रवाई की जाएगी।

5.12 नजूल भू—खण्डों के पट्टों का नवीनीकरण न होना

मध्य प्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 के अंतर्गत जारी जनवरी 2000 के अनुदेशों के अनुसार, पट्टादारों के अधिपत्य (कब्जे) की भूमि की पट्टा अवधि की समाप्ति के पश्चात उसका नवीनीकरण किया जाना

¹¹ भोपाल, नीमच, रीवा

¹² भोपाल, होशंगाबाद, कटनी तथारीवा

¹³ नजूल भूमि वह भूमि है जो शासन की संपत्ति है।

अपेक्षित है। इसके लिए पट्टादरों को काफी पहले से सूचित कर पट्टों के नवीनीकरण हेतु कार्रवाई प्रारम्भ की जानी अपेक्षित है। संशोधित निर्धारण उस वर्ष के अगले वित्तीय वर्ष से लागू होता है जिसमें निर्धारण किया गया है।

सितम्बर 2005 तथा जनवरी 2006 के मध्य नौं नजूल कार्यालयों¹⁴ में अभिलेखों की नमूना में पता चला कि वर्ष 1951–52 से 1974–75 के मध्य आवंटित, किए गए 19,851 पट्टों का 30 वर्ष की अवधि व्यतीत हो जाने के बाद 1981–82 से 2004–05 के मध्य नवीनीकरण किया जाना था। लेकिन विभाग द्वारा पट्टा अवधि की समाप्ति के पश्चात पट्टों के नवीनीकरण हेतु कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके परिणामस्वरूप 2001–02 से 2005–06 की अवधि में 3.08 करोड़ रुपये के राजस्व की हानि हुई।

इसे इंति किए जाने के बाद, शासन ने नवम्बर 2006 में बताया कि प्रकरणों की समीक्षा हेतु अनुदेश जारी किए जाएंगे।

5.13 व्यपवर्तन लगान एवं प्रव्याजि का कम निर्धारण

मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता में प्रावधान है कि जब कोई भूमि उस प्रयोजन, जिसके लिए उसका पूर्व में निर्धारण किया गया था, के बजाय किसी अन्य प्रयोजन के लिए व्यपवर्तित की जाती है तो जिस प्रयोजन के लिए भूमि को व्यपवर्तित किया गया है उस प्रयोजन के लिए लागू दरों से भू-राजस्व देय होगा। व्यपवर्तन लगान एवं प्रव्याजि की दरें आवधिक रूप से शासन द्वारा पुनरीक्षित की जाती हैं।

नवम्बर 2005 में कलेक्टर (डायरर्सन) इंदौर के अभिलेखों की नमूना जॉच में पता चला कि लिम्बोडी गांव की 10,63,626 वर्ग फुट कृषि भूमि मई 2005 में आवासीय उद्देश्य हेतु व्यपवर्तित की गई थी। फिर भी आवासी उद्देश्यों हेतु लागू दरों के अनुसार 14.78 लाख रुपये के बजाय कृषि प्रयोजन हेतु लागू दरों के अनुसार गलत निर्धारण कर 1.48 लाख रुपये व्यपवर्तन लगान निर्धारित किया गया।

इसी प्रकार नौं प्रकरणों में सागर निगम सीमा से चार किलोमीटर के भीतर बसे हुए ग्रामों में सितम्बर 2002 तथा अक्टूबर 2003 में 24,99,938 वर्ग फुट भूमि वाणिज्यिक/आवासीय उद्देश्यों हेतु व्यपवर्तित की गई थी। लेकिन वाणिज्यिक/आवासीय उद्देश्य हेतु लागू दरों के अनुसार आंकित 35.73 लाख रुपये के बजाय कृषि दरों के अनुसार गलत निर्धारण कर प्रव्याजि की राशि 22.67 लाख रुपये निर्धारित की गई। इसके परिणामस्वरूप 13.06 लाख रुपये के प्रव्याजि की कम वसूली हुई।

¹⁴

भोपाल (रा.प.), भोपाल, बालाघाट, ग्वालियर, इंदौर, इटारसी (होशंगाबाद), जबलपुर, मंडला तथारीवा

इसे इंगित किए जाने के बाद, अनुविभाग अधिकारी ने व्यपर्वर्तन के प्रकरण में पुनरीक्षित निर्धारण आदेश जारी किए जबकि प्रब्याजि के संबंध में उन्होंने बताया कि प्रकरणों की संवीक्षा के उपरान्त कार्रवाई की जाएगी।

प्रकरण दिसम्बर 2005 तथा जनवरी 2006 के मध्य आयुक्त बंदोवस्त एवं भू—अभिलेख तथा शासन को प्रतिवेदित किया गया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (जनवरी 2007)।

5.14 व्ययवर्तन लगान, प्रब्याजि एवं अर्थदण्ड की मांग सृजित न करना

राजस्व पुस्तक परिपत्र के अनुसार, अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) कृषि से मिन्न उद्देश्यों हेतु उपयोग की गई व्ययवर्तित भूमि पर पुनर्निर्धारित भू—भाटक की मांग तथा परिवर्तन को तहसील के अभिलेखों में समाविष्ट करने हेतु संबंधित तहसीलदार को सूचित करेगा। इसके अतिरिक्त, प्रब्याजि व्यपर्वर्तन लगान एवं म.प्र. भू—राजस्व संहिता तथा राजस्व पुस्तक परिपत्र के दाण्डिक प्रावधानों के अन्तर्गत आरोपित किये गये अर्थदण्ड की मांग का उल्लेख भी संबंधित तहसील की मांग तथा संग्रहण पंजी में किया जाना होता है।

मई 2005 में तीन तहसीलों¹⁵ के अभिलेखों की नमनू जॉच में पाया गया कि 38 ग्रामों के 2002–03 से 2003–04 तक की अवधि से संबंधित 454 प्रकरणों में व्यपर्वर्तन लगान, प्रब्याजि एवं अर्थदण्ड की राशि 18.54 लाख रुपये को संबंधित तहसील की मांग एवं संग्रहण पंजी में दर्ज नहीं किया गया और न ही इस संबंध में कोई माँग सृजित की गई। इसके परिणामस्वरूप 18.54 लाख रुपये के राजस्व की वसूली नहीं हुई।

इसे इंगित किए जाने के बाद संबंधित तहसीलदारों ने मई 2005 में बताया कि माँग सृजित करने हेतु कार्रवाई की जाएगी।

प्रकरण जून 2005 तथा मई 2006 के मध्य शासन/विभाग को प्रतिवेदित किया गया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (जनवरी 2007)।

¹⁵ भीकनगांव (खरगौन), डबरा (ग्वालियर) एवं शिवुपरी

5.15 प्रक्रिया व्यय का अनारोपण/वसूली न होना

मध्य प्रदेश लोकधन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार चूककर्ता पर बकाया मूल राशि का 3 प्रतिशत प्रक्रिया व्यय के रूप में राजस्व वसूली प्रमाण पत्रों पर सृजित की जाने वाली मांग में सम्मिलित किया जाएगा।

अप्रैल 2005 एवं जून 2005 के मध्य छः तहसीलों¹⁶ के अभिलेखों की नमूना जॉच में पाया गया कि अवधि अप्रैल 2001 से मार्च 2005 के दौरान आर.आर.सी.के विरुद्ध वसूल की गई 5.14 करोड़ रुपये की मूल राशि पर वसूली योग्य प्रक्रिया व्यय की राशि 15.42 लाख रुपये न तो वसूली अधिकारियों द्वारा मांग में शामिल किए गए और न ही यह राशि चूक कर्ताओं द्वारा जमा की गई। इसके परिणामस्वरूप 15.42 लाख रुपये का अनारोपण हुआ/वसूली नहीं हुई।

इसे इंगित किये जाने के बाद तहसीलदार ग्यारसपुर(विदिशा) ने जून 2005 में कहा कि पुनर्रीक्षित मांगनोटिस जारी किया जाएगा, जबकि शेष तहसीलदारों ने अप्रैल 2005 एवं जून 2005 के मध्य बताया कि संग्रहीत मूल राशि की सही राशि सुनिश्चित करने के लिए बैंकों से जानकारी मंगायी जावेगी तथा तदनुसार कार्रवाई की जाएगी।

प्रकरण जून 2005 एवं अप्रैल 2006 के मध्य शासन/विभाग को प्रतिवेदित किया गया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (जनवरी 2007)।

5.16 वसूली प्रभार की वसूली न होना

पंचायत राज अधिनियम 1993, एवं इसके अधीन जारी अनुदेशों (जून 1999) के अनुसार, भू—राजस्व, उपकर, फीस तथा अन्य करों के रूप में शासन द्वारा वसूल की गई राशि का 10 प्रतिशत वसूली प्रभार के रूप में काटने के पश्चात शेष राशि पंचायत राज निधि में जमा की जायेगी।

अप्रैल 2005 एवं अक्टूबर 2005 के मध्य पांच तहसीलों¹⁷ के अभिलेखों की नमूना जॉच में पाया गया कि कि अक्टूबर 2000 से सितम्बर 2005 की अवधि के मध्य वसूल की गई राजस्व राशि 83.26 लाख रुपये को तहसीलदारों द्वारा वसूली प्रभार की राशि 8.33 लाख रुपये का कटौत्रा किये बिना पंचायत राज निधि में जमा किया गया। इसके परिणामस्वरूप उक्त शासकीय राजस्व की वसूली नहीं हुई।

¹⁶ बांदा (सागर), डबरा (ग्वालियर), दतिया, देवसर (सीधी), ग्यारसपुर (विदिशा) एवं पाण्डूरना (छिंदवाड़ा)

¹⁷ भकनगांव (खरगौन), दतिया, पाली(उमरिया), पांडुरना(छिंदवाड़ा) एवं रतलाम

इसे लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने के बाद, संबंधित तहसीलदारों ने अप्रैल 2005 एवं अक्टूबर 2005 के मध्य बताया कि पंचायत राज निधि में जमा की गई राशि के समायोजन हेतु कार्रवाई की जाएगी।

प्रकरण जून 2005 एवं मई 2006 के मध्य शासन/विभाग को प्रतिवेदित किया गया था ; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (जनवरी 2007)।

5.17 राजस्व वसूली प्रमाण पत्रों का पंजीयन न किया जाना

मध्य प्रदेश भू—राजस्व संहिता तथा मध्य प्रदेश लोकधन (शोध्य राशियों की वसूली) अधिनियम तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों में प्रावधान है कि वसूली अधिकारी राजस्व वसूली प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर राजस्व प्रकरण पंजी (दायरा पंजी) में प्रकरण दर्ज करेगा। प्रविष्टि करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि प्रकरण हर प्रकार से पूर्ण है। इसके पश्चात वह वसूली की कार्यवाही प्रारम्भ करेगा और चूककर्ता को प्रकरण पंजीबद्ध होने के 15 दिन के अंदर मांग नोटिस जारी करेगा।

जनवरी 2005 एवं अक्टूबर 2005 के मध्य छः तहसीलों¹⁸ के अभिलेखों की नमूना जॉच में पाया गया कि कि वर्ष 2001–02 से 2004–05 की अवधि के दौरान प्राप्त 2.94 करोड़ रुपये की वसूली हेतु 860 राजस्व वसूली प्रमाण पत्रों को 7 माह से 55 माह व्यतीत हो जाने के बाद भी पंजीबद्ध नहीं किया गया। परिणामस्वरूप राजस्व वसूली की कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की जा सकी। इसके परिणामस्वरूप 2.94 करोड़ रुपये के राजस्व की वसूली नहीं हुई।

इसे लेखापरीक्षा में जनवरी 2005 एवं अक्टूबर 2005 के मध्य इंगित किये जाने के बाद सभी तहसीलदारों ने बताया कि आर.आर.सी. प्रकरणों को पंजीबद्ध करने के पश्चात वसूली की कार्रवाई की जाएगी।

प्रकरण आयुक्त भू—अभिलेख एवं शासन को मई 2005 से नवम्बर 2005 के मध्य प्रतिवेदित किया गया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (जनवरी 2007)।

¹⁸ भानपुरा (मंदसौर), बुरहानपुर, मेहगांव (भिण्ड), नेपानगर (बुरहानपुर), पिपरिया, होशंगाबाद एवं सेलाना (रतलाम)

अध्याय – 6 वन प्राप्तियाँ

6.1 लेखा परीक्षा के परिणाम

वर्ष 2005–06 में वन प्राप्तियों के अभिलेखों की नमूना जांच में 127 प्रकरणों में 199.74 करोड़ रुपये राशि की राजस्व हानि का पता चला जिसे मोटे तौर पर निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है :

(करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि
1	बांस/इमारती लकड़ी के कूपों का विदोहन न किये जाने के कारण वसूली न होना	23	111.98
2	अवरोध मूल्य से कम पर विक्रय के कारण कम वसूली होना	19	4.50
3	वनोपज की गुणवत्ता में हास/कमी के कारण वसूली न होना	20	5.45
4	इमारती लकड़ी के पुनर्मापन के कारण राजस्व की कम वसूली	2	0.21
5	वनोपज का लेखांकन न किये जाने के कारण कम वसूली	8	15.34
6	अनुमानित उत्पादन के विरुद्ध इमारती लकड़ी/बांसों के कम उत्पादन के कारण कम वसूली	9	6.22
7	अन्य अनियमिततायें	46	56.04
	योग	127	199.74

वर्ष 2005–06 के दौरान विभाग ने 8 प्रकरणों में अंतर्निहित 1.09 करोड़ रुपये की राजस्व हानि को स्वीकार किया। एक प्रकरण में 0.09 लाख रुपये की वसूली की गई।

कुछ दृष्टात्मक प्रकरण जिनमें 7.00 करोड़ रुपये अंतर्निहित हैं, इस अध्याय में उल्लिखित हैं।

6.2 अभिवहन अनुज्ञापत्र शुल्क का कम आरोपण

मध्य प्रदेश अभिवहन (वनोपज) नियमावली 2000 के नियम 5 के अधीन जारी की गई मध्य प्रदेश शासन वन विभाग की अधिसूचना (मई 2001) के अनुसार, राज्य शासन द्वारा 1 जून 2001 से कोयला (वनोपज) के परिवहन के लिए अभिवहन अनुज्ञापत्र जारी करने के लिए वसूली योग्य अभिवहन अनुज्ञापत्र शुल्क की दर 7 रुपये प्रति टन निर्धारित की गई।

भौमिकी एवं खनिज विभाग से प्राप्त कोयला स्थानान्तरण संबंधी जानकारी के अनुसार, अप्रैल 2002 से मार्च 2005 तक कान्हा एवं पेंच क्षेत्र से 1.59 करोड़ मीट्रिक टन कोयले का स्थानान्तर किया गया। अभिवहन शुल्क 11.16 करोड़ रुपये भुगतान योग्य था। लेकिन वन विभाग के अभिलेखों के साथ प्रति सत्यापन करने पर पाया गया कि इस अवधि के दौरान केवल 4.16 करोड़ रुपये वसूल किये गये/ पट्टाधारकों द्वारा जमा किये गये। इसके परिणाम स्वरूप 7 करोड़ रुपये के अभिवहन शुल्क का निम्नानुसार कम आरोपण किया गया।

वर्ष	कोयला का कुल निष्कासन एवं परिवहन (भी.टन)	7 रु. प्रति मी. टन की दर से देय शुल्क	भुगतान किया गया शुल्क	कम भुगतान किया गया शुल्क
2002–2003	33,66,165	2,35,63,155	1,36,49,243	99,13,912
2003–2004	87,59,589	6,13,17,123	1,50,62,920	4,62,54,203
2004–2005	38,14,280	2,66,99,960	1,28,39,627	1,38,60,333
योग	1,59,40,034	11,15,80,238	4,15,51,790	7,00,28,448

जून 2005 में इसे इंगित किये जाने पर वन मंडलाधिकारी (सामान्य) पश्चिम छिन्दवाड़ा ने जून 2005 में बताया कि खनिज विभाग से कोयला निष्कासन संबंधी जानकारी मांगी जा रही है, एवं वसूली के लिए कार्रवाई की जाएगी।

प्रकरण प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं शासन को अगस्त 2005 एवं फरवरी 2006 के मध्य प्रतिवेदित किया गया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (जनवरी 2007)।

अध्याय – 7 : खनन प्राप्तियाँ

7.1 लेखा परीक्षा के परिणाम

वर्ष 2005–06 के दौरान खनन प्राप्तियों के निर्धारण एवं संग्रहण से सम्बन्धित अभिलेखों की नमूना जांच में 359.13 करोड़ रुपये की राशि के राज्यांश, अनिवार्य किराए का अनिर्धारण/कम निर्धारण, संविदा राशि, राज्यांश, खनिज क्षेत्र विकास उपकर की वसूली न होना तथा राज्यांश के विलम्बित भुगतानों पर ब्याज के कम आरोपण आदि से संबंधित 2,455 प्रकरणों का पता चला, जिन्हें मोटे तौर पर निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है :

(करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि
1.	खनिज क्षेत्र विकास उपकर एवं राजस्व वसूली प्रमाण—पत्रों के विरुद्ध राजस्व वसूली न करना/कम करना	10	0.01
2.	राज्यांश एवं अनिवार्य किराए का अनिर्धारण	138	5.02
3.	राज्यांश के विलम्बित भुगतानों पर ब्याज का कम आरोपण	81	104.84
4.	गैण खनिजों पर राज्यांश एवं शास्ति का अनारोपण तथा संविदा राशि, मुद्राकं शुल्क एवं पंजीयन फीस की वसूली न होना	533	76.76
5.	अन्य	1,693	172.50
	योग	2,455	359.13

वर्ष 2005–06 के दौरान, विभाग द्वारा 619 प्रकरणों में अंतर्निहित 31.13 करोड़ रुपये के राज्यांश एवं अनिवार्य किराए का अवनिर्धारण आदि स्वीकार किया गया जिनमें से 28.76 करोड़ रुपये के वित्तीय प्रभाव से अंतर्निहित 588 प्रकरणों को वर्ष 2005–06 के दौरान इंगित किया गया था तथा शेष प्रकरण पूर्ववर्ती वर्षों से संबंधित थे। 21 प्रकरणों में 2.90 करोड़ रुपये की राशि वसूल की गई थी।

कुछ उदाहरणात्मक प्रकरणों, जिनमें 2.16 करोड़ रुपये की राशि अंतर्निर्हित है, का उल्लेख इस अध्याय में किया गया है।

7.2 पट्टा विलेख के नवीनीकरण न किये जाने के कारण राजस्व की वसूली न होना

पंजीकरण अधिनियम, 1908 के अन्तर्गत, एक वर्ष से अधिक अवधि के लिये पट्टा धारण अधिकारों को अभिहस्तांतरित करने वाले विलेखों का पंजीकरण किया जाना अनिवार्य है। भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 के अनुसार किसी खदान के पट्टे के प्रकरण में जिसमें राज्यांश अथवा उत्पाद का हिस्सा भाड़े या भाड़े के किसी भाग के रूप में प्राप्त किया जाता है, औसत वार्षिक राज्यांश पर मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस आरोपणीय है।

दिसम्बर 2005 में खनिज अधिकारी, छिंदबाड़ा के अभिलेखों की नमूना जॉच में पाया गया कि वैस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड पेंच एरिया ने, जिसके पास 30 वर्ष की अवधि के लिए 1,982 हैक्टर में कोयला निष्कासन हेतु खनन पट्टा था, 30 अप्रैल 2002 को पट्टा नवीनीकरण हेतु आवेदन किया। पट्टे का नवीनीकरण नहीं किया गया और पट्टा अवधि 30 अप्रैल 2003 को समाप्त हो गई। परिणामस्वरूप, मुद्रांक शुल्क आरोपित नहीं किया जा सका। इसके परिणामस्वरूप मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस के रूप में 1.66 करोड़ रुपये के राजस्व की वसूली नहीं हुई।

प्रकरण जनवरी एवं फरवरी 2006 के मध्य संचालक भौमिकी एवं खनिकर्म तथा शासन को प्रतिवेदित किया गया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (जनवरी 2007)।

7.3 अनिवार्य किराये की कम वसूली होना

मध्य प्रदेश लघु खनिज (एम.पी.एम.) नियमावली, 1996 के अनुसार पट्टाधारक पट्टे के प्रथम वर्ष को छोड़कर प्रत्येक वर्ष अनुसूची IV में विनिर्दिष्ट दरों से, पूरे वर्ष हेतु, आगामी वर्ष के प्रथम माह की 20 तारीख को या उससे पूर्व अनिवार्य किराये का अग्रिम भुगतान करेगा।

छ: खनिज कार्यालयों¹ के अभिलेखों की नमूना जॉच में पाया गया कि फरवरी 1995 एवं मई 2014 के मध्य की विभिन्न अवधियों के लिये 29 उत्खनि पट्टे स्वीकृत किए गए थे। पट्टेधारियों द्वारा जनवरी 2001 से दिसम्बर 2005 तक देय अनिवार्य किराये की भुगतान योग्य राशि 25.98 लाख रुपये के विरुद्ध केवल 10.76 लाख रुपये की राशि का भुगतान किया गया। शेष अनिवार्य किराए की वसूली हेतु कोई मांग सृजित नहीं की गई। इसके परिणामस्वरूप 15.22 लाख रुपये की राशि के अनिवार्य किराये की कम वसूली हुई।

¹ बैतूल, भोपाल, छिंदबाड़ा, ग्वालियर, मुरैना तथा रायसेन

इसे नवम्बर 2005 एवं मार्च 2006 के मध्य इंगित किये जाने के बाद, सभी खनन अधिकारियों ने बताया कि संवीक्षा के उपरान्त वसूली हेतु कार्यवाही की जाएगी।

प्रकरण दिसम्बर 2005 एवं मार्च 2006 के मध्य संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म तथा शासन को प्रतिवेदित किया गया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (जनवरी 2007)।

7.4 राज्यांश की वसूली न होना/कम वसूली होना

एम.पी.एम.एम. नियमावली के अनुसार किसी भी विनिर्दिष्ट खदान या भूमि से, केन्द्र या राज्य सरकार के किसी विभाग या उपक्रम के कार्य हेतु चाही गई गौण खनिज का निष्कासन, हटाने एवं परिवहन की अनुमति, कलेक्टर द्वारा प्रदान की जाएगी। ऐसी अनुमति राज्यांश के अग्रिम भुगतान पर ही प्रदान की जाएगी।

फरवरी 2006 में खनिज कार्यालय, रायसेन के अभिलेखों की नमूना जॉच में पाया गया कि दिसम्बर 2002 एवं जनवरी 2004 के मध्य की अवधि के दौरान कलेक्टर द्वारा तीन ठेकेदारों को नौं कार्यों हेतु गौण खनिजों के निष्कासन/हटाने एवं परिवहन करने हेतु अनुमति प्रदान की गई थी। दो ठेकेदारों ने राज्यांश की राशि 7.30 लाख रुपये का भुगतान नहीं किया तथा एक ठेकेदार ने राज्यांश की देय राशि 8.51 लाख रुपये के विरुद्ध केवल 1.15 लाख रुपये का भुगतान किया। इसके परिणामस्वरूप राज्यांशकी राशि 14.66 लाख रुपये की वसूली नहीं हुई/कम वसूली हुई।

इसे फरवरी 2006 में इंगित किये जाने के बाद, खनन अधिकारी, रायसेन ने बताया कि एक ठेकेदार के संबंध में प्रकरण की विस्तृत समीक्षा के बाद वसूली की कार्यवाही की जाएगी तथा दो ठेकेदारों के संबंध में वसूली हेतु नोटिस जारी किये गए।

प्रकरण फरवरी एवं मई 2006 के मध्य संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म तथा शासन को प्रतिवेदित किया गया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (जनवरी 2007)।

7.5 विवरणी प्रस्तुत न किया जाना

खनिज रियायत नियमावली, 1960 के अनुसार प्रत्येक खनन पट्टा धारक खनिज के उत्पादन एवं हटाने तथा श्रमिकों की नियुक्ति से संबंधित अभिलेखों का संधारण करेगा। पट्टा धारक नियत तिथि को निर्धारित प्रपत्र में मासिक एवं वार्षिक विवरणियाँ प्रस्तुत करेगा, इसमें विफल रहने पर विभाग वार्षिक अनिवार्य किराये की राशि के दुगने से अनधिक राशि शास्ति के रूप में आरोपित कर सकेगा।

दिसम्बर 2005 में खनन अधिकारी, छिंदबाड़ा के अभिलेखों की नमूना जॉच में पता चला कि कोयले के निष्कासन हेतु खनन पट्टाधारक वैस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड कान्हान क्षेत्र द्वारा अप्रैल 2003 से मार्च 2005 तक की अवधि से सम्बंधित मासिक एवं वार्षिक विवरणियां प्रस्तुत नहीं की गई। विभाग द्वारा अनुबंध की शर्तों के तहत पट्टाधारक के विरुद्ध कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की गई। इसके परिणामस्वरूप वार्षिक अनिवार्य किराये की दुगनी राशि की शास्ति के रूप में संगणित 12.04 लाख रूपये की वसूली नहीं हुई।

इसे दिसम्बर 2005 में इंगित किये जाने के बाद, खनन अधिकारी ने बताया कि पट्टाधारक के विरुद्ध नियमों के तहत कार्यवाही की जाएगी।

प्रकरण जनवरी एवं फरवरी 2006 के मध्य संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म तथा शासन को प्रतिवेदित किया गया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (जनवरी 2007)।

7.6 मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस की कम वसूली होना

खनिज संसाधन विभाग द्वारा मार्च 1993 एवं अक्टूबर 1994 में जारी अनुदेशों के अनुसरण में पंजीयक महानिरीक्षक द्वारा जारी स्पष्टीकरण (मई 2005) के अनुसार व्यापारिक खदानों के अनुबंध के पंजीयन के प्रकरण में, खदान की नीलामी हेतु निर्धारित सम्पूर्ण राशि प्रब्याजि मानी जाएगी तथा भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 के तहत आठ प्रतिशत की दर से मुद्रांक शुल्क आरोपणीय है। इसके अतिरिक्त पंजीयन अधिनियम, 1908 के तहत मुद्रांक शुल्क के 75 प्रतिशत की दर से पंजीयन फीस भी आरोपणीय है।

खनिज कार्यालय, रायसेन के अभिलेखों की नमूना जॉच में पता चला कि दो वर्षों (2005–07) की अवधि के लिये निजी ठेकेदारों को 35 व्यापारिक खदानें स्वीकृत की गई थीं। विभाग ने मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस की गणना करते समय खदानों की नीलामी में उल्लेखित सम्पूर्ण राशि को ध्यान में नहीं रखा। विभाग द्वारा मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस के रूप में आरोपणीय राशि 25.32 लाख रूपये के विरुद्ध मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस के रूप में 12.39 लाख रूपये की राशि आरोपित की गई। इसके परिणामस्वरूप 12.93 लाख रूपये के मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का कम आरोपण हुआ।

इसे मार्च 2006 में इंगित किये जाने के बाद, खनन अधिकारी ने बताया कि प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु उप पंजीयक को प्रतिवेदित किया गया था।

प्रकरण संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म तथा शासन को प्रतिवेदित किया गया (मार्च 2006); उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (जनवरी 2007)।

7.7 राज्यांश के विलम्बित भुगतान पर ब्याज की कम वसूली होना

खनिज रियायत नियमावली के अनुसार पट्टाधारक को अनुसूचित तिथि पर राज्यांश का भुगतान करना होता है, इसमें विफल होने पर वह निश्चित तिथि की समाप्ति के 60 वें दिन से ऐसे राज्यांश के भुगतान होने तक 24 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज का भुगतान करने का दायी होगा।

मार्च 2006 में खनिज कार्यालय, रीवा के अभिलेखों की नमूना जाँच में पता चला कि चूना पत्थर के निष्कासन हेतु खनन पट्टा धारक ने मई 2004 से मार्च 2005 की अवधि से संबंधित राज्यांश की राशि 3.67 करोड़ का भुगतान 9 दिन से 71 दिन के विलम्ब से किया। विभाग द्वारा ब्याज की वसूली योग्य राशि 10.09 लाख रुपये के विरुद्ध 2.44 लाख रुपये की राशि निर्धारण कर वसूल की गई। इसके परिणास्वरूप 7.65 लाख रुपये के राजस्व की कम वसूली हुई।

प्रकरण अप्रैल एवं मई 2006 के मध्य संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म तथा शासन को प्रतिवेदित किया गया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (जनवरी 2007)।

लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियाँ) 31 मार्च 2006 को समाप्त वर्ष

अध्याय – 8 : अन्य कर-भिन्न प्राप्तियाँ

8.1 लेखा परीक्षा के परिणाम

वर्ष 2005–06 के दौरान लोक निर्माण, जल संसाधन तथा विद्युत शुल्क विभागों से संबंधित अभिलेखों की नमूना जॉच में 22,861 प्रकरणों में 106.88 करोड़ रुपये की राशि के राजस्व की वसूली न होना/कम वसूली एवं हानि प्रकट हुई जिन्हें मोटे तौर पर निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है :—

(करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि
लोक निर्माण विभाग			
1.	पट्टा किराये की वसूली न होना	65	1.71
2.	लाइसेंस शुल्क तथा दार्ढक दरों का अनारोण	15	0.03
3.	हानि की वसूली न होना	32	0.16
4.	तकनीकी स्टाफ का नियोजन न करने पर शास्ति का अनारोपण	577	3.56
5	अन्य	5,453	34.12
	योग	6,142	39.58

लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियों) 31 मार्च 2006 को समाप्त वर्ष

जल संसाधन विभाग				
1.	समुन्नति अंशदान का अनारोपण	59	3.21	
2.	तकनीकी स्टाफ का नियोजन न करने पर शास्ति का अनारोपण	11	0.04	
3.	विलंबित भुगतान पर शास्ति का अनारोपण	3	1.17	
4.	अन्य	1,020	50.54	
	योग	1,093	54.96	
सहकारिता विभाग				
1.	अंकेक्षण शुल्क की कम वसूली/वसूली न होना	694	0.26	
2.	अन्य	1,230	0.90	
	योग	1,924	1.16	
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग				
1.	अभिग्रहीत माल का निवर्तन न होना	54	0.02	
2.	अन्य	32	0.14	
	योग	86	0.16	
कृषि विभाग				
1.	बीजों के मूल्य की वसूली न होना	27	0.17	
2.	संस्थाओं का पंजीयन न होने के कारण हानि	178	0.06	
3.	अन्य	50	1.88	
	योग	255	2.11	

लोक स्वास्थ्य विभाग			
1.	अन्य	1,263	2.82
	योग	1,263	2.82
विद्युत शुल्क			
1.	विद्युत उपकर का कम निर्धारण	162	8.20
2.	विद्युत संस्थापनाओं का निरीक्षण न किए जाने के कारण राजस्व की हानि	11,081	1.38
3.	अन्य	928	0.93
	योग	12,171	10.51
	महायोग		

वर्ष 2005–06 के दौरान, विभागों ने 10,412 प्रकरणों में अन्तर्निहित 93.57 करोड़ रूपये के कर का अवनिर्धारण स्वीकार किया। इन सभी प्रकरणों को वर्ष 2005–06 के दौरान इंगित किया गया था।

कुछ उदाहरणात्मक प्रकरणों, जिनमें 0.86 करोड़ रूपये की राशि अन्तर्निहित है, का उल्लेख अनुवर्ती कंडिकाओं में किया गया है।

क— लोक निर्माण विभाग

8.2 पथकर वसूली करने के अधिकार की पुनः नीलाम करने से राजस्व हानि

मध्य प्रदेश निर्माण विभाग नियमावली 1983 में सफल बोलीदार द्वारा निष्पादित संविधानों के निबंधन एवं शर्तों के अनुसार पथ कर के आरोपण एवं संग्रहण का प्रावधान है। जिस व्यक्ति की बोली मंजूर की जाती है, वह सक्षम प्राधिकारी द्वारा तय की गई समय सीमा के अन्तर्गत निर्धारित प्रपत्र पर एक पट्टा विलेख निष्पादित करेगा। इसमें असफल होने पर सक्षम प्राधिकारी उसके पट्टा प्राप्त करने के अधिकार को राजसात कर सकता है एवं उसके बाद पथकर की वसूली विभागीय तौर पर की जा सकती है या पथकर वसूली अधिकार की पुनर्नीलामी की जा सकती है तथा चूककर्ता राज्य शासन को हुई हानि का भुगतान करने का दायी होगा। हानि की राशि भू-राजस्व के बकाया की भाँति वसूली योग्य होगी।

अगस्त 2005 में कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण सम्भाग, देवास के अभिलेखों की नमूना जॉच में पाया गया कि एक ठेकेदार को वर्ष 2005–06 के लिये मार्च 2005 में चन्द्र केशर नदी पर निर्मित पुल पर पथ कर वसूली करने का अधिकार 17.55 लाख रुपये में दिया गया। ठेकेदार ने पथ कर वसूली में हानि की आशंका के कारण, अनुबंध निष्पादित कर पथकर वसूली का अधिकार प्राप्त नहीं किया। इसके बाद ठेकेदार पुनः नीलाम कर अगले बोलीदार के पक्ष में मई 2005 में 6.02 लाख रुपये में स्वीकृत किया गया। इस प्रकार शासन को 11.53 लाख रुपये की राशि की हानि उठानी पड़ी जो दोषी ठेकेदार से भू-राजस्व की बकाया की भाँति वसूली योग्य थी। इस राशि की वसूली हेतु कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके परिणामस्वरूप 11.53 लाख रुपये राशि के राजस्व की वसूली नहीं हुई।

इसे इंगित किये जाने के बाद, कार्यपालन यंत्री ने अगस्त 2005 में बताया कि ठेकेदार से राशि की वसूली हेतु अनुदेश जारी कर दिये गये हैं। आगामी प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ (जनवरी 2007)।

प्रकरण विभाग/शासन को सितम्बर 2005 एवं दिसम्बर 2005 के मध्य प्रतिवेदित किया गया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (जनवरी 2007)।

8.3 निजी व्यक्तियों/संस्थानों को किराये पर दिये गये शासकीय भवनों की लाइसेंस फीस की कम वसूली होना/वसूली न होना

मध्य प्रदेश निर्माण विभाग नियमावली में प्रावधान है कि निजी व्यक्ति, कम्पनी, क्लब, संघ, स्थानीय निकाय आदि को किराये पर दिये गये शासकीय भवन की लाइसेंस फीस प्रति माह निर्धारित दर से अग्रिम वसूल की जाएगी।

अगस्त 2005 में कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण सम्भाग, देवास के अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया गया कि निजी व्यक्तियों/स्थानीय निकायों को किराये पर दिये गये चार भवनों के संबंध में अप्रैल 2000 से मार्च 2005 की अवधि के दौरान, कलेक्टर द्वारा अक्टूबर 1994 एवं नवम्बर 2000 में निर्धारित दरों के अनुसार, लाइसेंस फीस का निर्धारण/वसूली नहीं की गई। इसके परिणामस्वरूप तीन भवनों के संबंध में किराये की वसूली नहीं होने के कारण तथा एक भवन के संबंध में कम वसूली होने के कारण 9.42 लाख रुपये के किराये की वसूली नहीं हुई।

इसे इंगित किये जाने के बाद कार्यपालन यंत्री ने अगस्त 2005 में बताया कि लेखापरीक्षा द्वारा आवृत्त अवधि हेतु 4.11 लाख रुपये के राजस्व वसूली प्रमाण पत्र जारी किये जा चुके थे।

प्रकरण दिसम्बर 2005 एवं फरवरी 2006 के मध्य शासन तथा विभाग को प्रतिवेदित किया गया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (जनवरी 2007)।

ख— जल संसाधन विभाग

8.4 समुन्नति अंशदान का अनारोपण

मध्य प्रदेश सिंचाई अधिनियम 1931 (2002 में पुनरीक्षित) में, नहरों जिनका निर्माण 1 अप्रैल 1951 के पश्चात किया गया हो व जिनके निर्माण की लागत 5 लाख रुपये या इससे अधिक हो, अथवा जिसका सिंचय क्षेत्र 1000 एकड़ या इससे अधिक हो, से लाभान्वित स्थायी भूमि धारकों से एक मुश्त भुगतान करने पर उनसे 250 रुपये प्रति एकड़ की दर से समुन्नति अंशदान के आरोपण एवं वसूली का

प्रावधान है। अंशदान उस तिथि से वसूली योग्य है जो शासन द्वारा अधिसूचित की जाएं, लेकिन यह तिथि नहर चालू होने की तिथि से तीन वर्ष पूर्व की न हो।

जून 2005 में दो जल संसाधन सम्भागों¹ के अभिलेखों की नमूना जॉच में पाया गया कि राजघाट नहर एवं भाण्डेर नहर, जिनसे सिंचाई प्रारम्भ हो चुकी थी, के संबंध में समुन्नति अंशदान आरोपित करने की तिथि के लिये मध्य प्रदेश शासन द्वारा अधिसूचना जारी नहीं की गई। विभाग द्वारा वर्ष 1999 में अंशदान की एक मुश्त दर 250 रूपये प्रति एकड़ अथवा 618 रूपये प्रति हैक्टेयर निर्धारित करने की अनुशंसा की गई थी। शासन द्वारा अधिसूचना जारी न किये जाने के कारण विभाग द्वारा वर्ष 2003–04 के लिये 28,876.66 हैक्टेयर सिंचित क्षेत्र पर समुन्नति अंशदान के निर्धारण की कार्रवाई नहीं की जा सकी। इसके परिणामस्वरूप 1.78 करोड़ रूपये के शासकीय राजस्व का अनारोपण हुआ।

इसे इंगित किये जाने के बाद, कार्यपालन यंत्री ने जून 2005 में बताया कि शासन द्वारा अधिसूचना जारी न किये जाने के कारण, समुन्नति अंशदान के आरोपण की कार्रवाई नहीं की जा सकी।

प्रकरण अगस्त 2005 एवं फरवरी 2006 के मध्य शासन/विभाग को प्रतिवेदित किया गया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (जनवरी 2007)।

ग— विद्युत शुल्क

8.5 शास्ति के अनारोपण से राजस्व हानि

मध्य प्रदेश विद्युत नियमावली, 1956 के तहत यदि किसी विद्युत संस्थापना का मालिक नियम के प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो वह प्रत्येक उल्लंघन के लिये 300 रूपये शास्ति के भुगतान का दायी होगा और यदि उल्लंघन जारी रहता है तो वह उल्लंघन रहने तक 50 रूपये प्रति दिन अतिरिक्त शास्ति का दायी होगा।

¹ राजघाट वितरण नहर सम्भाग क्रमांक 9 एवं भाण्डेर नहर सम्भाग दत्तिया

फरवरी 2006 में सम्भागीय विद्युत निरीक्षक (डी.ई.आई.), खण्डवा के अभिलेखों की नमूना जॉच में पाया गया कि 2002–03 से 2004–05 के दौरान 174 विद्युत संस्थापनाओं के मालिकों ने नियम के प्रावधान का उल्लंघन किया जैसे विद्युत मीटर, विद्युत संस्थापना के निरीक्षण के लिये कुशल स्टाफ उपलब्ध न कराना इत्यादि । विभागीय अधिकारियों द्वारा 2002–05 में निरीक्षण के दौरान इस प्रकार की अनियमितताएं इंगित की गई थी । विद्युत निरीक्षकों ने प्रावधान के प्रत्येक उल्लंघन के लिये शास्ति आरोपण हेतु उच्च प्राधिकारियों को प्रस्ताव नहीं भेजा । इस प्रकार विभाग द्वारा दोषियों के विरुद्ध शास्ति आरोपण हेतु कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की गई । इसके परिणामस्वरूप 49.60 लाख रुपये राशि की राजस्व हानि हुई ।

इसे इंगित किये जाने के बाद, सम्भागीय विद्युत निरीक्षक ने बताया कि शास्ति आरोपण किया जाना उनके कार्यालय के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है । उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि सम्भागीय विद्युत निरीक्षक द्वारा शास्ति आरोपण हेतु प्रस्ताव सक्षम प्राधिकारी को प्रेषित नहीं किया गया ।

प्रकरण मुख्य अभियंता एवं महा निरीक्षक, विद्युत एवं संरक्षा तथा शासन को मार्च 2006 में प्रतिवेदित किया गया ; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (जनवरी 2007) ।

8.6 विद्युत शुल्क, उपकर एवं ब्याज हेतु मांग सृजित न किया जाना

जनरेटर सैटों द्वारा विद्युत का उत्पादन करने वाले उत्पादकों को विद्युत शुल्क के भुगतान से छूट, मध्य प्रदेश शासन ऊर्जा विभाग की अधिसूचना दिनांक 6 फरवरी 2001 के द्वारा इसके जारी होने के दिनांक से वापस ले ली गई थी । इस प्रकार जनरेटर सैट से विद्युत ऊर्जा उत्पादित करने वाले उत्पादक विहित दरों से विद्युत शुल्क एवं उपकर के भुगतान के दायी थे ।

फरवरी 2006 में सम्भागीय विद्युत निरीक्षक, खण्डवा के अभिलेखों की नमूना जॉच में पाया गया कि 2001–02 से 2004–05 के दौरान 27 विद्युत ऊर्जा के उत्पादकों ने अपने जनरेटर सैटों द्वारा 25.31 लाख यूनिट विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया, किन्तु उत्पादित ऊर्जा पर देय विद्युत शुल्क एवं उपकर का भुगतान नहीं किया । विभाग द्वारा ब्याज सहित 9.37 लाख रुपये राशि के विद्युत शुल्क एवं उपकर की वसूली हेतु मांग सृजित किए जाने के लिये कोई कार्रवाई प्रारम्भ नहीं की गई ।

इसे इंगित किये जाने के बाद सम्भागीय विद्युत निरीक्षक ने बताया कि वसूली की कार्यवाही प्रगति में थी ।

प्रकरण मार्च 2006, में मुख्य अभियन्ता एवं महानिरीक्षक, विद्युत एवं संरक्षा तथा शासन को प्रतिवेदित किया गया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (जनवरी 2007) ।

8.7 अतिरिक्त शुल्क की मांग सृजित न किया जाना

मध्य प्रदेश ऊर्जा विभाग की अधिसूचना दिनांक 22 अगस्त 1987 के प्रावधानों के अनुसार, विद्युत संस्थापनाओं के संबंध में उसके स्वामी द्वारा देय शुल्क प्रत्येक वर्ष 1 मई को या उससे पूर्व भुगतान किया जाएगा । यदि संस्थापना का स्वामी नियत दिनांक को शुल्क का भुगतान करने में विफल रहता है तो भुगतान योग्य शुल्क में 20 प्रतिशत वृद्धि की जाएगी ।

जनवरी 2006 में सम्भागीय विद्युत निरीक्षक खण्डवा के अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया गया कि अप्रैल 2002 से मार्च 2005 के दौरान मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल ने अपने स्वामित्व के विद्युत संस्थापनों के संबंध में देय शुल्क की राशि 33.97 लाख रुपये का भुगतान 1 माह से 10 माह तक के विलम्ब से किया । विभाग ने प्रावधानों के अनुसार अतिरिक्त शुल्क की राशि 6.79 लाख रुपये की मांग सृजित करने हेतु कोई कार्रवाई प्रारम्भ नहीं की थी । इसके परिणामस्वरूप उपरोक्त राजस्व की वसूली नहीं हुई ।

प्रकरण मार्च 2006 में मुख्य अभियन्ता एवं महानिरीक्षक, विद्युत एवं संरक्षा तथा शासन को प्रतिवेदित किया गया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (जनवरी 2007) ।

8.8 विद्युत संस्थापनाओं का निरीक्षण न किये जाने के कारण हानि

भारतीय विद्युत अधिनियम 1910 तथा भारतीय विद्युत नियम 1956 के अनुसार विद्युत संस्थापनाओं के निरीक्षण के लिये उनकी श्रेणियों के अनुसार विहित दरों पर फीस आरोपणीय है । मध्यम वोल्टेज की विद्युत संस्थापनाओं का निरीक्षण तीन वर्ष में एक बार तथा अन्य प्रकरणों में यह वर्ष में एक बार किया जाता है ।

जनवरी एवं फरवरी 2006 के मध्य अधीक्षण यंत्री जबलपुर तथा संभागीय विद्युत निरीक्षक (विद्युत संरक्षा) खण्डवा के अभिलेखों की नमूना जॉच में पाया गया कि 2002–03 से 2004–05 की अवधि के दौरान 9907 उच्च वोल्टेज तथा 48681 मध्यम वोल्टेज विद्युत संस्थापनाओं का निर्धारित प्रति मानकों के अनुसार निरीक्षण नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप 10.81 लाख रूपये राशि की निरीक्षण फीस की हानि हुई।

इसे इंगित किए जाने के बाद, अधीक्षण यंत्री, जबलपुर तथा संभागीय विद्युत निरीक्षक, खण्डवा ने जनवरी तथा फरवरी 2006 में बताया कि स्टाफ की कमी के कारण निरीक्षण नहीं किया जा सका।

प्रकरण फरवरी एवं मार्च 2006 के मध्य मुख्य अभियंता एवं महानिरीक्षक, विद्युत एवं संरक्षा तथा शासन को प्रतिवेदित किया गया था; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (जनवरी 2007)।

गवालियर
दिनांक

(जे.एन. गुप्ता)
प्रधान महालेखाकार
(निर्माण एवं प्राप्ति लेखापरीक्षा)
मध्य प्रदेश

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक

(विजयेन्द्र नाथ कौल)

भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक

लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियों) 31 मार्च 2006 को समाप्त वर्ष